भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राजस्व क्षेत्र
एवं
सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राजस्व क्षेत्र

एवं

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या–1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		v
विंहगावलोकन		vii-x
भाग–क (राजस्व अनुभाग)		
अध्याय 1: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	1.2	2
संग्रहण की लागत	1.3	3
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.4	4
कर निर्धारण में बकाया	1.5	5
कर अपवंचन	1.6	5
लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के प्रत्युत्तर	1.7	6
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7.2	7
लेखापरीक्षा की संवीक्षा हेतु अभिलेखों की गैर–प्रस्तुति	1.7.3	7
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के प्रत्युत्तर	1.7.4	7
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई–संक्षिप्त स्थिति	1.7.5	8
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से अनुपालना	1.7.6	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण	1.8	9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	9
विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.8.2	9
लेखापरीक्षा योजना	1.9	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	10
भाग 'क' (राजस्व अध्याय) का विषय	1.10.2	10

अध्याय -2 : लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ		
व्यापार एवम् कर विभाग		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	13
'आपत्ति एवं अपीलीय मामले' पर लेखापरीक्षा	2.3	13
बहुमासिक लेनदेनों वाले 'एफ' प्रपत्रों पर छूट के अनुचित दावे	2.4	18
राजस्व विभाग		
कर प्रशासन	2.5.1	19
लेखापरीक्षा परिणाम	2.5.2	19
स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.6	20
भाग-खः सा.क्षे.उ.		
अध्याय-3: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	3.1	31
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	31
राज्य पीएसयू में निवेश	3.3	31
बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारण्टी और ऋण	3.4	33
वित्तीय लेखों से मिलान	3.5	34
पीएसयू का निष्पादन	3.6	34
लेखों का अंतिम रूप देने में बकाया	3.7	35
लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण	3.8	36
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली	3.9	38
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति	3.10	38
पीएसयू का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	3.11	38
अध्याय -4: निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देन लेखापरीक्षा		
दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा	4.1	41

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड		
सम्पत्ति कर की वसूली न होने से घाटा	4.2.1	62
पर्यटन कॉम्पलेक्स के प्रचालनीय न होने के कारण निधियों का अवरोधन तथा राजस्व घाटा	4.2.2	63
दिल्ली विधानसभा में कैंटीन चलाने में ₹1.44 करोड़ की हानि	4.2.3	63
इन्द्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड		
डिस्कॉम्स को अनावश्यक वित्तीय लाभ देने के कारण निधियों का अवरोधन तथा उसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	4.3.1	64
दिल्ली अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक व विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड		
किराये की हानि	4.4.1	66
दिल्ली परिवहन निगम		
अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण परिहार्य हानि	4.5.1	67
संशोधित आयकर रिटर्न में वापसी का दावा न करने के कारण हानि	4.5.2	69

अनुलग्नक

अनुलग्नक सं.	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
3.1	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2013 तक प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों और मानव शक्ति के अद्यतन ब्यौरों को दर्शाती विवरणी	3.3	73
3.2	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्ति योग्य अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारन्टियों, देयों का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं अंशदान में परिवर्तित ऋण और मार्च 2013 के अंत में गारन्टी प्रतिबद्धता	3.4	76
3.3	नवीनतम वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था	3.6	78
3.4	पीएसयू में जिनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाती विवरणी	3.7	81
4.1	तुलनपत्र के अनुसार वित्तीय परिणाम	4.1.2	82
4.2	31 मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के लिए दि.रा.औ.अव.वि.नि. के कार्यशील परिणाम	4.1.2	83

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट दो भागों में है।

भाग कः राजस्व क्षेत्र-सरकार के राजस्व क्षेत्र विभागों की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत संचालित की जाती है। यह भाग वित्तिय वर्ष 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

भाग खः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-यह सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत नि.म.ले.प. के द्वारा संचालित की जाती है तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के द्वारा संचालित की जाती है। सरकार से यह अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल को सौंपा जाए।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2012-13 के दौरान लेखों की जाँच से लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए, साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछली रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (मार्च 2002) के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में भाग 'क' में ₹ 536 करोड़ शामिल करते हुए स्टॉम्प ड्युटी तथा पंजीकरण शुल्क पर उद्ग्रहण तथा संग्रहण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा दो पैराग्राफ राजस्व के अवनिर्धारण/कम भुगतान/राजस्व की हानि इत्यादि हैं तथा भाग 'ख' में ₹ 182.89 करोड़ शामिल करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात पैराग्राफ पर्यटन, सा.क्षे.उ. विद्युत तथा परिवहन विभाग इत्यादि से सम्बन्धित हैं, इस प्रकार इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल ₹ 718.89 करोड़ की कुल धन राशि सम्मिलित है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

भाग-क: राजस्व क्षेत्र

सामान्य

वर्ष 2011-12 के ₹ 22,393.18 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 में सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 25,560.97 करोड़ थी। इनमें से 94 प्रतिशत प्राप्तियाँ कर राजस्व (₹ 23,431.52 करोड़) तथा गैर कर राजस्व द्वारा (₹ 626.93 करोड़) उत्थित हुई। शेष 6 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 1,502.52 करोड़) के रूप में प्राप्त हुई। पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में क्रमशः 17.32 प्रतिशत तथा 36.03 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, मनोरंजन, विलासिता एवं पण तथा राजस्व विभागों के 96 युनिटों के अभिलेखों की नमूना जाँच के 2238 मामलों में कुल ₹ 2,041.32 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि को दर्शाया। पिछले वर्षों तथा वर्ष 2012-13 के दौरान सम्बंधित विभागों ने 627 मामलों में शामिल ₹ 50.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान छः मामलों में ₹ 5.61 लाख वसूल किए।

(पैराग्राफ 1.10)

बिक्री कर/मूल्य वर्द्धित कर

263 मामलों ₹ 5,150.27 करोड़ की सम्मिलित राशि में से विभाग ने केवल 45 मामलों (17 प्रतिशत) शामिल ₹ 98.56 करोड़ का पुननिर्धारण किया। लेकिन केवल ₹ 8.15 करोड़ की राशि की वसूली ही की जा सकी। अपील सुनवाई प्राधिकरण (अ.सु.प्रा.) द्वारा मामलों का प्रतिपेषण ठीक नहीं था क्योंकि डी वैट अधिनियम के अंतर्गत मामलों के प्रतिपेषण का अधिकार उसके पास नहीं है।

(पैराग्राफ 2.3.1(i)

अ.सु.प्रा. ने एक प्राइवेट बैंक के सम्बन्ध में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवनिर्धारण आदेशों के प्रेषण में विलम्ब के कारण सभी डिफाल्ट निर्धारण आदेशों को एक तरफ रख दिया जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 480.12 करोड़ की मांग की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.3.2)

अ.सु.प्रा. ने पुनर्निर्धारण आदेशों को इस आधार पर एक तरफ रख दिया कि निर्धारण प्राधिकारी ने आदेश कम्पयूटर सिस्टम के द्वारा पारित नहीं किया था तथा दोनों वर्षों के लिए एक तरफा आदेश पारित कर दिए जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 7.97 करोड़ की मांग की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.3.3)

अ.सु.प्रा. ने निर्धारण तथा दण्ड आदेशों को इस आधार पर एक तरफ रख दिया कि अपीलों के प्रतिपेषण का अधिकार नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ की माँग की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.3.4)

स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क

''स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया गया। कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

551 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के गैर-उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 28.05 करोड़ की स्टॉम्प ड्यूटी तथा ₹ 0.03 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.6.1)

227 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क में भूमि प्रयोग में परिवर्तन, त्रुटिपूर्ण गणना तथा उपकरणों के गलत वर्गीकरण के कारण सरकार को ₹ 5.31 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.69 करोड़ के रजिस्ट्रेशन शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.7)

22 मामलों में स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क पर गलत छूट के कारण सरकार को ₹ 1.04 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.22 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.8.1)

523 कम्पनियों द्वारा आंबटित शेयरों पर स्टांप ड्यूटी की गैर-वसूली के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 8.12 करोड़ की स्टांप ड्यूटी की हानि हुई

(पैराग्राफ 2.6.9.1)

भाग-खः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति

31 मार्च 2013 तक दिल्ली में 17 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) थे - 15 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम। इन 17 पीएसयू में निवेश (पूँजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 28,043.99 करोड़ था। यह 2008-09 में ₹ 15,455.50 करोड़ से बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। 2012-13 के दौरान सरकार ने राज्य पीएसयू को ₹ 2,784.95 करोड़ अंशदान, ऋणों एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में योगदान दिया था।

(पैराग्राफ 3.3 एवं 3.4)

17 कार्यशील पीएसयू जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से नौ पीएसयू ने ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयू को ₹ 2,543.67 करोड़ का घाटा हुआ और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी।

(पैराग्राफ 3.6)

सितम्बर 2013 तक तीन पीएसयू के 12 लेखे बकाया थे। लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान 21 लेखों में से 11 लेखों ने सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। पाँच कम्पनियों एवं दो निगमों के लेखों में लेखामानकों के अनुपालन न होने के 14 दृष्टांत थे।

(पैराग्राफ 3.8)

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देन लेखापरीक्षा

'दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड' से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा उपलब्धियां इस प्रकार हैः

कम्पनी के पास अपने औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लॉटों के 14,906 आबंटियों से प्राप्ति योग्य ₹ 99.67 करोड़ के भूतल किराये बकाया थे।

(पैराग्राफ 4.1.4)

जैसाकि इस सरकार के उद्देश्य कि जहाँ कहीं भी सीवर लाईनें और जल लाईनें डाल दी गई हैं केवल वहीं कंक्रीट की सड़क बनाई जाए, के विपरीत बिना यह सुनिश्चित किए कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन तथा जल लाईन बिछाई गई हैं कम्पनी ने ₹ 206.96 करोड़ मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना दी।

(पैराग्राफ 4.1.5.1)

विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताओं को नोटिस किया गया। के.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली के प्रावधानों की गैर-अनुपालना को संरचनात्मक ड्राईंग्स, अनुमोदित ले-आउट प्लान, परियोजनाओं के लिए समापन अवधि का नियत किया जाना, कार्यों का सौंपा जाना, बोलियों की औचित्य दरों को बनाए जाने तथा तकनीकी मूल्यांकन के संबंध में भी देखा गया।

(पैराग्राफ 4.1.4.1,4.1.6.1,4.1.6.2,4.1.6.3,4.1.7.2,4.1.9.1,4.1.11)

जैसाकि कम्पनी ने मॉस्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों के विरूद्ध जी+2 तथा जी+3 संरचना की आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जोकि जी+3 तथा जी+4 संरचना की आवासीय ईकाईयों के सामने थी, इसलिए वह अतिरिक्त 3720 निम्न दर वाले आवास को बनाने के सुअवसर से वंचित हो गई।

(पैराग्राफ 4.1.7.1)

यू.ओ.एम.टी. आधार पर नरेला औद्योगिक एस्टेट पी.पी.पी. के वार्षिकी के लिए गलत प्रक्षेपण के कारण भविष्य में 2013-14 से 2028-29 की 15 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 91.5 करोड़ का परिहार्य बर्हिगमन हुआ।

(पैराग्राफ 4.1.12)

लेन–देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

प्रचालक के चयन के लिए परामर्शदाता के चयन एवं नियुक्ति में हुई देरी के कारण ₹ 5.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन।

(पैराग्राफ 4.2.2)

औपचारिक करार के अभाव एवं किसी भी लागत-लाभ विश्लेषण के गैर-संचालन के कारण दिल्ली विधान सभा में कैंटीन के परिचालन एवं प्रबंधन में ₹ 1.44 करोड़ की हानि।

(पैराग्राफ 4.2.3)

इन्द्रप्रस्थ विधुत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अग्रिम भुगतान किए गए आयकर की वसूली में विलम्ब किए जाने से उनकी राशि अवरूद्ध हो गई तथा डिस्काम्स को हुए अनावश्यक वित्तीय लाभ के कारण उन्हें ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

(पैराग्राफ 4.3.1)

दिल्ली परिवहन निगम को दो स्टाफ कालोनियों में स्टाफ क्वाट्र्स के अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण ₹ 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि उठानी पड़ी।

(पैराग्राफ 4.5.1)

भाग–क
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय–1
सामान्य

अध्याय–1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर-कर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए है :

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	**राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व**					
कर राजस्व		12,180.70	13,447.85	16,477.75	19,971.67	23,431.52
गैर–कर राजस्व		2,300.72	3,467.40	4,188.95	460.87	626.93
कुल		**14,481.42**	**16,915.25**	**20,666.70**	**20,432.54**	**24,058.45**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
सहायता अनुदान		1,870.79	3,536.08	4,357.40	1,960.64	1,502.52
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1तथा 2)**	**16,352.21**	**20,451.33**	**25,024.10**	**22,393.18**	**25,560.97**
4.	1 से 3 तक की प्रतिशतता	**89**	**83**	**83**	**91**	**94**

स्रोतः वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

राज्य सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि कुल राजस्व की 94 प्रतिशत थी तथा शेष छः प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदानों के रूप में प्राप्त थीं। पूर्व वर्ष की तुलना में कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व में वृद्धि क्रमशः 17.32 प्रतिशत तथा 36.03 प्रतिशत थी।

1.1.2 वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है:

तालिका 1.2
उत्थित कर राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार कर इत्यादि	9,152.09	10,126.01	12,068.62	13750.95	15,803.68	**(+)14.93**
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,420.91	1,643.56	2,027.09	2,533.72	2,869.74	**(+)13.26**
3.	स्टांम्प तथा पंजीकरण शुल्क	788.01	929.97	1,355.75	2,240.25	3,098.06	**(+)38.29**
4.	वाहनों पर कर	419.12	462.65	707.55	1,049.19	1,240.18	**(+)18.20**
5.	अन्य कर	400.57	285.66	318.74	397.55	419.85	**(+)05.61**
कुल		**12,180.70**	**13,447.85**	**16,477.75**	**19,971.66**	**23,431.51**	**(+)17.32**

स्रोतः वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों ने अंतर के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर : वृद्धि राजस्व की सामान्य बढ़ोतरी थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: राज्य उत्पाद राजस्व मुख्यत 7 जून 2011 से नई उत्पाद संरचना को अपनाने के कारण बढ़ा।

वाहनों पर कर: राजस्व में वृद्धि वाहनों की बिक्री में वृद्धि के कारण हुई।

अन्य विभागों को, यद्यपि अनुरोध किया गया (अगस्त 2013), फिर भी पूर्व वर्ष से इस वर्ष की प्राप्तियों में अन्तर के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया.गया (फरवरी 2014)।

1.1.3 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान उत्थित गैर कर राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दिये गए हैं:

तालिका 1.3
उत्थित गैर कर राजस्व का उल्लेख

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2011–12 की अपेक्षा 2012–13 में वृद्धि (+)/कमी (–) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	2,101.41	3,236.61	3,869.84	174.14	340.03	(+) **95.26**
2.	लाभांश व लाभ	29.92	41.56	46.59	33.00	26.25	**(-) 20.45**
3.	सामान्य सेवाएँ	64.91	93.41	101.84	128.58	143.11	**(+) 11.30**
4.	समाज सेवाएँ	54.53	56.13	61.59	79.48	87.24	**(+) 09.76**
5.	आर्थिक सेवाएँ	49.95	39.69	109.08	45.67	30.31	**(-) 33.63**
कुल		**2,300.72**	**3,467.40**	**4,188.94**	**460.87**	**626.93**	(+) **36.03**

स्रोत: प्राप्तियाँ बजट 2013 तथा वेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि/कमी के यह कारण दिये गए है कि गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की नियमित आय नहीं थी लेकिन उनके द्वारा संग्रहित उपयोगी वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं व जुर्माने आदि पर भारित थी।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

वर्ष 2012-13 के लिए कर तथा गैर-कर राजस्व के मुख्य शीर्षों के संबंध में राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर **तालिका 1.4** में उल्लिखित है।

तालिका 1.4
बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विभिन्नता आधिक्य (+)/कमी (–)	विभिन्नता की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	16,500.00	15,803.68	(-) 696.32	(-) 4.22
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,000.00	2,869.74	(-) 130.26	(-) 4.34
3.	स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	3,800.00	3,098.06	(-) 701.94	(-) 18.47
4.	वाहनों पर कर	1,370.00	1,240.18	(-) 129.82	(-) 9.48
5.	अन्य कर	487.00	419.85	(-) 67.15	(-) 13.78
गैर–कर राजस्व					
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	473.54	340.03	(-) 133.51	(-) 28.19
2.	लाभांश व लाभ	48.00	26.25	(-) 21.75	(-) 45.31
3.	सामान्य सेवाएँ	130.28	143.11	(+) 12.83	(+) 9.85
4.	सामाजिक सेवाएँ	79.56	87.24	(+) 7.68	(+) 9.65
5.	आर्थिक सेवाएँ	38.16	30.31	(-) 7.85	(-) 20.57

स्रोतः प्राप्तियाँ बजट 2013 और वेतन व लेखा कार्यालय, दिल्ली

संबंधित विभागों द्वारा विभिन्नताओं के लिए बताये गये कारण इस प्रकार हैः

स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क : वर्ष 2012-13 में 18.47 प्रतिशत की कमी का कारण कोर्ट निर्णय तथा संपत्ति के स्थानांतरण के मामले में 'जनरल पॉवर ऑफ अटोर्नी' (जी.पी.ए) का अनुमत्य न होना था।

वाहनों पर करः वर्ष 2012-13 में 9.48 प्रतिशत की कमी का कारण लोक वाहनो में से ब्ल्यू लाइन बसों को धीरे–धीरे हटाना था।

गैर-कर राजस्वः पूर्व वर्ष के सितम्बर/अक्टूबर माह में तैयार अनुमान पहले ही पर्याप्त थे तथा ब्याज के मामले में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के दौरान ऋण की कम राशि प्रदान की गई थी।

अन्य विभागों को, यद्यपि अनुरोध किया गया (अगस्त 2013) फिर भी बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अंतरों के कारणों को नहीं बताया गया (फरवरी 2014) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण में किये गए व्यय और ऐसे व्यय का सकल संग्रहण से प्रतिशत, साथ ही वर्ष 2011-12 के लिए सकल संग्रहण के संग्रहण पर व्यय की संबंधित अखिल औसत प्रतिशतता **तालिका 1.5** में दी गई हैः

तालिका: 1.5
संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण की लागत	संग्रहण पर संग्रहण की लागत की प्रतिशतता	वर्ष 2011–12 के लिए संग्रहण की लागत पर अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2010-11	12,068.62	50.69	0.42	1.89
	2011-12	13,750.95	53.67	0.39	
	2012-13	15,803.68	75.70	0.48	
राज्य उत्पाद शुल्क	2010-11	2,027.09	9.44	0.47	2.98
	2011-12	2,533.72	10.79	0.43	
	2012-13	2,869.74	23.67	0.82	
स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2010-11	1,355.75	19.30	1.42	0.83
	2011-12	2,240.25	31.60	1.41	
	2012-13	3,098.06	14.57	0.47	
वाहनों पर कर	2010-11	707.55	37.03	5.23	2.96
	2011-12	1,049.19	31.79	3.03	
	2012-13	1,240.18	28.91	2.33	

स्रोत : प्राप्तियाँ बजट 2013 तथा पेतन एवं लेखा कार्यालय, दिल्ली

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2012-13 के दौरान, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क और वाहनों पर करों के संबंध में लागत संग्रहण में कमी आई जबकि बिक्री, व्यापार इत्यादि तथा राज्य उत्पाद शुल्क के संबंध में लागत संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षो के संबंध में ₹ 16,225.47 करोड़ की राशि के राजस्व के विश्लेषण का **तालिका 1.6** में चित्रण किया गया है:

तालिका: 1.6
राजस्व का बकाया

(₹ करोड में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक बकाया राशि	5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	**बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर**	16,221.30	1,540.28	एक पक्षीय मूल्यांकन तथा विभाग के रिकार्डों में जमा राशि के पुनर्विचार के बिना माँग उत्पन्न की गई।
2.	**राज्य उत्पाद शुल्क**	16.70	3.06	31 मार्च 2013 को ₹ 7.05 करोडं की माँग अपील के तहत तथा ₹ 5.55 करोड़ की माँग नये सिरे से कर निर्धारण के लिए वापस कर दी गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, ब्याज सहित ₹ 4.10 करोड़ की राशि की वसूली भी विभाग के पास लम्बित है।
3.	**स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क**	0.05	-	कंपनी द्वारा अंशो को जारी करने में, स्टाम्प कलैक्टर (मु.) द्वारा निर्णित स्टाम्प शुल्क के जमा न करने पर बकाया लम्बित हैं।
कुल		**16,238.05**	**1,543.34**	

1.5 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लम्बित मामलों में, व्यापार एवं कर विभाग तथा राज्य उत्पाद विभाग के द्वारा प्राप्त मामलों में निर्धारण के लिए लम्बित हुए मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने में लम्बित मामलों की जानकारी को **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7
कर निर्धारण में बकाया

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	मामले जिनका कर निर्धारण किया जाना था।	कुल लम्बित निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
व्यापार तथा कर विभाग						
2010-11	4945	85360	90305	85720	4585	93
2011-12	4585	144115	148700	146774	1926	98
2012-13	1926	173942	175868	174563	1305	99
राज्य उत्पाद विभाग						
2010-11	1422	854	2276	584	1692	26
2011-12	1692	879	2571	834	1737	32
2012-13	1737	873	2610	687	1923	26

तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य उत्पाद विभाग में निर्धारण के निपटान की प्रतिशतता काफी कम थी तथा 26 तथा 32 प्रतिशत के बीच की रेंज थी तथा व्यापार एवं कर विभाग के मामले में यह 99 प्रतिशत तक पहुँचा था।

1.6 कर अपवंचन

व्यापार तथा कर विभाग द्वारा वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कर अपवंचन के क्रमशः 1843, 871 तथा 1,292 के मामले पता लगाये गये, विभाग के द्वारा बताये गए अपवंचन के विभिन्न मामलों के अंतर्गत ₹ 1,151.23 करोड़ का कुल अपवंचन इंगित किया गया जिसका विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8
कर अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भिन्नता के प्रकार	पता लगाई गई राशि
1.	नकद विभिन्नता	37.29
2.	स्टॉक विभिन्नता	564.48
3.	पता लगाये गये अभिग्रहण	549.46
कुल		**1,151.23**

शाखा द्वारा पता लगाए गए मामलों को बाद में विभाग के सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति विभाग/सरकार के प्रत्युत्तर

1.7.1 लेखापरीक्षा आपत्तियों के तुरंत प्रत्युत्तर में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली (प्र.म.ले.) निर्धारित नियमों तथा प्रविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के रख–रखाव /सत्यता को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं जिनका मौके पर निपटान न हो सके निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) के रूप में अनुवर्ती कार्यवाही होते हैं। इन्हें प्रतिवेदनो में जारी करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे मुख्य प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ यह कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गई अभ्युक्तियों को कार्यालयों में प्रमुख/सरकार को शीघ्रातिशीघ्र त्रुटियों एवं अन्य गलतियों को सुधारने के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन की जारी हुई तारीख से एक महीने के भीतर महालेखाकार को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना आवश्यक है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों तथा सरकार के प्रमुखों को भेजा जाता है।

दिसम्बर, 2012 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन दर्शाते है कि 624 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 12,224 पैराग्राफों में शामिल ₹ 11,054.77 करोड़ जून 2013 के अंत तक बकाया है जैसा कि विगत दो वर्षों के आँकड़ों के साथ **तालिका 1.9** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9
बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

	जून, 2011	जून, 2012	जून, 2013
बकाया नि.प्र. की संख्या	360	483	624
बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	7,867	10,028	12,224
शामिल राशि (₹ करोड़ में)	**6,619.49**	**8,938.03**	**11,054.77**

30 जून 2013 को विभागवार बकाया नि.प्र. तथा बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों में सम्मिलित धन राशि का उल्लेख **तालिका 1.10** में किया गया है:

तालिका 1.10
विभागवार बकाया नि.प्र./पैराग्राफ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या	सम्मिलित धन राशि
1.	**व्यापार तथा कर**	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मू.व.क.	499	11,706	10,936.27
2.	**उत्पाद**	राज्य उत्पाद	8	41	61.67
3.	**परिवहन**	मोटरवाहनों पर कर	56	122	20.42
4.	**राजस्व (स्टॉम्प तथा पंजीकरण)**	स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क	61	355	36.41
कुल			**624**	**12,224**	**11,054.77**

बड़ी मात्रा में निरीक्षण प्रतिवेदनों का लम्बित होना जवाबों की गैर प्राप्ति के कारण था जो कि दर्शाता है कि लेखापरीक्षा के प्रति तुरंत कार्यवाही के लिए कार्यकारी अधिकारियों की ओर से गंभीरता में कमी थी।

यह सिफारिश कि जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर तुरंत और तर्कसंगत प्रतिक्रिया के लिए एक कारगर कार्यप्रणाली की स्थापना करें और ऐसे कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करें जो निरीक्षण प्रतिवेदन/पैराग्राफों के निर्धारित समय में जबाव भेजने में असफल रहते है और जो समयबद्ध सीमा में हानि/बकायों की वसूली करने में कोई कार्रवाई करने में विफल रहते है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन नि.प्र. में पैराग्राफों तथा नि.प्र. निपटान शीघ्रता से पूरा करने एवं अनुवीक्षण करने के लिए करती है। वर्ष 2012-13 के दौरान केवल तीन बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार एवं कर विभाग द्वारा कोई पैराग्राफ का निपटान नहीं किया गया।

यह सिफारिश की गई कि सरकार को अधिक बैठकें करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

1.7.3 लेखापरीक्षा की संवीक्षा हेतु अभिलेखों की गैर–प्रस्तुति

विभाग का यह कर्तव्य है कि शीघ्रातिशीघ्र रिकार्ड़ों को प्रस्तुत करें तथा लेखापरीक्षा के सुगम संचालन तथा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। व्यापार एवं कर विभाग में वर्ष 2012-13 के अंत तक अंतिम तीन वर्षों के रिकॉर्डों के अप्रस्तुतिकरण का ब्यौरा **तालिका 1.11** में दिया गया है:

तालिका 1.11
अभिलेखों का गैर प्रस्तुतिकरण

वर्ष जिसमें लेखापरीक्षा की जानी थी।	मांगी गई फाइलों की संख्या	प्रस्तुत नहीं की गई फाइलों की संख्या	प्रस्तुत न की गई फाइलों की प्रतिशतता
2010-11	8,860	2,982	34
2011-12	7,602	2,526	33
2012-13	8,067	3,312	41
कुल	**24,529**	**8,820**	

यह पाया गया की 2012-13 में अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण 41 प्रतिशत है तथा उपरोक्त मामलों में शामिल राजस्व का पता नहीं लगाया जा सका।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर विभागों के प्रत्युत्तर

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों (पैराग्राफों) को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा प्रतिवेदन (नि.म.ले.) में शामिल करने का प्रस्ताव करते हुए प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर देने के अनुरोध सहित प्रधान सचिव/सम्बधित विभागों के सचिवों को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया गया। सरकार से प्रत्युत्तरों की गैर प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में दर्शाया जाता है।

वर्ष 31 मार्च 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के भाग 'क' में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करते हुए नौ पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा, संबंधित विभागों तथा सरकार को छः सप्ताह के भीतर अक्तूबर 2013 तक प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए भेजा गया था। दो पैराग्राफों के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुए तथा उन्हें पैराग्राफों में शामिल किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा की सरकार/सम्बन्धित विभाग में हुए समापन सम्मेलन में चर्चा की गई।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई–संक्षिप्त स्थिति

जब भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जाते है तो विभिन्न विभागों को रिपोर्ट में लिए सभी पैराग्राफों/पुनरीक्षणों पर एक्शन टेकन नोट (ए.टी.एन) लोक लेखा समिति (पी.ए.सी) के विचारार्थ प्रस्तुत करना होता है। ए.टी.एन.को प्रस्तुत करने में अनावश्यक देरी, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को कम करता है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित प्रतिवेदन में शामिल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार के पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों पर बकाया एक्शन टेकन नोट की अक्टूबर 2013 की स्थिति का उल्लेख **तालिका 1.12** में दिया गया है:

तालिका 1.12
बकाया एक्शन टेकन नोट

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की संख्या जिनके ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2008	11	2*
2.	2009	15	15**
3.	2010	18	16*
4.	2011	15	15
5.	2012	17	6*

** एक निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त हुए।*
*** 4 पैराग्राफों पर ए.टी.एन. आंशिक रूप से प्राप्त किए गए*

सरकार को, लंबित एक्शन टेकन नोट्स को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करना चाहिए।

1.7.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से अनुपालना

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गये पैराग्राफों के संबंध में, ₹ 263.67 करोड़ के राजस्व को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा आपत्तियों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया जिसमें से अगस्त 2013 तक केवल ₹ 2.00 करोड़ वसूल किए गये जिनका विवरण **तालिका 1.13** में दिया गया है:

तालिकाः 1.13
स्वीकृत मामलों के प्रति वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राशि मूल्य	स्वीकृत मामलों का राशि मूल्य	वसूल की गई राशि
2007-08	945.52	28.17	0.18
2008-09	1,729.62	109.00	0.14
2009-10	1,764.20	49.36	0.39
2010-11	1,479.98	58.00	0.06
2011-12	2,363.11	19.14	1.23
कुल	**8,282.43**	**263.67**	**2.00**

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ₹ 263.67 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करने के उपरांत भी विभाग/सरकार ने केवल ₹ 2.00 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की राशि की वसूली की।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार स्वीकृत मामलों में शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करें।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को हल करने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभाग/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मामलों से निपटने की प्रणाली के विश्लेषण के उद्देश्य से व्यापार तथा कर विभाग के संबंध में पिछले पांच वर्षों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों तथा पुनरीक्षण पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती पैराग्राफ 1.8.1 से 1.8.2 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यापार तथा कर विभाग द्वारा की गई अनुपालना के निष्पादन तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए मामलों पर विचार विमर्श किया गया।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले पाँच वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों तथा 31 मार्च 2013 को उनकी स्थिति को **तालिका 1.14** में सारणीबद्ध किया गया है:

तालिकाः 1.14
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अन्त शेष		
	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि	नि. प्रति.	पैराग्राफ	धनराशि
2008-09	206	2645	1758.51	89	2265	1748.24	6	429	413.39	289	4481	3093.36
2009-10	289	4481	3093.36	108	2972	2900.71	11	301	218.47	386	7152	5775.60
2010-11	386	7152	5775.60	54	2009	1831.89	85	564	434.09	355	8597	7173.40
2011-12	355	8597	7173.40	96	2204	3079.27	24	657	394.02	427	10144	9858.65
2012-13	427	10144	9858.65	104	1610	1209.64	62	520	571.99	469	11234	10496.31
कुल				**451**	**11060**	**10769.75**	**188**	**2471**	**2031.96**			

उपरोक्त सारणी प्रमाणित करती है कि वर्ष 2008-09 के प्रारंभ में ₹ 1,758.51 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ 206 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 2645 पैराओं को सम्मिलित करते हुए, विभाग के प्रत्युत्तर के लिए प्रतीक्षित थी। लेकिन पाँच वर्षों की अवधि के बाद अर्थात् 2012-13 के अंत तक निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा पैराओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 469 (128 प्रतिशत) तथा 11,234 (324 प्रतिशत) तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों की राशि बढ़कर ₹ 10,496.31 करोड़ (497 प्रतिशत) हो गई। यह दर्शाता है कि विभाग/सरकार ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था।

1.8.2 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

कार्यालय प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाओं को संबंधित विभागों/सरकार को उनकी सूचना के लिए जवाब भेजे जाने के निवेदन सहित अग्रेषित किया गया। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समाप्ति सम्मेलन में भी विचार किया गया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचारों को सम्मिलित किया गया।

पिछले पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए व्यापार एवं कर विभाग, पर निष्पादन लेखापरीक्षाओं का उल्लेख **तालिका 1.15** में किया गया है, यद्यपि लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा इनमें से किसी निष्पादन लेखापरीक्षाओं को चर्चा में नहीं लिया गया।

तालिका 1.15

सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

नि.प्र. का वर्ष	पुनरीक्षण का नाम	सिफारिशों की संख्या	स्थिति
2007-08	शाखा स्थानान्तरण/प्रेषण बिक्री के कारण केन्द्रीय बिक्री कर की छूट का निष्पादन मूल्याँकन	4	उत्तर नहीं भेजा गया।
2008-09	निर्माण ठेकों पर कर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा सग्रंहण	3	उत्तर नहीं भेजा गया।
	दिल्ली बिक्री कर से दिल्ली मूल्य वर्धित कर में परिवर्तन	4	उत्तर नहीं भेजा गया।
2010-11	अर्न्तराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यक में घोषणा–फार्म की उपयोगिता	4	उत्तर नहीं भेजा गया।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा की विगत प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीकृत किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें अन्य बातों के अलावा सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के आलोचनात्मक मामले जैसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग की रिपोर्ट (राज्य तथा केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के लक्षण, लेखापरीक्षा कवरेज तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि शामिल है।

वर्ष 2012-13 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए 102 योजनागत इकाईयों में से 96 लेखापरीक्षित थी जो कि कुल इकाईयों का 94 प्रतिशत है।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा कर प्रशासन की क्षमता को जाँचने के लिए भी की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.10.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान व्यापार तथा कर विभाग, राज्य उत्पाद, मनोरंजन, परिवहन, विलासिता एवं पण तथा राजस्व विभागों की 96 इकाईयों के रिकॉर्डों की नमूना जाँच 2,238 मामलों में ₹ 2,041.32 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/ राजस्व की हानि इत्यादि को दर्शाती है। सम्बंधित विभागों ने लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 के दौरान तथा पूर्व वर्षों द्वारा इंगित 627 मामलों में सम्मिलित ₹ 50.46 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने वर्ष 2012-13 के दौरान छः मामलों में ₹ 5.61 लाख की वसूली की।

1.10.2 भाग 'क' (राजस्व अध्याय) का विषय

इस राजस्व अध्याय में एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'स्टाम्प का संग्रहण व उद्ग्रहण तथा पंजीकरण शुल्क' तथा दो पैराग्राफ है जिसमें ₹ 536 करोड़ के वित्तिय प्रभाव शामिल करते हुए कम/कर का गैर-उद्ग्रहण, ब्याज इत्यादि के अतिरिक्त कुछ प्रणालीगत व अनुपालन कमियों को इंगित किया गया है इन की चर्चा प्रतिवेदन के अध्याय-II में की गई है।

अध्याय–II
लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

अध्याय–2
लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

व्यापार एवं कर विभाग

2.1 कर प्रशासन

आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) द्वारा चार विशेष आयुक्तों की सहायता से मू.व.क. द्वारा प्राप्त प्राप्तियों को शासित किया जाता है। यहाँ पर 10 जोन हैं तथा प्रत्येक जोन का एक प्रमुख संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त होता है जो कि अतिरिक्त आयुक्तों के अधीन कार्य करते है दिल्ली को 114 वार्डों में बाँटा गया है तथा प्रत्येक वार्ड का प्रमुख मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मू.व. क.अ.) होता है।

31 मार्च 2013 को पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या 3,20,854 थी, जिसमें से 17,474 डीलर अपने रिटर्न मासिक आधार पर जमा कराते थे तथा शेष 3,03,380 डीलरों ने अपने रिटर्न तिमाही आधार पर जमा कराए।

3,20,854 पंजीकृत डीलरों में से वर्ष 2012-13 के दौरान केवल 2,48,845 डीलरों ने अपने रिटर्न फाईल किए। 1653 डीलर बड़े कर दाता थे (₹ एक करोड़ से ज्यादा कर जमा कराने वाले) एवं 10,4281 डीलर छोटे कर दाता (₹ एक लाख से कम कर जमा कराने वाले) थे।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

68 इकाइयों के रिकॉर्डों की नमूना जाँच से पता चला कि 870 मामलों में ₹ 1,691.65 करोड़ के कर का कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताएँ शामिल थी जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	"वैट के आपत्ति तथा अपील मामलों" की लेखापरीक्षा	01	491.80
2.	सांविधिक प्रपत्रों पर कर की छूट/रियायती दर का अनियमित दावा	831	1175.83
3.	अन्य जैसे त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों पर कर की रियायत का अनियमित दावा, टीडीएस की कम कटौती कम कर जमा, बिक्री पर छूट का अनियमित दावा	38	24.02
कुल		**870**	**1691.65**

₹ 492.54 करोड़ के कुछ मामले उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

2.3 'आपत्ति एवं अपीलीय मामले' पर लेखापरीक्षा

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2004, (डीवैट अधिनियम) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1,956 (के.बि.क. अधिनियम) के अन्तर्गत निर्मित नियमों द्वारा मू.व.क. का आरोपण, निर्धारण तथा संग्रहण नियंत्रित होता है।

डीवैट अधिनियम 2004 की धारा 74 प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति जो (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए निर्धारण (इस अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत किए गए निर्धारण सहित), या (ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश या निर्णय से असंतुष्ट हो इस निर्धारण, या आदेश या निर्णय, जो भी मामला हो, पर निर्धारण, या आदेश या निर्णय, जैसा भी हो, के प्रदान किए जाने कि तिथि के दो माह के भीतर आयुक्त से आपत्ति दर्ज करा सकता है।

2009-10 से 2011-12 की अवधि को सम्मिलित करते हुए विषयक लेखापरीक्षा की गई जिसका लक्ष्य यह देखना था कि सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है, राजस्व की वसूली तुरंत हो रही है और आपत्तियों की निगरानी, दर्ज होने तथा निपटारे हेतु आन्तरिक नियंत्रण समुचित रुप से था। इन तीन विशेष आयुक्तों में एक (₹ 15 लाख से अधिक की आपत्तियाँ/अपीलें) 10 अतिरिक्त आयुक्तों में से दो (₹ 15 लाख तक की आपत्तियाँ/अपीलें) के अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

2.3.1 प्रतिप्रेषित मामलों का गलत निपटान

(i) डीवैट अधिनियम के अंतर्गत

डीवैट अधिनियम की धारा 74 की उपधारा 7 के अनुपालन में आपत्ति सुनवाई प्राधिकारी (आ. सु. प्रा.) आपत्ति को पूर्णतः या आंशिक रुप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसके अतिरिक्त 'श्री सीमेन्ट लि. बनाम सीटीटी' के मामले में डीवैट न्यायाधिकारणों के निर्णय (30 सितम्बर 2010) के अनुसार, अधिनियम में मूल्याकंन प्राधिकारियों के मामलों में प्रतिप्रेषण की शक्ति सम्मिलित नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आ. सु. प्रा. ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान 4,414 आपत्ति के मामले निर्धारक प्राधिकारी को पुनर्निधारण हेतु प्रतिप्रेषित किए (लौटाए)। आ.सु.प्रा. द्वारा मामलों के प्रतिप्रेषण के बाद आ. सु. प्रा. निर्धारक प्राधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित मामलों के निपटान पर कोई जाँच नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के लिए ₹ 5,150.27 करोड़ के 263 प्रतिप्रेषित मामलों का चयन किया, जिसके विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिए गए है:

तालिका 2.1

डीवैट अधिनियम के अंतर्गत वापसी मामलों की सुपुर्दगी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभ्युक्तियों की प्रकृति	चयनित मामलों की संख्या	शामिल माँग	वसूली गई राशि	की गई वसूली की प्रतिशतता
1.	पुनः निर्धारण	45	98.56	8.15	8.26
2	वार्ड में गुम फाईलें	14	102.28	शून्य	0.00
3	वार्ड में ओएचए के आदेशों की गैर प्राप्ति	04	10.78	शून्य	0.00
4	परिवर्तित पता/निरस्त आर सी	01	00.51	शून्य	0.00
5	मई **2010** से मार्च **2012** तक वार्ड में लंबित	23	103.28	शून्य	0.00
6	सिस्टम के अनुसार वार्डों से असंबंधित फाईलें	28	474.14	शून्य	0.00
7	वार्डो से लेखापरीक्षा को अप्राप्त उत्तर	148	4360.72	शून्य	0.00
	कुल	**263**	**5,150.27**	**8.15**	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 5,150.27 करोड़ के 263 मामलों में से विभाग ने केवल 45 मामले (17 प्रतिशत) पुननिर्धारित किए तथा ₹ 98.56 करोड़ की माँग सृजित की, किंतु मात्र ₹ 8.15 करोड़ (8.26 प्रतिशत) की राशि वसूली जा सकी। यह दर्शाता है कि विभाग में वापसी मामलों के संबंध में निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर था। आ.सु.प्रा. का मामलों को प्रतिप्रेषित करने की कार्रवाई सही नहीं थी क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत उसके पास प्रतिप्रेषण की कोई शक्ति नहीं थी।

विभाग ने (जनवरी 2014) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा कहा कि सभी लंबित पड़े मामलों का डाटा संकलित किया गया है एवं वापसी मामलों की समय से निपटान हेतु कार्रवाई की जा रही है, उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति कि ₹ 5,150.27 करोड़ के 263 मामलों में से केवल ₹ 8.15 करोड़ की वसूली की जा सकी, भ्रामक है क्योंकि मामलों की वापसी के बाद सामान्यतः माँगे वास्तविक रूप से कम हो जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 5,150.27 करोड़ की माँग स्वयं विभाग द्वारा उठाई गई थी। आगे, विभाग ने 263 मामलों में से केवल 45 मामलों को पुनर्निर्धारित किया तथा ₹ 5,150.27 की लक्षित राशि के प्रति मात्र केवल ₹ 8.15 करोड़ की वसूली की।

(ii) डीएसटी अधिनियम के अंतर्गत

दिल्ली व्यापार कर अधिनियम, 1975 की धारा 43 की उपधारा 6 यह प्रावधान करती है कि अपीलीय प्राधिकरण अपीलकर्त्ता को सुनवाई का एक मौका देने के बाद (क) निर्धारण को पुष्ट, कम, बढ़ा या रद्द कर सकता है या (ख) निर्धारण को निरस्त करते हुए निर्धारण प्राधिकारी को जैसा आदेश किया जाए, जाँच के बाद नवीन निर्धारण करने हेतु निर्देश दे सकता है, या (ग) जो आदेश उचित समझे जारी कर सकता है।

1999-2000 के दिनांक 16 जून 1999 के परिपत्र सं. 7 के अनुसार, आयुक्त (डीटीटी) ने सभी निर्धारक प्राधिकारियों को आदेश दिया कि वे उनके पास लंबित पडे सभी वापसी मामलों का तुंरत निपटान करें। संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों ने यदि समय सीमा नहीं निर्धारित की है तो इस प्रकार के सभी मामले वापसी की तिथि से एक वर्ष के भीतर निपटाए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने ₹ 57.96 करोड़ की कुल माँग के प्रत्येक ₹ 15 लाख की धनराशि वाले 35 अपील मामलों को चयनित किया, जिनका विस्तृत विवरण निम्नांकित है:

तालिका 2.2
डीएसटी अधिनियम के अंतर्गत वापसी मामलों की सुपुर्दगी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अभ्युक्ति की प्रकृति	मामलों की संख्या	विवादित धनराशि
1.	पुनर्निर्धारित	02	01.64
2.	वार्ड में अप्राप्त	03	04.26
3.	परिवर्तित पता/निरस्त आर सी	02	02.31
4.	न्यायाधिकरण के अंतर्गत	04	02.91
5.	सिस्टम के अनुसार वार्ड से असंबंधित/अन्य वार्ड में स्थानान्तरित	05	15.11
6	वार्डो से लेखापरीक्षा को अप्राप्त उत्तर	19	31.73
	कुल	**35**	**57.96**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 35 मामलों में से विभाग ने ₹ 1.64 करोड़ के केवल दो मामले पुनर्निधारित किए तथा 'शुन्य' माँग तैयार की। इस प्रकार, जनवरी 2014 तक डीएसटी की अवधि के ₹ 56.32 करोड़ के शेष 33 मामले पुनर्निर्धारण के लिए लंबित थे।

विभाग ने (जनवरी 2014) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा कहा कि विभाग के अधिकारियों को चेताया गया तथा निर्देश दिए गए कि वे डीएसटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिप्रेषित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाए।

2.3.2 निर्धारण को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण ₹ 480.12 करोड़ की माँग की वसूली न होना

डी वैट अधिनियम 2004 की धारा 34 की उपधारा (1) यह प्रावधान करती है कि आयुक्त द्वारा इस अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी निर्धारण या पुनः निर्धारण (क) व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 26 या धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि, या (ख) जिस तिथि पर आयुक्त ने उस करावधि हेतु कर का निर्धारण किया, जो भी पहले हो, उस से चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि जहाँ आयुक्त के पास यह विश्वास हो की व्यक्ति विशेष द्वारा माल को छिपाया है, छूट गया है या पूरा माल दिखानें में असफल हो तो उक्त अवधि छः वर्षों तक बढ़ा दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारक प्राधिकारियों ने अप्रैल 2005 से नवंबर 2005 की अवधि के लिए डीवैट अधिनियम की धारा 32 तथा 33 के अंतर्गत एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड की कर निर्धारण तथा ब्याज को विभिन्न तिथियों पर अंतिम रूप दिया तथा बैंक के प्रति कर ब्याज तथा दंड़ सहित ₹ 480.12 करोड़ की माँग जारी की। निर्धारण का विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3

डीफॉल्ट निर्धारणों का विवरण

क्र. सं.	कर अवधि	निर्धारण की अंतिम तय तिथि	निर्धारण की तिथि	प्रेषण/निर्धारण आदेश सौंपने की तिथि	कुल माँग* (₹ लाख में)	निर्धारण की तिथि
1	अप्रैल **2005**	27.5.2011	27.5.2011	24.6.2011	47174.06	15.12.2011
2	मई **2005**	27.6.2011	24.6.2011	02.9.2011	25.13	03.1.2012
3	जून **2005**	27.7.2011	25.7.2011	02.9.2011	113.00	03.1.2012
4	जुलाई **2005**	27.8.2011	26.8.2011	02.9.2011	55.58	03.1.2012
5	अगस्त **2005**	27.9.2011	28.9.2011	08.12.2011	66.53	30.3.2012
6	सितंबर **2005**	27.10.2011	28.10.2011	08.12.2011	96.00	30.3.2012
7	अक्टूबर **2005**	27.11.2011	23.11.2011	08.12.2011	421.34	30.3.2012
8	नवंबर **2005**	27.12.2011	20.12.2011	27.1.2012	60.47	30.3.2012
कुल					**48012.11** (अथवा **₹ 480.12** करोड़)	

** कर, ब्याज तथा दंड सहित*

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि निर्धारक प्राधिकारी ने दो मामलों को छोड़कर (क्र. सं. 5 एवं 6) निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारण आदेश जारी कर दिए थे लेकिन निर्धारण आदेश छह साल की निर्धारित समयावधि के समाप्त होने के बाद भेजे।

निर्धारिती ने डीवैट अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत डिफॉल्ट कर तथा ब्याज निर्धारण (धारा 32 के अंतर्गत) एवं उस पर दंड (धारा 33 के अंतर्गत) के प्रति आपत्ति दर्ज की। आ.सु.प्रा. ने इन निर्धारण आदेशों को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निर्धारक प्राधिकारी ने नियत तिथि पर डिफॉल्ट निर्धारण पास किया, लेकिन उन्हें निर्धारक प्राधिकारी द्वारा नियत तिथि के अंदर भेजा नहीं गया।

निर्धारण आदेशों को भेजे जाने में देरी के कारण, आ.सु.प्रा. ने सभी गलत निर्धारणों को निरस्त कर दिया। इस कारण ₹ 480.12 करोड़ की माँग की प्राप्ति नहीं हो सकी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में विशिष्ट केस संख्या तथा वार्ड संख्या दर्ज नहीं थी जिसके कारण स्पष्ट उत्तर संभव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारण तिथि, निर्धारण वर्ष, व्यापारी का नाम तथा अन्य विवरण उपलब्ध करा दिए गए थे।

2.3.3 अनियमित निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.97 करोड़ की गैर–प्राप्ति

एक सॉफ्टवेयर, जिसमें एक माड्यूल 'डीलर निर्धारण प्रणाली शामिल' है, विभाग द्वारा सितम्बर 2006 से प्रयोग की जा रही है। आयुक्त ने यह निर्देश दिया कि (मार्च 2007) सभी निर्धारण प्राधिकारी डिफॉल्ट निर्धारण आदेश इस प्रणाली द्वारा ही पारित करें। डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 32 (घ) यह प्रावधान करती है कि आयुक्त कारणों से जिन्हें लिखित में दर्ज किया जाए, अपने पूर्ण विवेक से एक करावधि या एक करावधि से अधिक हेतु बकाया शुद्ध कर की धनराशि का निर्धारण या पुनः निर्धारण एक आदेश द्वारा कर सकता है, जब तक कि ये सभी करावधियाँ एक वर्ष में ही हों।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारक प्राधिकारी ने निर्धारण वर्षों 2008-09 व 2009-10 के लिए मैसर्स ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (निर्धारिती) के विरुद्ध ₹ 7.97 करोड़ की माँग की। निर्धारिती ने आदेश के विरुद्ध आ. सु. प्रा. के पास आपत्ति दाखिल की और आ. सु. प्रा. ने यह मामला (26 अप्रैल 2010) निर्धारक प्राधिकारी को पुनः निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया। निर्धारक प्राधिकारी ने मामले का पुनः निर्धारण किया और ₹ 7.97 करोड़ की समान माँग की (25 अप्रैल 2011)। निर्धारिती ने पुनः निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक आपत्ति दाखिल की, परंतु इस बार आ. सु. प्रा. ने निर्धारण एवं हर्जानों के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निर्धारण प्राधिकारी ने आदेश कंप्यूटर सिस्टम द्वारा पारित नहीं किया तथा डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 32 (घ) के उल्लंघन में दोनों वर्षों के लिए एक आदेश पारित किया है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि वे पुराने सॉफ्टवेयरों की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए नए सॉफ्टवेयर तैयार करने की प्रक्रिया में थे। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा पैरों में विशिष्ट केस संख्या तथा वॉर्ड संख्या उल्लेखित नहीं थे जिसके कारण विभाग उपयुक्त उत्तर तैयार करने के लिए संबंधित फाईलों को खोज नहीं सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारण की तिथि, निर्धारण वर्ष, व्यापारी का नाम एवं अन्य विवरण लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करा दिए गए थे।

2.3.4 प्रतिप्रेषण के मामलों के निपटारे का लापरवाहीपूर्ण दृष्टिकोण

डीवैट अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा 7 यह प्रावधान करती है कि आ. सु. प्रा. आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, जिसमें प्रतिप्रेषित करने की शक्ति सम्मिलित नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए मेसर्स स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रिकल के मामले में निर्धारक प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप प्रदान कर (जनवरी 2011) ब्याज व हर्जाने सहित ₹ 3.71 करोड़ की माँग की। निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत आ. सु. प्रा. के पास आपत्ति दाखिल की। आ. सु. प्रा. ने इस मामले को निर्धारण प्राधिकारी को अंतःराज्यीय बिक्री लेन-देनों को

सम्बन्धित राज्य प्राधिकरणों से सत्यापित कराने और यदि कोई नकारात्मक अभिनिर्देश प्राप्त हो तो आपत्तिकर्त्ता पर शुल्क लगाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया। निर्धारिती ने इस आधार पर आ. सु. प्रा. के प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध डीवैट अधिनियम की धारा 74 (ख) के अंतर्गत इस आधार पर समीक्षा आवेदन दाखिल किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आ. सु. प्रा. के पास इस मामले का प्रतिप्रेषित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बार आ. सु. प्रा. ने निर्धारण व हर्जाना आदेश निरस्त कर दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आपत्ति के मामलों के निपटारे हेतु मामले को प्रतिप्रेषित करने की प्रक्रिया विभाग में सामान्य थी। परंतु इस मामले में आ. सु. प्रा. ने निर्धारक प्राधिकारी के आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इसके पास आपत्ति को प्रतिप्रेषित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ की माँग की प्राप्ति नहीं हो सकी।

विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि उन्होंने वापसी मामलों की निगरानी की कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए है तथा इस समस्या के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार किए जा रहे है। उन्होंने आगे कहा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफों में केस नंबर तथा वॉर्ड नंबर दर्ज नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पैरा किसी तंत्र/सॉफ्टवेयर मॉड्यूल से संबंधित नहीं है। मामला केवल यह है कि आ.सु.प्रा. के पास मामले की वापसी लेने की कोई शक्ति नहीं है। आगे, लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारण तिथि, निर्धारण वर्ष तथा व्यापारी का नाम उपलब्ध कराया गया था।

2.3.5 आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमी

आपत्तियों को दर्ज करने एवं निपटान की निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण प्रभावी नहीं था। जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों मे वर्णित है, आ.सु.प्रा. द्वारा संबंधित वार्डों में भेजे गए तथा वार्डों में उपलब्ध मामलों की संख्या में कई आपत्ति मामलों में त्रुटियाँ थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि आ.सु.प्रा. के बार–बार परिवर्तन के कारण कई फाईलें/मामले गुम थे अथवा उनका पता नही लगाया जा सका, इससे यह ज्ञात होता है कि फाईलों की आवजाही की निगरानी नहीं की गई थी।

विभाग ने (जनवरी 2014) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारा तथा कहा कि वे तकनीक की सहायता से मामलों के बेहतर नियंत्रण तथा निगरानी के लिए कदम उठा रहे है।

उपरोक्त बिंदुओं को सरकार को (अक्टूबर 2013) सूचित किया गया उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2014)।

2.4 बहुमासिक लेनदेनों वाले 'एफ' प्रपत्रों पर छूट के अनुचित दावे

सीएसटी अधिनियम की धारा 6-अ के अन्तर्गत सीएसटी (आर एण्ड टी) नियमावली के नियम 12(5) के साथ विचार करने पर, एक डीलर एक कलैण्डर माह की अवधि के दौरान उसके व्यापार के किसी अन्य स्थान पर या राज्य के बाहर उसके एजेंट या प्रधान को, जैसा भी हो, किए गए सामान के स्थानांतरण को सम्मिलित करते हुए 'एफ' प्रपत्र में घोषणा पत्र दाखिल करते हुए कर में छुट का दावा कर सकता है। अन्यथा, इन लेनदेनों को अंतर्राज्यीय बिक्री माना जाएगा और तदनुसार कर लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा में दि.व्या.क. के वार्ड 48 और 204 की अप्रैल 2012 और मार्च 2013 के बीच की गई नमूना जाँच में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2010-11 (चूक निर्धारण मामला) के दो मामलों में डीलरों ने ₹ 14 करोड़ के शाखा स्थानांतरण या परेषण बिक्री हेतु 'एफ' प्रपत्रों के आधार पर कर में छूट ली। जिनमें एक कलैण्डर माह से बाद के लेन-देनों को सम्मिलित किया गया था। जिन्हें तदनुसार वैध घोषणा पत्रों से प्रमाणित न की गई अन्तर्राज्यीय बिक्री मानना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.55 लाख के कर की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 12.55 लाख का अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (जनवरी 2014) कि एक मामले में निर्धारण किया गया है तथा ₹ 2,861 की माँग तय की। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसने ₹ 2,861 के 'सी' फॉर्मों के न पाये जाने के संबंध में उत्तर दिए है, जबकि पैरा 'एफ' फार्मों पर बहुमासिक लेन-देनों की छूट से संबंधित है।

2.5 राजस्व विभाग

2.5.1 कर प्रशासन

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (अधिनियम), दिल्ली प्रांत स्टांप नियम, 1934, दिल्ली स्टांप (दस्तावेजों के कम मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 2007 तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी के उद्ग्रहण को शासित करने वाले समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ शामिल है। वित्तीय उद्देश्यों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक उप-आयुक्त करता है । प्रत्येक क्षेत्र को तीन उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट होते है जिनके पास स्टांप कलेक्टर की शक्तियाँ भी होती है। क्षेत्रों के उप आयुक्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सब-रजिस्ट्रार कार्य करते है और उनके पास दस्तावेजों के पंजीकरण की जिम्मेदारी होती है रा.रा.क्षे. दिल्ली के अंतर्गत 16 सब-रजिस्ट्रार होते है।

2.5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राजस्व विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से संबंधित छः इकाइयों के रिकॉडों की नमूना जाँच से पता चला कि 771 मामलों में ₹ 68.46 करोड़ के गैर-उद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण तथा स्टांप ड्युटी एवं पंजीकरण शुल्क की गैर-प्राप्ति तथा अन्य अनियमितताएँ थी जो **तालिका 2.4** में वर्णित निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत आते है।

तालिका 2.4
श्रेणीवार अनियमितताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
राजस्व विभाग			
1.	"स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रह" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	43.46
2.	अन्य	770	25.00
	कुल	**771**	**68.46**

₹ 43.46 करोड़ के ''स्टांप ड्युटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रह'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा को निम्नांकित पैराग्राफों मे वर्णित किया गया है:

2.6 स्टांप डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क के उद्ग्रहण एवं संग्रह पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिंदु

- 551 मामलों में स्टांप डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क के गैर-उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 28.05 करोड़ की स्टांप डयूटी तथा ₹ 0.03 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.6.1)

- भूमि प्रयोग में परिवर्तन, गलत गणना तथा दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण 227 मामलों में स्टांप डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 5.31 करोड़ की स्टांप डयूटी तथा ₹ 0.69 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.7)

- 22 मामलों में स्टांप डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क में छुट की गलत अनुमति के कारण सरकार को ₹ 1.04 करोड़ की स्टांप डयूटी तथा ₹ 0.22 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.8.1)

- 523 कंपनियों को आबंटित शेयरों पर स्टांप डयूटी की अप्राप्ति के कारण सरकार को ₹ 8.12 करोड़ स्टांप डयूटी की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6.9.1)

2.6.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने 1 अप्रैल 2008 से ₹ 501 तथा उससे उपर की स्टांप ड्यूटी के लिए ई-स्टांपिंग लागू की। जून 2012 के बाद सभी वर्ग के स्टांप पेपरों को हटा कर सभी मूल्यों के स्टांप ड्यूटी के लिए ई-स्टांपिंग अनिवार्य कर दी गई। यद्यपि, दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) द्वारा पट्टाधारी के साथ क्रियान्वित लीज डीड़ एक अपवाद है जिसमें स्टांप ड्यूटी सरकारी खाते में नकद अथवा बैक ड्राफ्ट द्वारा चालान के माध्यम से जमा किया गया।

पंजीकरण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों पर पंजीकरण शुल्क का उद्ग्रहण के भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अधीन नियमित होता है।

2.6.2 संगठनात्मक ढ़ांचा

सचिव (राजस्व), रा.रा.क्षे.दि.स. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 तथा भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रशासन का जिम्मेदार है। उनकी सहायता के लिए एक उप-आयुक्त एवं एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट होते है।

राजस्व उद्देश्य के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली को 11 क्षेत्रों में बाँटा गया है प्रत्येक क्षेत्र की अध्यक्षता उप-आयुक्त द्वारा की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र को तीन उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख

उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट होते है जिनके पास स्टांप कलेक्टर की शक्तियाँ भी होती है। क्षेत्रों के उप-आयुक्त के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सब-रजिस्ट्रार कार्य करते है और उनके पास दस्तावेजों के पंजीकरण की जिम्मेदारी होती है रा.रा.क्षे. दिल्ली के अंतर्गत 16 'सब-रजिस्ट्रार' के कार्यालय होते है।

2.6.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क सही तरीके से निर्धारित किए जाए, उद्ग्रहित किए जाए एवं लागू अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुरूप वसूले जाए,
- स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में निष्पादक द्वारा दावा किए गए छूट के दावे को सब-रजिस्ट्रार ने सही रूप से अनुमति प्रदान कर दी, तथा
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण लागु हो जो कि स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के सही उद्ग्रहण तथा संग्रहण को साथ-साथ सुनिश्चित कर सकें।

2.6.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं क्रियाविधि

राजस्व विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. की 2010-13 की अवधि को शामिल करते हुए मई 2013 से अगस्त 2013 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। निर्णायक आधार पर 16 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में से छः[1] को विस्तृत परीक्षण हेतु चुना गया। इन चयनित कार्यालयों में से चयनित चार महीनों[2] मई 2013 से अगस्त 2013 से संबंधित सभी दस्तावेजों (भवनों के पुनर्निर्माण के लिए डेवलपर्स एग्रीमेंट एवं कृषि भूमि के उपयोग के परिवर्तन को शामिल करते हुए) की संवीक्षा की । प्रति-परीक्षा हेतु, लेखापरीक्षा ने निजि उद्यमियों के साथ स्थानों, दुकानों, टॉलो इत्यादि के लिए करारों, संविदाओं, लीजडीड इत्यादि के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी), पूर्वी दिल्ली नगर निगम (इ डी एम सी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी) तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एस डी एम सी) एवं नई दिल्ली नगर निगम (एन डी एम सी) से सूचनाएँ संकलित की। नई दिल्ली नगर परिषद (एन डी एम सी) ने इसके संबंध में लेखापरीक्षा माँग का कोई उतर नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, विभाग के पहले के नियमित लेखापरीक्षाओं के लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस प्रतिवेदन में भी शामिल किया गया है।

जुलाई 2013 में लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्रों, मानकों एवं क्रियाविधि पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव (राजस्व) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक निकास सम्मेलन जनवरी 2014 को किया गया जिसमें विशेष सचिव (वित्त) के साथ लेखापरीक्षा उपलब्धियों पर चर्चा की गई तथा इस दौरान विभाग द्वारा दिए गये उत्तरों को उपयुक्त रूप प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया।

[1]अलीपुर, गीता कॉलोनी, जनक पुरी, कापसहेड़ा, कश्मीरी गेट तथा मेहरौली में उप–रजिस्ट्रार कार्यालय
[2]फरवरी 2011, नवम्बर 2011, दिसम्बर 2012, मार्च 2013

2.6.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत निम्नलिखित थेः

- भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908
- दिल्ली स्टांप (दस्तावेजों के कम-मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 2007
- दिल्ली पंजीकरण नियम, 1976
- दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 के साथ दिल्ली भूमि (हस्तान्तरण पर रोक) अधिनियम, 1972
- समय–समय पर जारी अधिसूचनाएँ

लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ

2.6.6 स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का गैर–उद्ग्रहण

2.6.6.1 डीएमआरसी एवं दि.न.नि. द्वारा लीज डीड को पंजीकृत नहीं कराए जाने के कारण स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का गैर–उद्ग्रहण

1899 के भारतीय स्टांप अधिनियम (स्टांप अधिनियम) की धारा 2(16) के अनुसार, 'लीज' का अर्थ अचल संपत्ति की लीज, एक पट्टा, एक कबुलियत अथवा लिखित में कोई शपथ होता है, जो लीज का प्रतिरूप ना हो, जो अचल संपत्ति के लिए किराया देने, भुगतान करने अथवा अधिकार में रखने के लिए लीज का प्रतिरूप है। आगे, स्टांप अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची 1-ए की मद सं. 35 के अनुसार, अचल संपत्ति को लीज या पुनः लीज पर दिए जाने अथवा किराए या पुनः किराए पर दिए जाने संबंधी संविदाओं के दस्तावेज पर स्टांप ड्यूटी प्रभार योग्य है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) (डी) प्रावधान करता है कि अचल संपत्तियों की लीज वर्ष दर वर्ष अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अथवा एक वर्ष के लिए तय किराए को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करता चाहिए। लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी किराए की आरक्षित राशि के बराबर तथा लीज की अवधि के आधार पर निर्धारित दरों पर प्रभार योग्य होती है।

(i) मार्च 2013 में डी.एम.आर.सी. से प्राप्त सूचनाओं से पता चला कि इसने 2008-09 से 2012-13 के दौरान एक से 99 वर्षों की अवधि के लिए 345 मामलों में ₹ 3,092.34 करोड़ के कुल प्रतिफल हेतु निजी उद्यमियों को पार्किंग, वाणिज्यिक, अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि तथा उपलब्ध मुक्त स्थानों का लीज पर आबंटन किया। यद्यपि, डी.एम.आर.सी. ने ना तो इन संपत्तियों के मामले में लीज डीड को पंजीकृत किया और ना ही लीज डीड के पंजीकृत कराने हेतु पट्टाधारियों पर संविदात्मक बाध्यता रखी। इसप्रकार डी.एम.आर.सी. अथवा पट्टाकर्त्ता द्वारा लीज डीड को पंजीकृत नहीं कराए जाने के कारण सरकार को ₹ 11.96 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.02 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की राजस्व हानि हुई।

डीएमआरसी ने (जून 2013) अपने उतर में कहा कि वे मेट्रो यात्रियों को प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु तक पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराते है। पार्किंग क्षेत्र पार्किंग ठेकेदारों को लाइसेंस पर मासिक शुल्क सहित आबंटित किए गए थे। लीज के विपरीत, लाइसेंस सीमित उपयोग अर्थात् डीएमआरसी द्वारा पार्किंग

प्रभारों के संग्रह हेतु प्रदान किए गए थे। इसीलिए, स्टांप पेपर पर तैयार किए गए लाइसेंस समझौते को पंजीकृत नही कराया गया।

डीएमआरसी के तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लीज में किराया अथवा उप किराए पर दिए जाने के समझौते शामिल है तथा इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराए जाने की आवश्यकता थी।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2013) कि स्टांप ड्यूटी के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जा रहे है कि ऐसे सभी ऐजेंसियों/पट्टाकर्त्ताओं/पट्टाधारियों को सूचित करे कि लीज डीड अनिवार्य रूप से पंजीकरणीय है तथा ऐसा नहीं करने पर दंड़ एवं अभियोजन के भागी बनेंगे।

(ii) दिल्ली नगर निगम (त्रिखंडीय विभाजन से पूर्व) से मार्च 2013 में प्राप्त सूचनाओं से पता चला कि मई 2008 से मई 2014 तक की अवधि में दो अवसरों पर टोल संग्रह हेतु निजि उद्यमियों के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए (मई 2008 से मई 2011 तथा मई 2011 से मई 2014) ₹ 1499.50 करोड़ की कुल राशि हेतु संविदा किए। इसके अतिरिक्त, इसने वर्ष 2003 से 2008 तक की अवधि हेतु प्रारम्भ में एक वर्ष (मई 2003 से अप्रैल 2004 तक) और इसके बाद मई 2008 तक दो विस्तारों सहित ₹ 404.01 करोड़ के कुल प्रतिफल हेतु एक और संविदा भी की। यद्यपि, दि.न.नि. ने ना तो लीज डीड़ों को पंजीकृत कराया और न ही पट्टाधारियों पर इन लीज डीडों के पंजीकरण की संविदात्मक बाध्यता रखी। इस प्रकार, दि.न.नि. एवं पट्टाधारियों की ओर से लीज डीडों को पंजीकृत कराने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.83 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.01 लाख के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

दि.न.नि. ने अपने उतर (अगस्त 2013) में कहा कि टेंडर आमंत्रित करने के बाद इन्होंने टोल संग्रह तथा टोल प्लाजा विकास के लिए सेवा संविदा की। ठेकेदारों को निगम की सेवाएं प्रदान करने के लिए संग्रह प्रभार का भुगतान किया। आगे, दि.न.नि. ने स्टांप अधिनियम की धारा 3 की शर्त 1 के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी के भुगतान से छूट का दावा किया।

दि.न.नि. का उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि वह दस्तावेज जिसके द्वारा टोल संग्रह करने का अधिकार दिया गया था, स्टांप अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 14 के अनुसार एक प्रपत्र था, इसीलिए सभी प्रपत्र जिनसे किसी भी प्रकार का टोल पट्टे पर दिया जाता है वह स्टांप अधिनियम में पट्टाधारी के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

(iii) रा.रा.क्षे. दिल्ली के तीन नगर निगमों (इ डी एम सी, एन डी एम सी एवं एस डी एम सी) ने दो से छः वर्ष की अवधि के लिए 203 मामलों में ₹ 215.80 करोड़[3] की कुल धनराशि के लिए निजी उद्यमियों के साथ पार्किंग क्षेत्रों हेतु संविदा एवं समझौते किए। यद्यपि निगमों ने इन पार्किंग क्षेत्रों के मामले में लीज डीडों को ना तो पंजीकृत कराया और ना ही पट्टाधारियों पर कोई संविदात्मक बाध्यता रखी कि वे इन लीज डीडों को पंजीकृत कराएँ।

इस प्रकार, निगमों अथवा पट्टेधारियों द्वारा पार्किंग क्षेत्रों के लिए लीज डीडों को पंजीकृत नहीं कराए जाने के कारण सरकार को ₹ 1.26 करोड़[4] की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.01 करोड़[5] के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

[3] इ डी एम सी ₹ 4.07 करोड़, एन डी एम सी ₹ 68.74 करोड़ तथा एस डी एम सी ₹ 142.99 करोड़
[4] इ डी एम सी ₹ 0.04 करोड़, एन डी एम सी ₹ 0.48 करोड़ तथा एस डी एम सी ₹ 0.74 करोड़
[5] इ डी एम सी ₹ 0.26 लाख, एन डी एम सी ₹ 0.73 लाख तथा एस डी एम सी ₹ 0.34 लाख

विभाग ने कहा (मार्च 2014) कि मुख्य समाचारपत्रों में पट्टाकर्त्ताओं एवं पट्टाधारियों की लीज डीड़ों के पंजीकरण तथा पंजीकरण नहीं कराए जाने के परिणामों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनसूचना जारी किए जाने का विचार है।

2.6.7 स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिनांक 18 जुलाई 2007[6] की अधिसूचना के दवारा भूमि एवं भवन के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम सर्कल दरें लागू की जिन्हें फरवरी 2011, नवंबर 2011 तथा दिसंबर 2012 में संशोधित किया। विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों (ए से एच) के लिए अलग सर्कल दरें लागू की गई जैसा कि दिल्ली स्टांप (दस्तावेजों के कम मुल्यांकन की रोकथाम) नियम, 2007 के अनुलग्नक-I में विनिर्दिष्ट है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में संपत्ति के पंजीकरण के समय, धनराशि के लिए स्टांप ड्यूटी इन्हीं दरों पर प्रभावित की जाती है। लेखापरीक्षा ने स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण के मामले देखे जिन्हें निम्न उप–अनुच्छेदों में वर्णित किया जा रहा है।

(i) भूमि प्रयोग में परिवर्तन के कारण स्टांप ड्यूटी का कम उद्ग्रहणः रा.रा.क्षे. दिल्ली के संपूर्ण क्षेत्रों को ए से एच अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया। जबकि स्कुलों, कॉलेजों, अस्पतालों तथा औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि की लागत की गणना करने के लिए दो या तीन गुणात्मक उपयोगी कारक लागू किए जाने चाहिए। संपत्ति के पंजीकरण के समय क्षेत्र की श्रेणी के आधार पर, संपत्ति के क्षेत्रफल को न्यूनतम दर से गुणा कर निकाली गई कुल राशि से स्टांप ड्यूटी की गणना तथा प्रभारित किया जाना चाहिए। यद्यपि, 49 मामलों में, दो या तीन के बदले एक गुणात्मक उपयोगी कारक लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ के स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.56 करोड़ के पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(ii) गलत गणना के कारण स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहणः 65 मामलों में, विभिन्न कारणों जैसे गलत श्रेणी, गलत गणना, क्षेत्रफल में विचलन, भूमि के मूल्य में त्रुटि इत्यादि के कारण स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क की प्रतिफल राशि पर गलत गणना की गई। गलत गणना के कारण ₹ 0.58 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.10 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

(iii) दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहणः आदेश[7] के अनुसार, बिना प्रतिफल राशि के पॉवर ऑफ एटार्नी कर्त्ता को स्थायी रूप से अचल संपत्ति को हस्तान्तरित करने की शक्ति देता है अथवा यह प्रकृति से अपरिवर्तनीय है अथवा किसी वसीयत से संबंधित है, ऐसे दस्तावेज को कन्वेशंस डीड़ अथवा अधिनियम के शेड्यूल 1 ए की धारा 48(एफ) के अनुसार एक दस्तावेज के रूप में पुनः लिखा जाना चाहिए। स्टांप अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची-1 ए के मद 48 (एफ) के अनुसार, किसी अचल संपति को बेचने के लिए अटार्नी को अधिकार दिए जाने हेतु जब पॉवर ऑफ अटार्नी दी जाती है तब स्टांप अधिनियम की अनुसूची 1 ए की मद 23 के अनुसार 'कन्वेएंश डीड' पर ड्यूटी उद्ग्रहणीय है।

107 मामलों में अचल संपतियों को बेचने के लिए प्राधिकृत करते हुए प्रतिफल हेतु पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गई। यद्यपि, कन्वेएंश डीड़ पर प्रभार्य स्टांप ड्यूटी की सामान्य दर से आधी दर का भुगतान किया।

[6] अधिसूचना सं. एफ 2(12)/वित्त(ई.1)पार्ट फाईल/वॉल्यू–1(पप)/3548 दिनांक 18 जुलाई 2007
[7] सं. एफ पी एस/डी सी डबल्यू/03/एस आर/1022/3087–3157 दिनांक 16 जून 2004

आगे, छः मामलों में पॉवर ऑफ अटॉर्नी बगैर प्रतिफल राशि के दी गई तथा चार तथा छः प्रतिशत के प्रभार्य डयूटी दर की तुलना में ₹ 1050 की दर से प्रत्येक डीड पर स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, 'कन्वेएंश डीड़' के बजाए दस्तावेज को 'जीपीए' के रूप में गलत वर्गीकरण करने के कारण सरकार को ₹ 1.52 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा ₹ 0.03 करोड़ के पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कहा कि इसने सभी स्टांप कलेक्टरों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण स्टांप डयूटी का निर्धारण करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कह दिया है।

2.6.8 स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क में छूट की गलत अनुमति

2.6.8.1 बंधक पत्र पर गलत छूट की अनुमति देना

वित्त विभाग (कर एवं स्थापना), रा.रा.क्षे.दि.स. के दिनांक 14 मार्च 2006 की अधिसूचना[8] के अनुसार, रा.रा.क्षे. दिल्ली में किसानों को कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए व्यावसायिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा ₹ 5 लाख तक के कृषि ऋण के दस्तावेज़ो पर स्टांप ड्यूटी के भुगतान से छूट मिली हुई थी। आगे, 1 जुलाई 2010 (जून 2011 में संशोधित) की अधिसूचना[9] के अनुसार, दस्तावेजों (बंधक पत्र), पंजीकरण शुल्क कुल प्रतिफल राशि का एक प्रतिशत, न्यूनतम एक हजार रुपये अथवा सर्किल दर के अनुसार राशि, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 22 मामलों में विभाग ने व्यापार के विकास के उद्देश्य से लिए गए ऋणों के लिए बंधक पत्रों में ₹ 1.04 करोड़ के स्टांप ड्यूटी में उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत कृषि ऋण के ऋण की तरह मानते हुए छुट दी। आगे, 14 मामलों में पंजीकरण शुल्क का भुगतान आंशिक रूप से किया गया तथा शेष आठ मामलों में किसी पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया जिसके कारण ₹ 0.22 करोड़ के पंजीकरण शुल्क का कम भुगतान हुआ।

इस प्रकार बंधक पत्र पर गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ की स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क की हानि हुई।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कहा कि इसने सभी स्टांप कलेक्टरों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार त्रुटिपूर्ण स्टांप डयूटी का निर्धारण करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कह दिया है।

2.6.9 स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का अपवंचन

2.6.9.1 शेयरों इत्यादि पर ₹ 8.12 करोड़ की स्टांप ड्यूटी की गैर वसूली

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 75(1) (क) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा कम्पनी मामलों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में फार्म 2 'आबंटन की रिटर्न' में एक रिटर्न फाइल किया जाना होता है। तथा शेयरों के आवंटन का विवरण तथा राजस्व विभाग में स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होता है तथा उसके बाद अंशदाता को शेयर जारी किए जाते है।

[8] सं. एफ 5(8)/वित्त/टी एण्ड ई/2005–06/1415 केएचए–1422 केएचए दिनांक 14.03.2006
[9] सं. एफ 1(36)/पंजी शा./मु./सं. आ./2010/353 दिनांक 01 जुलाई 2010

आगे, इसके बाद स्टांप अधिनियम की धारा 40 प्रावधान करती है कि यदि कम्पनी स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने में असफल होती है तो स्टांप ड्यूटी की राशि दस गुणा से कम जुर्माने सहित स्टांप वसूल करनी चाहिए। अधिनियम की धारा 48 प्रावधान करता है कि कलैक्टर को सभी देय तथा जुर्माना उस व्यक्ति जिससे यह देय है कि चल सम्पत्ति की बिक्री तथा कुर्की से, या किसी अन्य प्रक्रिया से वसूल की जानी चाहिए।

स्टांप अधिनियम की धारा 3 के शेड्यूल 1 क की मद संख्या 19 के अनुसार शेयरों का आबंटन पर स्टांप ड्यूटी प्रत्येक हजार पर एक रूपया देय होगा या शेयरों के मूल्य, स्टॉक या पावती पत्र का एक भाग होगा।

कार्यालय महानिरीक्षण पंजीकरण से एकत्र सूचना के अनुसार ₹ 10,000 से अधिक स्टांप ड्यूटी वाले मामले दर्शाते हैं कि 523 कंपनियों ने ₹ 12,709 करोड़ के शेयरों के आवंटन पर ₹ 8.12 करोड़ की स्टांप ड्यूटी जमा नहीं कराई।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2014) में कहा कि इसने इन कम्पनियों को नोटिस जारी किया है। जैसे ही ये कम्पनियाँ आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगी, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टांप डयूटी प्रभारित किया जाएगा।

2.6.10 आंतरिक नियंत्रण

एक विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि इसकी गतिविधियाँ निर्धारित नियमों तथा विनियमों के अनुसार एक मितव्ययी तथा प्रभावी तरीके से प्रचालित हो। विभाग में नियंत्रण-तंत्र अधिनियम, नियमों, मैनुअल तथा निर्देशों के संग्रह से मार्गदर्शित होना चाहिए ताकि सरकारी संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकार द्वारा राजस्व सही तरीके से उद्ग्रहित एवं प्राप्त किया जा सके। उचित ड्यूटी की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली प्रभावी नहीं थी जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में टिप्पणी की गई है। लेखापरीक्षा में कमजोर नियंत्रण के अन्य मामले आगे पैराग्राफों में दिए गए है।

2.6.10.1 उचित ड्यूटी की प्राप्ति की आश्वस्तता के लिए मानिटरिंग प्रणाली का अभाव

भारतीय स्टांप अधिनियम की धारा 33 के उपबंध (3) के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन से कार्यालयों को लोक कार्यालय समझा जाए तथा कौन से व्यक्तियों को लोक कार्यालयों के प्रभारी माना जाए। इसके बाद, धारा 73 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक लोक अधिकारी की सुरक्षा में रिकॉर्डों, दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं का होना निरीक्षण जो किसी शुल्क की सुरक्षा को इंगित करे, या किसी शुल्क के संबंध में कोई कपट या चूक की खोज को सिद्ध या प्रेरित करे तो उचित समय पर कलैक्टर किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप से प्राधिकृत कर ऐसे उद्देश्य से रिकार्ड, दस्तावेजों तथा प्रविधियों आदि का निरीक्षण करा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व विभाग ने तय अथवा घोषित नहीं किया था कि किस कार्यालय को लोक कार्यालय समझा जाए तथा लोक कार्यालय में किस व्यक्ति को प्रभारी माना जाए। इस प्रकार, विभाग के पास विभिन्न विभागों लोक कार्यालयों से सूचना एकत्र करने हेतु प्रणाली नहीं थी ताकि

सुनिश्चित किया जाए कि दस्तावेज जैसे करार, लीज, कन्वेएंश डीड इत्यादि ठीक प्रकार से पंजीकृत किए गए है तथा स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त किए गए है।

2.6.10.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा निदेशालय, रा.रा.क्षे. दि.स. राजस्व विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजित करता है। निदेशालय ने 2011-12 की अवधि तक मात्र तीन कार्यालयों[10] की लेखापरीक्षा आयोजित की थी। वर्ष 2012-13 हेतु कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई।

2.6.11 निष्कर्ष

संपतियों के कम-मूल्यांकन, भूमि प्रयोग तथा श्रेणी में परिवर्तन, निष्पादनकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी के कम भुगतान, बंधक पत्र पर अनियमित छूट एवं शेयरों के जारी किए जाने में स्टांप ड्यूटी का अपवंचन से संबंधित स्टांप ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क के अपवंचन/कम भुगतान के मामले थे। इनमें सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन द्वारा स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से बचने, पंजीकरण प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत न किया जाना तथा निष्पादकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कम स्टांप शुल्क अदा करने के मामले थे। विभाग पंजीकरण–योग्य दस्तावेजों को प्राप्त करने वाले विभिन्न कार्यालयों से समन्वय न कर सका जिससे राजस्व हानि हुई जिसका पता न चल सका। विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी।

2.6.12 अनुशंसाएँ

सरकार विचार कर सकती है:

- बंधकपत्र के समझौतों का क्रियान्वयन करने वाले विभिन्न कार्यालयों द्वारा राजस्व विभाग को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संख्या व प्रकृति व कम स्टांप शुल्क व पंजीकरण शुल्क अदा किए जाने पर एक अवधि-वार विवरणी प्रस्तुत किए जाने का निर्धारण करने पर विचार कर सकती है।
- उन सभी कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया जाए जिनमें दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते है तथा संबंधित जिलों/क्षेत्रों के रजिस्ट्रारों/उप-रजिस्ट्रारों द्वारा इन लोक कार्यालयों के निरीक्षण के मानकों/लक्ष्यों को निर्धारित कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाने योग्य दस्तावेजों को संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया जा रहा है तथा उन पर सही स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को मजबूत किया जाए।

[10] कार्यालय महानिरीक्षक पंजीकरण, सब–रजिस्ट्रार कार्यालय गीता कॉलोनी तथा महरौली

भाग-ख

अध्याय-III

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

अध्याय–3
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

3.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) में राज्य सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2013 तक 17 पीएसयू (सभी कार्यशील) थे, जिनमें 15 सरकारी कम्पनियाँ[1] एवं दो सांविधिक निगम[2] सम्मिलित थे। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज नहीं थी। 31 मार्च 2013 तक पीएसयू में निवेश ₹ 28,043.99 करोड़ था।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से की जाती है। धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत सरकार द्वारा धारण किया जाता है। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायिका को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत किसी भी योग में सरकार, सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारण किया जाता है कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अनुसार सरकारी कम्पनी (मानित सरकारी कम्पनी) ही मानी जाएगी।

राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है। दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प. दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्त निगम के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन चार्टर्ड अकाउण्टैन्ट्स द्वारा और पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा आयोजित की जाती है।

3.3 राज्य पीएसयू में निवेश

31 मार्च 2013 तक 17 पीएसयू में निवेश ₹ 28,043.99 करोड़ था, जो **तालिका 3.1** में दिया गया है:

[1](i) दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक, विक्लांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (ii) दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (iii) शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (iv) दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (v) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (vi) इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (vii) प्रगति पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (viii) डी एस आई आई डी सी एनर्जी लिमिटेड (ix) दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (x) दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम लिमिटेड (xi) जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (xii) डी एस आई आई डी सी मेनटीनेन्स सार्विसेज लिमिटेड (xiii) डी एस आई आई डी सी एक्जिम लिमिटेड (xiv) डी एस आई आई डी सी लिकर लिमिटेड (xv) दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम

[2](i) दिल्ली वित्तीय निगम और (ii) दिल्ली परिवहन निगम

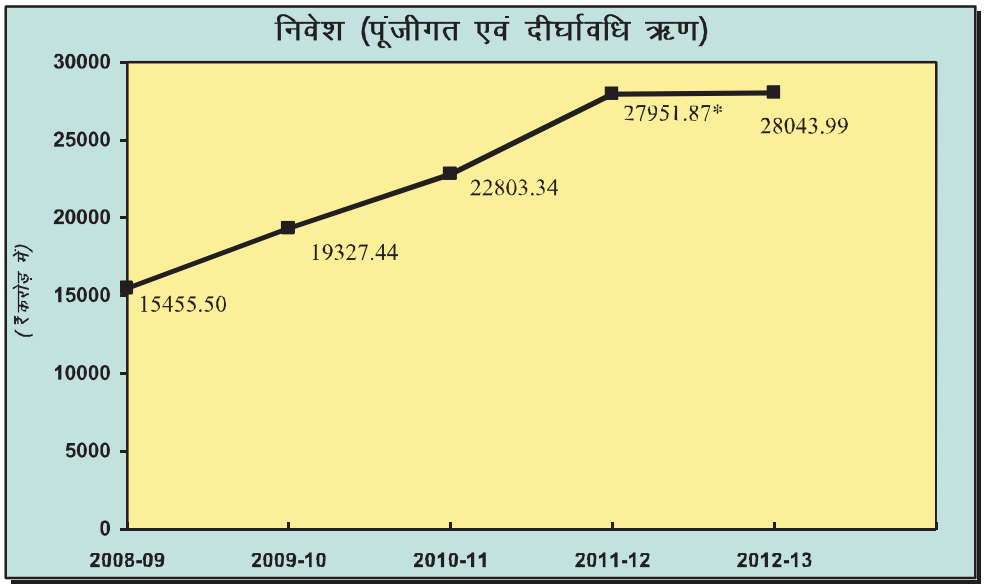
तालिका 3.1
पीएसयू में निवेश

(₹ करोड़ में)

	संख्या	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	15	7,607.72	6,659.96	14,267.68
सांविधिक निगम	2	2,010.09	11,766.22	13,776.31
कुल	**17**	**9,617.81**	**18,426.18**	**28,043.99**

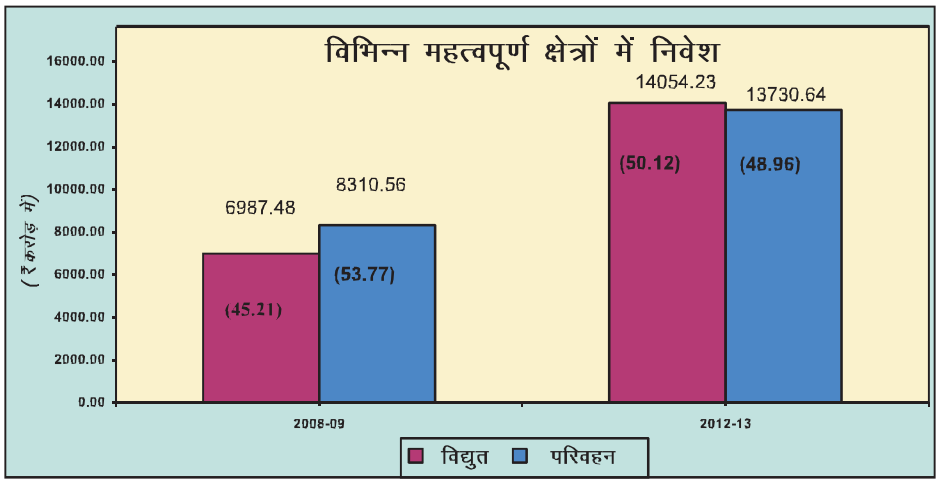
राज्य पीएसयू में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति ***अनुलग्नक 3.1*** में दी गई है।

31 मार्च 2013 तक, राज्य पीएसयू में कुल निवेश में 34.30 प्रतिशत पूँजी के लिए और 65.70 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के लिए था। पूँजी निवेश 2008-09 में ₹ 6,545 करोड़ से 46.94 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 9,617.81 करोड़ हो गया जबकि ऋण निवेश 2008-09 में ₹ 8,910.50 करोड़ से 106.79 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 18,426.18 करोड़ हो गया, जैसा कि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:



** लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर परिवर्तित आँकड़े।*

31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2013 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।



* *लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर परिवर्तित आँकड़े।*

पीएसयू में निवेश पर जोर परिवहन तथा विद्युत क्षेत्रों में था। परिवहन क्षेत्र में निवेश 2008-09 में ₹ 8,310.56 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 13,730.64 करोड़ हो गया। कुल निवेश में इसका प्रतिशत अंश 53.77 प्रतिशत (2008-09) से गिरकर 48.96 प्रतिशत (2012-13) हो गया। विद्युत क्षेत्र में, निवेश 2008-09 में ₹ 6,987.48 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 14,054.23 करोड़ हो गया, कुल निवेश में इसका प्रतिशत अंश 45.21 प्रतिशत (2008-09) से बढ़कर 50.12 प्रतिशत (2012-13) हो गया।

3.4 बजटीय व्यय, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारण्टी तथा ऋण

राज्य पीएसयू से संबंधित बजटीय व्यय से जारी की गई अंशदान, ऋणों, अनुदानों/आर्थिक सहायता एवं जारी गारण्टी और अंशदान में बदले गए ऋणों का विवरण ***अनुलग्नक 3.2*** में दिया गया है। 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2

राज्य पीएसयू को बजटीय व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11		2011-12		2012-13	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंशदान पूँजी व्यय	3	222.89	5	1,161.65	4	743.55
2.	बजट से दिया गया ऋण	1	2,128.60	5	1,196.36	4	770.00
3.	प्राप्त अनुदान/ आर्थिक सहायता	7	273.00	5	917.03	5	1271.40
4.	कुल व्यय[3] (1+2+3)	8	2,624.49	9	3,275.04	7	2784.95
5.	अंशदान में परिवर्तित ऋण	1	2,39.00	-	-	-	-

[3] पीएसयू की वास्तविक संख्या जिन्हें बजटीय सहायता प्राप्त हुई।

3.5 वित्तीय लेखों से मिलान

राज्य पीएसयू के अभिलेखों में बकाया अंशदान, ऋणों तथा गारण्टियों के आँकड़े राज्य के वित्तीय लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो वित्त विभाग और सम्बन्धित पीएसयू को अन्तर का समन्वय स्थापित करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2013 तक की स्थिति **तालिका 3.3** में दी गई है:

तालिका 3.3
वित्तीय लेखों से मिलान

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
अंशदान[4]	8,581.24	8,601.16	(-) 19.92
ऋण[5] (3पीएसयू)	11,807.79	11,736.14	(-) 71.65

यह पाया गया कि छः[6] पीएसयू के संबंध में अंशदान और ऋण के आंकड़ों में अन्तर था और कुछ अन्तरों का समाधान पिछले पांच वर्षों से लम्बित था। सरकार व पीएसयू को एक समयबद्ध ढंग से अन्तरों का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

3.6 पीएसयू का निष्पादन

नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को **अनुलग्नक 3.3** में दर्शाया गया है। 17 कार्यशील पीएसयू[7] जिनके लेखे 30 सितम्बर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से नौ पीएसयू ने ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयू को ₹ 2,543.67 करोड़ का घाटा हुआ और एक पीएसयू में न हानि न लाभ की स्थिति थी। लाभ में प्रमुखतः योगदान करने वाले दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 327.19 करोड़), प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 321.91 करोड़), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 195.42 करोड़), इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 139.44 करोड़) और दिल्ली पर्यटन व यातायात विकास निगम लिमिटेड (₹ 33.69 करोड़) थे। दिल्ली परिवहन निगम (₹ 2,431.07 करोड़) तथा दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड (₹ 112.48 करोड़) को भारी घाटा हुआ।

नि.म.ले.प. के पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा से पता चलता है कि राज्य पीएसयू को लगभग ₹ 1,448.04 करोड़ की हानि हुई जिन्हें बेहतर प्रबन्धन से नियंत्रित किया जा सकता था तथा जिसमें से ₹ 182.89 करोड़ (एक निष्पादन लेखापरीक्षा और सात पैराग्राफ) चालू वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबन्धित है। वर्षवार विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

[4] अंशदान आंकड़े में केवल राज्य सरकार का अंश सम्मिलित है।

[5] ऋण आंकड़ों कम्पनियों के अभिलेखों से लिए गए थे और उनका मिलान पी ए ओ से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया था।

[6] कम्पनियों के लिए चार पी ए ओ में से 3 कम्पनियों के संबंध में दो पी ए ओ की सूचना प्राप्त की गई थी। शेष आंकड़े प्रतीक्षित थे।

[6] अनुलग्नक 3.1 में क्रम सं. 2,3,11,15 और 17 पर कम्पनियों के अंशदान के आँकड़े तथा क्रम सं. 10,15 और 17 पर कम्पनियों के ऋणों के आंकड़े।

[7] वर्ष 2003-04 के लिए (एक पीएसयू); 2010-11 के लिए (एक पीएसयू); 2011-12 के लिए (एक पीएसयू); 2012-13 के लिए (14 पीएसयू)

तालिका 3.4
पीएसयू की नियंत्रित किए जाने योग्य हानियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार हानि जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता था।	5.80	1,259.35	182.89

नौ[8] पीएसयू ने उनके नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 1,029.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया परन्तु दो कम्पनियों अर्थात् डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी ने क्रमशः ₹ 2.46 करोड़ और ₹ 0.63 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

3.6.1 दो विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् बीएसईएस- राजधानी पॉवर लिमिटेड (बीआरपीएल) एवं बीएसईएस-यमुना पॉवर लिमिटेड (बीवाईपीएल) अप्रैल 2007 एवं उसके आगे से विद्युत उत्पादन कम्पनियों- इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) एवं प्रगति पावर कम्पनी लिमिटेड (पीपीसीएल) से विद्युत का क्रय कर रही थीं। समझौते के अन्तर्गत नियमन के लिए भुगतान प्रतिभूति क्रियाविधि को लागू करने अथवा समय पर नोटिस जारी करने में इन कम्पनियों की विफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2013 तक बकाया देयों का संचयन लगभग ₹ 2,454.89 करोड़ (पीपीसीएल ₹ 1,229.37 करोड़ तथा आईपीजीसीएल ₹ 1,225.52 करोड़) था।

3.7 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कम्पनी अधिनियम 1956 के धाराओं 166, 210, 230, 619 और 619-बी के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष के अंत से छः महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 30 सितम्बर 2013 को कार्यशील पीएसयू के लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5
लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

क्र. सं.	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	कार्यशील पीएसयू की संख्या	12	12	13	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	11	14	11	12	21
3.	बकाया में लेखों की संख्या	11	9	11	16	12
4.	प्रति पीएसयू औसत बकाए (3/1)	0.92	0.75	0.85	0.94	0.71
5.	कार्यशील पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	3	3	4	8	3[9]
6.	बकायों का विस्तार	1 से 9 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 9 वर्ष

[8] अनुलग्नक 3.3 में क्रम सं. 1,2,5,6,7,9,10,11 एवं 16।

[9] अनुलग्नक 3.3 का क्रम सं. 1,15 एवं 17। पीएसयू के संदर्भ में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए लेखे क्रमशः क्रम संख्या 15 व 17 पर, यद्यपि सितम्बर 2013 में प्राप्त किए गए लेखों को 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था।

2008-09 में प्रति कार्यशील पीएसयू बकाया खातों की औसत संख्या 0.92 से घटकर 2012-13 में 0.71 हो गई। एक पीएसयू अर्थात् दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नौ वर्षों के खातों का बृहत अवशिष्ट कार्य था। अन्य पीएसयू के पास 30 सितम्बर 2013 तक केवल एक से दो वर्षों के लेखों का बकाया था।

राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान तीन पीएसयू में ₹ 1,133.24 करोड़ (अंशदानः ₹ 229.43 करोड़, ऋणः ₹ 112.49 करोड़ और अनुदान/आर्थिक सहायताः ₹ 791.32 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखों को अभी अंतिम किया जाना शेष था, जिसका विवरण **अनुलग्नक 3.4** में दिया गया है। खातों की अनुपलब्धता और तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश व उसमें हुए व्यय को समुचित लेखों में सम्मिलित कर लिया गया है तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि का निवेश किया गया है वह पूर्ण हुआ है या नहीं। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

प्रशासकीय विभागों पर इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी का तथा यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है कि लेखों को इन पीएसयू द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम रूप दिया और अंगीकृत किया जाए। परिणामस्वरूप इन पीएसयू के निवल मूल्य का आकलन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के द्वारा एक समयबद्ध ढंग से बकाया लेखों के शीघ्र निपटान हेतु लेखों को अंतिम रूप देने के मामले को प्रतिमाह प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के साथ उठाया जाता है। दिसम्बर 2013 में इस मामले को प्रमुख सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया।

3.8 लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण

15 कार्यशील कम्पनियों ने अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान अपने 20 लेखापरीक्षा किए गए लेखों को अग्रेषित किया। इनमें से 11 लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए और नौ लेखों को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु चुना गया था। इसी प्रकार, दो कार्यशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखों को अग्रेषित किया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया हैः

तालिका 3.6

सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल धन मूल्य

(₹ करोड़+ में)

क्र. सं.	विवरण	कम्पनी				निगम			
		2011.12		2012.13		2011.12		2012.13[10]	
		खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि	खातों की संख्या	धन राशि
1.	लाभ में कमी	3	10.68	2	2.98	1	0.10	-	-
2.	लाभ में वृद्धि	1	47.55	4	66.76	-	-	1	0.01
3.	हानि में वृद्धि	1	220.31	1	850.59	1	11.34	1	549.70
4.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	-	-	4	1,328.86	-	-	2	10.71
5.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	2	22.71	2	7.30	2	18.68	-	-

[10] लेखाओं पर टिप्पणियों का प्रभाव दिल्ली परिवहन विभाग के सम्बन्ध में वर्ष 2011–12 के लिए है तथा दिल्ली वित्त निगम के सम्बन्ध में वर्ष 2012–13 के लिए।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 12 लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और आठ लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त नि.म.ले.प. ने पूरक लेखापरीक्षा के बाद तीन लेखों को सशर्त प्रमाणपत्र, सात लेखों को बिना-शर्त प्रमाणपत्र और नौ लेखों को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र प्रदान किया। एक लेखा अर्थात् दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) को वर्ष 2011-12 के लिए 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था। वर्ष के दौरान लेखा मानकों के अनुपालन न होने के नौ दृष्टान्त थे।

इसी प्रकार, दो निगमों के तीन लेखों में से दिल्ली वित्त निगम ने सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं नि.म.ले. प. से सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। दिल्ली परिवहन निगम के संबंध में जहाँ नि.म.ले.प. एक मात्र लेखापरीक्षक है, इसने वर्ष 2011-12 के लिए सशर्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया और वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा कार्य प्रगति (नवम्बर 2013) पर था। दो निगमों में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के पाँच दृष्टान्त थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान जिन कम्पनियों एवं निगमों के लेखों को अंतिम रूप दिया गया उनके संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ **तालिका 3.7** में दी गई है:

तालिका 3.7
कम्पनियों एवं निगमों के लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	लेखा का वर्ष	टिप्पणी का सारांश
आईपीजीसीएल[11]	2012-13	कम्पनी ने प्रकट नहीं किया कि • टाटा पॉवर दिल्ली वितरण लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष **2011–12** के लिए उत्पादन व्यापार पर आय के लिए आयकर की प्रतिपूर्ति के ₹ **30.35** करोड़ के दावा का विरोध किया और डीईआरसी के समक्ष एक याचिका भी दायर किया था। • इसके निदेशक परिषद ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अनुमोदन के आधार पर प्रस्तावित किया कि राजघाट पॉवर हाउस **31** मार्च **2013** के बाद पाँच वर्षों के लिए परिचालन जारी रखेगा।
पीपीसीएल[12]	2012-13	कम्पनी ने यह प्रकट नहीं किया कि भुगतान के लिए डीईआरसी आदेश के बावजूद दो डिस्कॉम्स के द्वारा कम्पनी के ऊर्जा बिलों ₹ 1229.37 करोड़ के पुनर्भुगतान में डिफाल्ट किया गया और साखपत्र का नवीनीकरण भी नहीं किया गया था।
निगम का नाम	**लेखा का वर्ष**	**टिप्पणी का सारांश**
डीएफसी[13]	2012-13	कम्पनी ने बीमांकिक आधार पर निर्धारण करने के बजाय वर्ष **2012–13** के लिए पेंशन ट्रस्ट को भुगतान हेतु पेंशन देयताओं के लिए तदर्थ आधार पर **1.00** करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट्स) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(अ) के अन्तर्गत उन्हें नि.म.ले.प. द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पहलुओं पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन

[11]इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरे'ान कम्पनी लिमिटेड
[12]प्रगति पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
[13]दिल्ली वित्त निगम

प्रस्तुत करना चाहिए और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना अपेक्षित है। दस कम्पनियों[14] के सम्बन्ध में वर्ष 2012-13 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण में संभावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों का निदर्शी सारांश **तालिका 3.8** में दिया गया है:

तालिका 3.8
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियाँ

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जहाँ सिफारिशें की गई थीं	अनुलग्नक 3.3 के अनुसार कम्पनियों की क्रम सं. का संदर्भ
1.	भण्डार और अतिरिक्त वस्तुओं की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न होना	4	क -2, 5, 6 व 7
2.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र का न होना	6	क -1, 2, 5, 6, 8 व 9
3.	परिमाणात्मक विवरण, स्थितियों, पहचानसंख्या, प्राप्तियों की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन के बाद मूल्य और उनकी अवस्थिति दर्शाते हुए समुचित अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना	4	क - 1, 2, 8 व 9

3.9 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली परिवहन निगम के लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में ₹ 50.73 लाख की वसूलियों को इंगित किया गया था जिसमें से ₹ 1.13 लाख धनराशि की ही वसूली की गई।

3.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की स्थिति

वर्ष 2011-12 के लिए नि.म.ले.प. द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के लेखों पर जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प्र.) जो कि सरकार को जारी (अप्रैल 2013) किया गया था उसे विधायिका में अगस्त 2013 में प्रस्तुत किया गया।

3.11 पीएसयू का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान किसी राज्य पीएसयू के विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन का कार्य अपने हाथों में नहीं लिया था।

[14]अनुलग्नक–3.3 में क्र. सं– 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और 11

अध्याय-IV

निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा

अध्याय–4
निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा

4.1 दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा

विशिष्टताएँ

दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास निगम लिमिटेड राज्य में औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास में कार्यरत है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

कम्पनी के पास अपने औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्लाटों के 14906 आबंटियों से प्राप्ति योग्य ₹ 99.67 करोड़ के भूतल किराये बकाया थे।

(पैराग्राफ 4.1.4)

जैसा कि इस सरकार के उद्देश्य कि जहाँ कहीं भी सीवर लाईनें और जल लाईनें डाल दी गई हैं केवल वहीं कंक्रीट की सड़क बनाई जाए, के विपरीत बिना यह सुनिश्चित किए कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन तथा जललाईन बिछाई गई हैं कम्पनी ने ₹ 206.96 करोड़ मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बना दी।

(पैराग्राफ 4.1.5.1)

विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति में अनियमितताओं को नोटिस किया गया। के.लो.नि.वि. निर्माण नियमावली के प्रावधानों की गैर-अनुपालना को संरचनात्मक ड्राईंग्स, अनुमोदित ले-आउट प्लान, परियोजनाओं के लिए समापन अवधि का नियत किया जाना, कार्यों का सौंपा जाना, बोलियों की औचित्य दरों को बनाए जाने तथा तकनीकी मूल्यांकन के संबंध मे भी देखा गया।

(पैराग्राफ 4.1.4.1, 4.1.6.1, 4.1.6.2, 4.1.6.3 4.1.7.2, 4.1.9.1. 4.1.11)

जैसा कि कम्पनी ने मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के प्रावधानों के विरूद्ध जी+2 तथा जी+3 संरचना की आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जबकि जी+3 तथा जी+4 संरचना की आवासीय ईकाईयों का निर्माण किया जा सकता था, इसलिए वह अतिरिक्त 3720 निम्न दर वाले आवास को बनाने के सुअवसर से वंचित हो गई।

(पैराग्राफ 4.1.7.1)

यू.ओ.एम.टी. आधार पर नरेला औद्योगिक एस्टेट पी.पी.पी. के वार्षिकी के लिए गलत प्रक्षेपण के कारण भविष्य में 2013-14 से 2028–29 की 15 वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 91.50 करोड़ के बर्हिगमन का परिहार्य होगा।

(पैराग्राफ 4.1.12)

4.1.1 प्रस्तावना

दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.रा.औ.अव.वि.नि.) राज्य में औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास में कार्यरत है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है, दि.रा.औ.अव.वि. नि.लि. का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सभी प्रकार के उद्योगों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की उन्नति, विकास तथा उनका अनुरक्षण करना, लघु पैमाने के उद्योगों के लिए सभी प्रकार के उपभोक्ता माल तथा वाणिज्य व उनकी बाजारी सुविधाओं को प्रदान करने तथा लेने का कार्य करना है।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. का प्रबन्धन आठ निदेशकों के अन्तर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित होता है। दिन प्रतिदिन इसके कार्य संचालन का प्रबन्धन अध्यक्ष-सह-प्रबन्धन निदेशक के द्वारा, एक कार्यकारी निदेशक तथा अधिकारियों की एक टीम की सहायता से किया जाता है।

यद्यपि, दि.रा.औ.अव.वि.नि. का मुख्य कार्य दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था, यह कम्पनी शराब की खुदरा बिक्री, दिल्ली एम्पोरियम को चलाना तथा प्रदर्शनियों का संचालन इत्यादि में भी कार्यरत है। दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन तथा अनुरक्षण 2010 (ओ. एण्ड एम. अधिनियम) के पश्चात् दि.रा.औ.अव.वि.नि. के क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र दिल्ली में सभी औद्योगिक क्षेत्रों औद्योगिक एस्टेट तथा समतल फैक्ट्री परिसरों तक उनके संचालन तथा अनुरक्षण के साथ इन उद्योगों की क्रमिक संगठनात्मक तथा स्थापना को सुनिश्चित व सहायता करने के उद्देश्य तक विस्तारित हो गया था।

मई 2011 से पहले, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने 21 डिविजनों[1] द्वारा अपने क्रियाकलापों का निर्वाह किया। विशेष क्रियाकलापों के संचालन के प्रबंध को ध्यान में रखते हुए दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने (मई 2011) पूरी तरह से सहायता प्राप्त चार कम्पनियों को सृजित किया जिनके नाम हैं- (i) दि.रा.औ.अव.वि.नि. लिक्वर लिमिटेड (दि.लि.लि.) को उनके शराब के व्यापार के लिए (ii) दि.रा.औ.अव.वि.नि. एक्जिम लिमिटेड (दि.ए.लि.) को उनके आयात/निर्यात व्यापार तथा वस्तुपरक प्रबन्धन के लिए (iii) दि.रा.औ. अव.वि.नि. अनुरक्षण सेवायें लिमिटेड (डी.एम.एस.एल.) का उनकी रियल एस्टेट व्यापार से सम्बन्धित अनुरक्षण सेवाओं, लॉजिस्टिक्स तथा योजना क्रियाकलापों का संचालन करना (iv) दि.रा.औ.अव.वि. नि. एनर्जी लिमिटेड (डी.ई.एल.) अपने एनर्जी परियोजनाओं के लिए।

4.1.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या दि.रा.औ.अव.वि.नि. तथा इसकी सहायक कंपनियों में:

- वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय तथा बजटीय नियंत्रण था;
- इसके उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक, प्रभावशाली तथा मितव्ययिता से प्राप्त करने के लिए उनकी अधिदेशित क्रियाकलापों का पालन किया था;
- पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध थे; और
- कार्यकुशल आंतरिक नियंत्रण तथा कार्यप्रणाली की निगरानी विद्यमान थी।

[1] 1.मार्किटिंग 2. निर्यात तथा आयात 3. पुर्नगठन 4. एम्पोरियम 5. प्रर्दशनी 6. समुदाय कार्य केन्द्र 7. नरेला आबंटंन कक्ष 8. वसूली 9. कच्चा माल 10. औद्योगिक एस्टेट प्रबन्धन 11. निम्न दर आवास 12. निर्माण 13. गुणवता प्रबन्धन पद्धति 14. शहरी शराब 15. भारतीय निर्मित विदेशी शराब 16. दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम 17. ओवरसीज जन शक्ति ब्योरो 18. तकनीकी परामर्श कार्यालय 19. औद्योगिक एस्टेट प्रबन्धन 20. खनिज 21 बहिस्त्राव संयंत्र

4.1.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

दि.रा.औ.अव.वि.नि. की अप्रैल से सितम्बर 2013 के दौरान संचालित की गई, निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-13 की अवधि को आच्छादित करती है। लेखापरीक्षा ने कार्य को नियंत्रित करते हुए 21 डिविजनों में से 8 डिविजनों[2] को जांच पड़ताल के लिए चयनित किया। इसके अतिरिक्त, दो सहायता प्राप्त कम्पनियों (डी.एम.एस.एल. तथा डी.एल.एच.) की परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय ज्वैलरी संस्थान के अभिलेखों की छानबीन का कार्य भी प्रारम्भ किया।

लेखा परीक्षा अभियुक्तियों, क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा मानदण्डों पर विचार करने के लिए प्रबन्धन के साथ प्रवेश सम्मेलन का आयोजन (जून 2013) किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार तथा प्रबन्धन के पास उनके विचार जानने के लिए जारी किया गया। प्रारुप लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर विचार करने के लिए प्रबन्धन के साथ एक समाप्ति सम्मेलन का आयोजन (फरवरी 2014) किया गया जिसमें अध्यक्ष-कम-प्रबन्ध निदेशक भी उपस्थित थे। कंपनी ने लेखापरीक्षा उपलब्धियों का उत्तर दिया (जनवरी 2014) प्रबन्धन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को इस निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

4.1.1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न से बनाए गए:

- दिल्ली औद्योगिक विकास, प्रचालन तथा अनुरक्षण अधिनियम, 2010;
- मुख्य सतर्कता आयुक्त, (मु.स.आ.), राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा निर्देश;
- दिल्ली का मास्टर प्लान तथा के.लो.नि.वि. निर्माण मैनुअल, तथा
- बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यसूची नोट तथा प्रस्ताव तथा कार्य सलाहकार बोर्ड

लेखा परीक्षा प्राप्तियाँ

4.1.2 वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2008-13 की अवधि के लिए कम्पनी के प्रचालनों के वित्तीय परिणामों को **अनुलग्नक 4.1** तथा **4.2** में दिया गया है। 2008-13 की अवधि के लिए दि.रा.औ.अव.वि.नि. के प्रमुख वित्तीय पैरामीटरों, नामतः आरक्षित तथा आधिक्य, कुल आय तथा लाभ की स्थिति को नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1
वित्तीय प्रबन्धन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरक्षित तथा आधिक्य[3]	टर्नओवर	कुल आय	कर के पश्चात लाभ
2008-09	47.65	1,428.68	1,426.32	7.93
2009-10	78.54	1,112.58	1,159.12	31.08
2010-11	1,375.41	906.50	1,081.81	117.43
2011-12	1,286.31	1,323.17	1,569.60	184.63
2012-13	1,497.88	1,452.42	1,656.79	157.78

[2] 1.पुर्नगठन 2. एम्पोरियम 3. समुदाय कार्य केन्द्र 4. निम्न दर अवास 5. निर्माण 6. शहरी शराब 7. भारत निर्मित विदेशी शराब 8. औद्योगिक राज्य प्रबन्धन

[3] संचित आंकड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि

- कम्पनी के टर्नओवर में दो मुख्य घटक सम्मिलित थे- शराब एवं फ्लैट्स की बिक्री से आय तथा सरकार के जमा निर्माण कार्य तथा परियोजना निर्माण कार्य। 2008-09 में ₹ 1,428.68 करोड़ की जो टर्नओवर थी वह 2010-11 में ₹ 906.50 करोड़ हो गई तथा पुनः वर्ष 2012-13 के लिए बढ़ कर ₹ 1,452.42 करोड़ हो गई।

- 2008-09 में ₹ 7.93 करोड़ के कर के पश्चात लाभ बढ़कर 2011-12 में ₹ 184.63 करोड़ तक हो गया तथा 2012-13 में ₹ 157.78 करोड़ था। लाभ में वृद्धि का कारण प्रचालन अनुरक्षण आरक्षित निधि (ओ.एम.आर.एफ) में लाभकारी वृद्धि होना है जो कि बैंको में सावधि जमा किए गए शराब की बढ़ी हुई बिक्री, फ्लैट्स तथा ब्याज आय के अतिरिक्त राशि छोड़कर ₹ 10.60 करोड़ (2010-11) ₹ 63.11 करोड़ (2011-12) एवं ₹ 61.97 करोड़ (2012-13) का योगदान किया था।

4.1.2.1 दि.रा.औ.अव.वि.नि. के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के प्रचालन में ₹ 3.07 करोड़ की हानि

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.म.नि.सं.) ने दि.रा.औ.अव.वि.नि. को कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अनुच्छेद 79 के अधीन स्वयं का कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट सम्पोषित करने की छूट (1972) प्रदान की थी। हालांकि, क.भ.नि. संगठन ने (24 फरवरी 2011) को नियमों की गैर-अनुपालना का हवाला देकर दी गई छूट को वापिस ले लिया। दि.रा.औ.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को गैर-छूट प्राप्त संगठन घोषित करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दि.रा.औ.अव.वि.नि. को ट्रस्ट के समस्त भविष्य निधि संचयनों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षे.भ.नि.आ.) के पास स्थानान्तरित करने का निदेश दिया था परन्तु इसे स्थानान्तरित नहीं किया गया था। ट्रस्ट ने यद्यपि अपने सभी प्रचालनों को बन्द कर दिया था और समस्त बकायों को बचत बैंक खातों में स्थानान्तरित कर दिया। तथापि, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा घोषित सांविधिक दरों पर सदस्य कर्मचारियों को ब्याज का भुगतान करने कि लिए बाध्य था। इसके अतिरिक्त, इसकी स्वयं की निधियां भी कर्मचारियों को उनके भविष्य निधियों के विरूद्ध प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों के रुप में अवरुद्ध हो गई थी। दो वर्षों के अन्तराल के पश्चात दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आवेदित किया (अप्रैल 2013) था तथा उसे कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत छूट प्रदान (नवम्बर 2013) की गई थी। छूट के लिए आवेदन करने में दो वर्षों तक अन्तराल होने के कारण छूट प्राप्त करने में देरी हुई और दि.रा.औ.अव.वि.नि. को भविष्य निधि ट्रस्ट के ₹ 0.98 करोड़ की हानि (2011-12 के लिए ₹ 0.24 करोड़ एवं 2012-13 के लिए ₹ 0.74 करोड़) की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि दि.औ.रा.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ने उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के अधीन, ₹ 2.21 करोड़ मूल्य की परिपक्व राशि के साथ 1999 से 2005 की अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार की छः कम्पनियों में ₹ 1.27 करोड़ निवेश किया था। ट्रस्ट ने केवल ₹ 0.56 करोड़ मूल्य की परिपक्व राशि प्राप्त की थी। हालांकि, दि.रा.औ.अव.वि.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ने न तो ₹ 1.65 करोड़ की बकाया राशि प्राप्त की और न ही गारण्टी के लिए कहा तथा दि.रा.औ. अव.वि.नि. को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने हेतु ट्रस्ट को उस धनराशि की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। ट्रस्ट को इसके प्रचालन में 2007-08 से 2009-10 के दौरान क्रमशः ₹ 54.52 लाख तथा ₹ 51.84 लाख की हानियाँ भी हुई थी तथा 'ट्रस्ट के आरक्षितियों एवं आधिक्य' से

इन हानियों को करने के पश्चात दि.रा.औ.अव.वि.नि. के द्वारा ₹ 0.44 करोड़ की बकाया राशि की क्षतिपूर्ति की गई थी।

इस प्रकार, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ट्रस्ट के मामलों में अविवेकपूर्ण फैसला लिए जाने के कारण ₹ 3.07 करोड़[4] की हानि उठानी पड़ी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने इन प्रेक्षणों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया।

4.1.2.2 फ्लैटिड फैक्ट्री काम्पलैक्स झण्डेवालान

ओ एण्ड एम. अधिनियम की अनुपालना करते हुए औद्योगिक विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दि.रा.औ.अव.वि. नि. को फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलैक्स (एफ.एफ.सी.) झण्डेवालान हस्तांतरित (दिसम्बर 2011) किया जिसमें 570 इकाईयाँ सम्मिलित थीं। सभी इकाईयों को किराये पर आबंटित किया गया था। प्रत्येक माह प्रत्येक इकाई (समस्त एफ.एफ.सी. के लिए ₹ 85.50 लाख प्रति वर्ष) ₹ 1250 की दर पर (2005) उपयोगिता प्रभार (पानी तथा बिजली प्रभारों को सम्मिलित करते हुए) नियत किया गया था।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने 8 नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिए दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.) को जल प्रभार के लिए ₹ 2 करोड़ का भुगतान (मार्च 2012) किया, जोकि एफ. एफ.सी. को स्थानान्तरित किए जाने से पूर्व की अवधि थी जो औद्योगिक विभाग द्वारा वहन की जानी चाहिए थी। इस प्रकार, दि.रा.औ.अव.वि.नि. के ₹ 2 करोड़ अवरोधित हो गए तथा ₹ 24 लाख (सितम्बर 2013 तक 18 महीनों के लिए 8 प्रतिशत पर परिकलित किए गए) के ब्याज की हानि हुई।

यह भी देखा गया कि अधिकतर आबंटी उपयोगिता प्रभारों का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा दि.रा.औ. अव.वि.नि. ने मार्च 2013 में दि.ज.बो. को केवल जल प्रभार के रुप में (9 नवम्बर 2011 से 8 मार्च 2013 तक की अवधि के लिए) ₹ 1.65 करोड़ तथा 2012-13 के दौरान बिजली तथा जल प्रभारों के लिए ₹ 1.85 करोड़ का भुगतान किया जबकि उसने उपयोगिता प्रभारों के रुप में ₹ 85.50 लाख के प्रति केवल ₹ 56.01 लाख (बकायों को सम्मिलित करते हुए) प्राप्त किए थे। जबकि बिजली तथा जल प्रभारों के उपयोगिता प्रभारों तथा वास्तविक भुगतान के अन्तर को वह स्वयं वहन कर रहा था। दि.रा. औ.अव.वि.नि. ने उपयोगिता प्रभारों के संशोधन किए जाने के कोई कदम नहीं उठाये। जिसके परिणामस्वरुप केवल 2012-13 के दौरान ₹ 99 लाख (₹1.85 करोड़ में से ₹ 85.50 लाख घटा कर) की हानि हुई।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार (जनवरी 2014) किया तथा सूचित किया कि उपयोगिता प्रभारों को संशोधित कर दिया गया था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आगे एफ.एफ.सी. के स्थानान्तरण से पूर्व की अवधि के लिए औद्योगिक विभाग से बकायों की वसूली किए जाने का आश्वासन दिया।

4.1.3 मोनोरेल परियोजना के लिए पूर्व–व्यवहारिता अध्ययन निधियों का विचलन

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने शास्त्री पार्क एवं कल्याणपुरी के बीच मोनोरेल परियोजना को चलाने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिता अध्ययन एवं डीपीआर की तैयारी हेतु मेसर्स राइट्स को नामांकन के आधार पर ₹ 1 करोड़ के शुल्क पर नियुक्त (27 मई 2011) किया तथा परामर्श शुल्क पर ₹ 1.18 करोड़ (कर सहित) का भुगतान किया दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने (अगस्त 2012) परिवहन विभाग से देय परामर्श

[4] ₹ 0.98 करोड़ + ₹ 1.65 करोड़ + ₹ 0.44 करोड़

शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए मांग भेजी और मार्च 2013 में प्रतिपूर्ति मांगने हेतु एक पत्र भी भेजा। दि.रा.औ.अव.वि.नि. के मामले को सही तरीके से अनुपालना में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ का अवरोधन एवं ₹ 10.14 लाख की (8 प्रतिशत की दर से) ब्याज की हानि हुई।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने अपने जवाब (जनवरी 2014) में बताया कि अध्ययन रा.रा.क्षे.दि.स. के निर्देशों के अधीन किया गया था तथा सरकार दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा परिवहन विभाग के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन पर हुए व्यय को वापिस दिलाए जाने को सहमत हो गई थी । इसके आगे बताया कि ₹ 1.18 करोड़ के भुगतान की प्राप्ति को, सम्बन्धित शीर्ष खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

4.1.4 पुर्नस्थापना संभाग

सर्वोच्च न्यायालय के 1996 के आदेश के प्रतिपालन में, रा.रा.क्षे.दि.स. ने औद्योगिक इकाईयों के पुर्नस्थापना के लिए एक योजना आरम्भ की जो अस्थायी क्षेत्रो में संचालित हो। इसके लिए, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने एक पुर्नस्थापना संभाग बनाया जो औद्योगिक प्लाटों के आबंटन के लिए नियमों एवं शर्तो के अनुसरण को, पट्टे के कार्य का क्रियान्वयन, मूल-किराये का संग्रहण, चूककर्ताओं की जाँच इत्यादि को मॉनीटर करे। पुर्नस्थापन की 51,851 इकाईयों में से, 27,984 को प्लॉटों या फ्लैटों के आबंटन के लिए योग्य घोषित कर दिया गया था। डीएसआईआईडीसी 22307 प्लॉटों को 2012-13 तक बवाना, भोरगढ़, नरेला, बादली, पटपड़गंज और झिलमिल में आबंटित किए। 18,553 प्लॉटो पर आधिपत्य दिया गया था तथा 16,082 आंबटियों से पट्टे का कार्य क्रियांवित किया था और 136 योग्य इकाईयां प्लॉटो के निश्चित आकार की प्राप्ति की इच्छा में प्रतीक्षा सूची (जनवरी 2013) में थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने पुर्नगठन योजना के अधीन औद्योगिक प्लाटो के आबंटियो द्वारा भूतल किराये के भुगतान से सम्बन्धित डाटा का अनुरक्षण कर रहा था। आबंटियो को भूतल किराये के भुगतान की ऑन-लाईन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमि. के गेटवे ऑन लाइन भुगतान को कार्यान्वित किया। यद्यपि आबंटियों द्वारा किए गए भुगतान को स्वचालित रुप से अद्यतन नहीं किया गया था। परन्तु दि.रा.औ.अव.वि.नि. की वेबसाइट पर पुर्नगठन संभाग द्वारा इसको मैनुअली अद्यतन किया जाता था। यहाँ भूतल किराये की प्राप्ति के लिए आने वाली तिथियों के लिए प्राप्त किए गए आवेदन में वैधीकरण जांच नहीं की जा रही थी। इसके परिणामस्वरुप आवंटियों के गलत खाते बना दिए गए। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने प्रणाली की कमियों को स्वीकारा (अक्तूबर 2013) तथा उसे सुधारे जाने का आश्वासन दिया। मार्च 2013 तक औद्योगिक क्षेत्रों में 14906 आबंटियों के औद्योगिक प्लाटों से ₹ 99.67 करोड़ का भूतल किराया बकाया था।

4.1.4.1 भोरगढ़ एवं बवाना (फेस–II) पर आधारभूत संरचनात्मक विकास कार्य

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने भोरगढ़ एवं बवाना (फेस-II) के नये औद्योगिक क्षेत्रों में संरचनात्मक विकास कार्य के लिए अपने तीसरी बार के आमंत्रण पर निविदाओं को अन्तिम रुप (मई 2007) दिया जिन्हें दो भागों (ए तथा बी) में आमंत्रित किया गया था। पार्ट-ए के लिए संविदा मेसर्स इन्दु प्रोजेक्टस लिमिटेड को ₹ 94.21 करोड़ पर सौंपी गई और पार्ट-बी के लिए मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड को ₹ 77.44 करोड़ पर, (जनवरी 2008) में कार्य आरम्भ के पत्रों के साथ जारी किया गया।

लेखापरीक्षा मे पाया कि शुरूआत में कार्य समाप्ति का समय 18 महीने (निविदा के पहली बार का आमंत्रण) था जो दूसरे अवसर की निविदा के समय फ्लाई ऐश कार्य के क्रियान्वयन के समय सामने आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए बोलीदाताओं ने वक्त बढ़ाकर 20 महीने कर दिया था। कार्य

समाप्ति का समय बढ़ाकर 20 महीने करने के परिणामस्वरूप, के.लो.नि.वि. मेन्युअल की धारा 10 सीसी लागू हो गई जिसमें सामग्री एवं सेवाओं की दरों में परिवर्तन के कारण संविदा राशि में परिवर्तन का प्रावधान है। संविदा में एक अतिरिक्त खण्ड भी जोड़ा गया, जिसमें निर्धारित समय से पूर्व कार्य समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाये। निविदा आमंत्रण के तीसरे अवसर पर भी 20 महीने की बढ़ी हुई अवधि की अनुमति दी गई यद्यपि, इस समय, फ्लाई ऐश के मदों की मात्रा जो क्रियांवित होनी थी 11.07 लाख घन मी. से 9.40 लाख घन मीटर तक 15 प्रतिशत कम कर दी गई।

इन्दु प्रोजेक्ट लिमिटेड ने अपने कार्य को समाप्ति की निर्धारित तिथि (6 सितम्बर 2009) के प्रति 29 जून 2009 को समाप्त किया तथा मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड ने समाप्ति की निर्धारित तिथि (6 अगस्त 2009) के पहले ही कार्य 16 अप्रैल 2009 को समाप्त किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों ठेकेदारों के सामग्री एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण संविदा राशि में परिवर्तन हुआ जिससे डी एस आई आई डी सी को ₹ 14.32 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ हालांकि फ्लाई ऐश कार्य की मात्रा कम कर दी गई थी जिसको पूर्व निर्धारित कार्य समाप्ति अवधि में बढ़ोतरी का कारण बताया गया था। यद्यपि प्रोत्साहन राशि खण्ड के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं किया गया।

तथ्य यह है कि दोनों कार्य 17 महीने में ही समाप्त हो गये थे जिसका निष्कर्ष दर्शाता है कि 18 महीने की अवधि कार्य समाप्त करने के लिए काफी पर्याप्त थी तथा समाप्ति अवधि में बढ़ोत्तरी अनावश्यक एवं अनुचित थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि निविदा के प्रथम आंमत्रण की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए कार्य की समाप्ति की अवधि बढ़ा दी गई थी। समाप्ति अवधि के.लो.नि.वि. के अनुसार आकलित की गई थी तथा निर्धारित समय से 20 महीने का संशोधन ₹ 44.63 करोड़ के एक कार्य के लिए मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार था तथा समझा गया कि निष्पक्ष निविदा एवं ज्यादा से ज्यादा निविदाएं आकर्षित करने के लिए आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि समाप्ति अवधि को सभी तथ्यों, पीईआरटी तथा सीपीएम चार्ट इत्यादि को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। समाप्ति की अवधि में बढ़ोत्तरी हो जाने से निविदा पर कोई प्रभाव नही पड़ा क्योंकि निविदाकर्ताओं के पास अपनी निविदा के मूल्यों को जमा कराने का 18 महीनों का समय था। लेखा परीक्षा ने फ्लाई ऐश वर्क के कारण समयावधि को बढ़ाए जाने की धारणा को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि फ्लाई ऐश के ढुलाई/क्रियान्वयन के कार्य की मदों की निर्धारित मात्रा को 9.40 लाख घनमीटर से 11.07 लाख घनमीटर तक घटा दिया था और निष्पादित की गई वास्तविक मात्रा समान रुप से कम (8.63 लाख घनमीटर) था।

4.1.4.2 कन्झावला तथा रानी खेड़ा पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास

कन्झावला (बवाना फेस-III) पर नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, डीएसआईआईडीसी ने जनवरी 2008 में खुली निविदाएँ अपनायी और परामर्श परियोजना को मेसर्स कन्सल्टेन्सी इन्जीनियर्स सर्विस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 18,570 प्रति एकड़ (कुल राशि ₹ 1.86 करोड़) पर दिया गया। लेखा परीक्षा में संविदा के निविदा आमंत्रण एवं क्रियान्वयन में असंगतियां पाई गई। दि.औ.रा.अव.वि. नि. नेः

- दो योजनाओं (कन्झावला 920 एकड़ एवं रानी खेड़ा 127 एकड़) के लिए परामर्शदाता के चुनाव के लिए समान तकनीकी योग्यता की कसौटी का अनुसरण किया- प्रक्षेपण योजना एवं डिजाइन सेवाओं के लिए विगत सात वर्षों में भारत अथवा विदेश में उन समान परियोजनाओं को चलाने के लिए जिनकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ से कम नहीं है, के लिए आवश्यक क्षमता एवं अनुभव रखना आवश्यक है। यह उचित नहीं था क्योंकि कन्झावला योजना के अन्तर्गत रानी खेड़ा योजना के अंदर आने वाले क्षेत्र का लगभग छः गुना अधिक था।

- परामर्शदाता चिकित्सा, भण्डारण एवं निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) स्थल के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुमोदन एवं पर्यावरण अनुमति प्रदान करने में असफल रहा। इसके साथ मांगी गई अन्य जानकारी काफी देर से प्रदान की गई। डीएसआईआईडीसी ने अंततः परामर्श संविदा पर गैर-निष्पादन के कारण पहले ही प्रतिबंध लगा दिया।

लेखापरीक्षा में पाया कि डीएसआईआईडीसी परियोजना के विकास पर स्पष्ट नहीं था क्योंकि नक्शायोजनाओं को तीन बार संशोधित किया गया और परामर्शदाता को संविदा से सम्बंधित बाध्यताओं के साथ वांछनीय डेटा उपलब्ध कराने में असफल रहा। इस प्रकार, परामर्शदाता द्वारा गैर-निष्पादन के झूठे आधार पर संविदा को प्रतिबंधित करने के परिणास्वरूप ₹ 8.54 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि सशक्त प्रतियोगिता को बढ़ावा दिए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एन.आई.टी की शर्तों तथा नियमों को अनुमोदित किया गया तथा तदानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों निर्माण प्रतियोगिताओं के लिए समान तकनीकी मानदण्डों को रखा जाना प्रतिबंधित था। दि.रा.औ.अव.वि.नि करार के अनुसार ठेकेदार को वांछित सूचना/डाटा उपलब्ध कराने में असफल रही जिसके परिणामस्वरूप संविदा प्रतिबंधित हो गई।

4.1.5 इंजीनियरिंग डिवीजन

दि.रा.औ.अव.वि.नि. का इंजीनियरिंग डिवीजन विभिन्न सरकारी एजेंसियों की ओर से सभी जमा निर्माण कार्यों (सिविल तथा इलैक्ट्रिक) को निष्पादित कर रहा है। इस डिविजन ने 2008-13 के दौरान निगम के लिए ₹ 2,796.91 करोड़ के कुल राजस्व का सृजन किया।

4.1.5.1 अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण

शहरी विकास विभाग, (श.वि.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों (अ.कॉ) में मूल अवसंरचना सुविधाओं जैसे सड़कों, स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स इत्यादि के निर्माण का कार्य दि.रा.औ.अव.वि.नि. को दिया। 2008-13 के दौरान, दि.रा.औ.अव.वि.नि. को सड़कों के निर्माण तथा स्ट्रोम वाटर ड्रेन्स के निर्माण के लिए ₹ 1,085.26 करोड़ मूल्य के 1,024 ठेके सौंपे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मंत्रीपरिषद ने 1,539 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1,071 उपयुक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्णय लिया (नवंबर 2007) जहाँ पानी की पाईप तथा सीवरेज लाइनें अथवा कोई अन्य सेवाएं पहले ही बिछी हुई थी जिससे सड़कों को बार-बार काटने की आवश्यकता को दूर किया जा सके। उपयुक्त निर्णय को अप्रैल 2008 में सूचित करते समय उसे बदल दिया गया कि सीमेंट कंक्रीट सड़कें उन कंक्रीट सड़कों पर बिछाने की बजाए जहाँ सीवरेज

तथा पानी की पाइपें बिछी हुई थीं, वहाँ बिछाई जाएंगी जहाँ सीवरेज तथा पानी की पाइपें नही बिछाई गई थी। इस प्रकार निर्णय का उद्देश्य ही बदल गया।

उपरोक्त सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप, कॉलोनियों में ₹ 206.96 करोड़ के मूल्य की सीमेंट कंक्रीट की सड़क बिछाने का कार्य किया गया जहाँ दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन्स तथा पानी की लाइनें नहीं बिछाई गई थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि ने कहा (जनवरी 2014) कि सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण का कार्य दिनांक 6 सितंबर 2007 के केबिनेट के निर्णय की सूचना देते हुए श.वि.वि. के आदेशों के अंतर्गत किया गया। पानी और सीवर लाइनों के बिछाने की शर्त को दिनांक 20 नवंबर 2007 के केबिनेट निर्णय में उल्लिखित किया गया जिसे पुनः दिनांक 16 सितंबर 2008 के पत्र में दोहराया गया। समापन सम्मेलन में दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने अभी तक (फरवरी 2014) लेखापरीक्षा द्वारा इंगित सड़कों पर सीवर तथा पानी की लाइनें नहीं बिछाई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह संकेत होता कि कंक्रीट सड़कें केवल उन्हीं स्थानों पर बिछाई गई थीं जहाँ पर सीवरेज तथा पानी की लाइनें बिछाने की आवश्यकता नहीं है जिससे कंक्रीट सड़कों को काटने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

4.1.6 'रूपांतर' परियोजना

रा.रा.क्षे.दि.स. के शिक्षा विभाग (शि.वि.) ने स्कूलों की वर्तमान अवसंरचना को सुधारने के लिए एक 'रूपांतर' परियोजना को अपनाया, और इसे एक जमा कार्य के रुप में दि.रा.औ.अव.वि.नि को सौंपा गया। शि.वि.ने 198 स्कूल परिसरों की पहचान कर और बेहतर बनाने के लिए दि.रा.औ.अव.वि.नि. को सौंपा। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने मेसर्स आई.एल तथा एफ.एस. शिक्षा तथा तकनीकी सेवायें लिमिटेड (शि.त.से.लि.) को स्कूल-वार सुधार योजना बनाने तथा पाँच कलस्टरों के अन्दर 144 स्कूलों की उन्नति के लिए ठेके पर कार्य सौंपा। मई 2008 से जून 2009 के दौरान 48 स्कूलों के लिए ठेके अलग से सौंपे गए, जबकि छः स्कूलों के लिए जगह उपलब्ध न होने के कारण उनका कार्य नहीं सौंपा जा सका। शि.वि. ने ₹ 245.22 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्वीकृति (प्र.अ.तथा व्य.सं) दी थी।

परियोजना में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

4.1.6.1 परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु एन.आई.टी में कमियाँ

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए एन आई टी जारी किया (6 जून 2006)। एन आई टी अनिर्णित था, तथा उसमें कार्यक्षेत्र संबंधी सूचनाएँ जैसे परियोजना में कवर की जाने वाली कुल स्कूलों की संख्या, अनुमानित लागत, फर्म की योग्यताएं, समान कार्यों का पूर्व अनुभव, बोलीकर्ता फर्मों का टर्नओवर, जुर्माने की शर्तें इत्यादि, सम्मिलित नहीं थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि ने कहा (जनवरी 2014) कि एन आई टी, के.लो.नि.वि. मैनुअल के आधार पर जारी किया गया। परामर्शदाता के लिए तकनीकी स्टॉफ की तैनाती तथा वैट/सेवाकर/पैन इत्यादि उपलब्ध कराना आवश्यक था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में स्पष्ट किया कि एन.आई.टी अनिर्णीत नहीं था तथा ठेका निर्माण ठेकों से भिन्न था। परामर्श शुल्क प्रतिशतता आधार पर था। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. स्वयं भी अपने स्वयं के इंजीनियर डिविजन के जरिए परामर्श और निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था और इंगित कमियाँ सामान्यतः वहाँ किसी निविदा दस्तावेज में है और सम्मिलित किए जाने चाहिए।

4.1.6.2 परामर्शदाता के रूप में एक अयोग्य फर्म का चयन

दो दलों में से जिन्होनें बोली प्रस्तुत की थी, केवल मेसर्स आई.ई.टी.एस. को तकनीकी योग्यता के रूप में घोषित किया गया तथा परामर्श का कार्य सौंपा गया तथा करार हस्ताक्षरित किया गया (नवंबर 2006)। लेखा परीक्षा छानबीन ने दर्शाया कि एन आई टी ने कम्पनियों के समूह अथवा जॉयन्ट वेन्चर्स (जे.वी.) को भी बोली के लिए अनुमत किया था। यद्यपि, सिविल तथा वास्तुशिल्पीय परियोजनाओं में वांछित अनुभव के लिए, आई.ई.टी.एस. ने मेसर्स प्रदीप सचदेवा डिजाईन एसोसिएटस (पी.एस.डी.ए.) के साथ मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रस्तुत किया था, उनके पास कोई जे.वी. नहीं था। इस प्रकार, आई.ई.टी.एस., जे.वी. तथा कम्पनियों के समूह की कसौटी पर खरी नहीं उतरी तथा इसलिए उसकी तकनीकी बोली वास्तविक रूप से ठीक नहीं थी। इसके अतिरिक्त, आर.ई.ई.टी.एस. एक स्वतन्त्र फर्म के रूप में बोली प्रस्तुत की थी, जोकि एक वास्तुशिल्पीय तथा सिविल कान्ट्रैक्टर फर्म नहीं थी। इस प्रकार, एम.ओ.यू. के आधार पर उनकी बोली को भी नकार दिया जाना चाहिए था ।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब दिया कि आई.ई.टी.एस. ने तकनीकी मापदण्डों का पालन करने के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन आई टी को जे.वी. अथवा कम्पनियों के समूह से और न कि एम ओ यू के माध्यम से बने समूह से शर्तों पर बोलियाँ अनुमत थीं।

4.1.6.3 'रूपान्तर' परियोजना के निष्पादन में अनियमितताएँ

परियोजना के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः

- बाजार सर्वेक्षण (एम आर जे) के आधार पर दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा तर्कसंगत दरें तैयार की गई। हालांकि, बाजार सर्वेक्षण हेतु अपनायी गई प्रणाली लेखों में नही थी। बाजार सर्वेक्षण की अवधि की यथार्थता इस उद्देश्य के लिए नियुक्त की गई कमेटी का गठन, आपूर्तिकर्त्ताओं तथा वेन्डर्स इत्यादि से प्राप्त की गई निविदाओं को निश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि पाँच कलस्टरों में जहाँ कार्य जून 2009 से अगस्त 2009 के दौरान सौंपे गये थे, समान मदों की दरें भिन्न थी। दि.रा.औ.अव.नि. ने कहा (जनवरी 2014) की बाजार सर्वेक्षण के.लो.नि.वि. के मैनुअल के आधार पर बनाई गई तथा दरों में भिन्नता कामन वेल्थ गेम्स की वजह से थी। उपरोक्त जवाब स्वीकार्य नही है क्योंकि कन्टेक्ट दरें साठ दिनों के लिए वैध थी तथा विभिन्नताऐं छोटे समय एवम पाँचों कलस्टर के बीच स्वीकार्य नहीं है।

- कलस्टरर्स-5 के मामलें में, बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुमेर कन्सट्रशन की बोली स्वीकृत थी। यह पाया गया कि 28 कल्सटर्स स्कूलों के संबंध में निविदा प्रस्तुत करने के लिए बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने दिनांक 23 अगस्त 2009 को उपयुक्त जेवी भागीदार की खोज को समायोजित किया और अगले दिन 24 अगस्त 2009 को सुमेर कॉरपोरेशन के साथ जेवी अनुबंध में प्रवेश किया। अतः निविदा हेतु तकनीकी रूप से उतीर्ण होने के उद्देश्य से जेवी के साथ सुमेर कन्सट्रक्शन निर्मित हुई। हालांकि, जेवी अनुबंध के करार 4.2 के अनुसार, संविदा के निष्पादन के लिए एक बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर ही जिम्मेदार था।

दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि बीएलएस इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सुमेर कॉरपोरेशन की जेवी, एनआईटी की तकनीकी कसौटी के अनुसार उत्तीर्ण था तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र एवं अलग-अलग क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र प्राप्त किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि दि.रा. औ.अ.वि.नि. ने तकनीकी निविदाओं को अंतिम रुप देते समय अनुवर्ती रूप से क्षतिपूर्ति अनुबंध पत्र प्राप्त किये थे जो लेखापरीक्षा के इस मुद्दे को भी प्रमाणित करता है कि तैयार जेवी इसकी वित्तीय निविदा के लिए जिस पर विचार किया जा रहा था तकनीकी रुप से योग्य नहीं थी।

- भोलानाथ नगर में स्थित स्कूल के मामले मे, आई.ई.टी.एस. की सिफारिश पर ₹ 1.74 करोड़ के मूल कार्य के अलावा ₹ 50.80 लाख का अतिरिक्त कार्य प्रारंभ किया गया था। आई.ई.टी.एस. द्वारा कई मौकों पर आवश्यकतानुसार कार्य की लागत राशि को बदला गया जो दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह परामर्शदाता के प्रारंभिक योजना एवं निर्माणस्थल के सर्वेक्षण में की गई लापरवाही को दर्शाता है।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में कहा कि अनुमानों में विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं थे और भवन को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी जिसके कारण अतिरिक्त व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बार-बार कार्य क्षेत्र को बदलना, योजना एवं कार्यस्थल के सर्वेक्षण की कमी को दर्शाता है।

4.1.7 आवासीय परियोजनाएँ

शहरी गरीब तथा स्लम पुनः स्थापना परियोजना के लिए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण विकास मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत वर्ष 2008-13 दौरान डीएसआईआईडीसी ने 64,040 निवासी इकाई के निर्माण के लिए 13 परियोजनाओं का उत्तरदायित्व लिया था। इन परियोजनाओं पर ₹ 46.45 लाख खर्च करने के बाद अवरोधमुक्त स्थल की अनुपलब्धता के कारण पाँच परियोजनाएँ (23,040 निवासी इकाईयां) ताक पर रख दी गई थी। 31 मार्च 2013 तक, 13,820 निवासीय इकाईयों का निर्माण हो चुका था जबकि 25,500 निवासीय इकाईयों का निर्माण प्रगतिशील था। शेष 1680 निवासीय इकाईयों का कार्य निर्माणस्थल की कमी के कारण नही सौंपा जा सका था।

4.1.7.1 निवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए भूमि का कम उपयोग

शहरी निर्धनों के लिए वहन करने योग्य आवास हेतु (फरवरी 2007 में तैयार) दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी 2021) में प्रावधान है कि निर्मित हुये आवास लगभग 25 वर्गमीटर के होने चाहिए ताकि 600 इकाई प्रति हेक्टेयर के अधिकतम घनत्व को प्राप्त किया जा सके। हालांकि, दि.रा.औ.अव. वि.नि. ने केवल 300 इकाई प्रति हेक्टेयर घनत्व वाले 13,820 फ्लेट्स (जी+2 एवं जी+3 प्रकार) के निर्माण के लिए, चार परियोजनाओं[5] के लिए डीपीआर तैयार की एवं अनुमोदन प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में भूमि का कम उपयोग हुआ तथा अतिरिक्त 3,720 नि.ई. के निर्माण का सुअवसर खो दिया।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि 13,820 फ्लैटस की डी पी आर, एम पी डी-2001 पर आधारित थीं जहाँ 300 इकाईयां प्रति हैक्टर का प्रावधान था जो वर्ष 2007 में एम पी डी-2021 के शुरु होने के पश्चात बढ़कर 600 इकाईयाँ हो गया। इस अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दि.स. ने जे एन एन यू

[5] जून 2007 में बवाना, नरेला तथा भोरगढ़ पर शहरी निर्धनों के लिए आवास; जून 2007 में कंझावला, घोगा तथा बपरौला पर स्लम पुनर्गठन परियोजना; अक्टुबर 2008 में बवाना पर स्लम पुनर्गठन परियोजना; अक्टुबर 2008 में बपरौला फेस-II पर स्लम पुनगर्ठन परियोजना।

आर एम का कार्य दि.रा.औ.अव.वि.नि. को सौंप दिया तथा नरेला, भोरगढ़ और बवाना की परियोजनाओं को परिवर्तित करके जे एन एन यू आर एम को सौंप दिया। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने भी सूचित किया कि 600 इकाईयां प्रति हैक्टर की एफ ए आर को सात से आठ मंजिला इमारत द्वारा प्राप्त किया गया जिसमें प्रति इकाई लागत बढ़ने के कारण लिफ्टों की आवश्यकता थी। इस प्रकार 600 इकाईयां प्रति हैक्टर की एफ ए आर को प्राप्त करने के लिए मुख्य बाधा इकाई लागत को कम रखने की थी परन्तु भूमि की कमी को देखते हुए अब दि.रा.औ.अव.वि.नि. अपेक्षित एफ ए आर प्राप्त करने हेतु जी+4 इकाईयाँ निर्मित कर रहा है। इस प्रकार दि.रा.औ.अव.वि.नि. एम पी डी-2021 में बताई एफ ए आर प्राप्त नहीं कर सका और जी+3 तथा जी+4 प्रकार की बजाए जी+2 तथा जी+3 प्रकार में नि.ई. के निर्माण से अतिरिक्त 3,720 कम लागत घरों के अवसर तथा जरुरतमंद नागरिकों को उन्हें उपलब्ध कराने का लाभ नहीं उठाया जा सका।

4.1.7.2 परामर्शदाता की नियुक्ति में अनियमितताएँ

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने (10 अगस्त 2006) 40,000 आवासों के निर्माण कार्य हेतु 21 सूचीबद्ध वास्तुकारों को उनके प्रस्ताव भेजने के अनुरोध के साथ आमंत्रित किया। परामर्श शुल्क परियोजना की लागत के एक प्रतिशत की दर से नियत था जिसमें भूमि की लागत शामिल नही थी तथा परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) 0.5 प्रतिशत की दर से नियत था जिसमें गुणवत्ता लेखापरीक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और स्थल निरीक्षण एवं प्रबंधन शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सूचीबद्ध वास्तुकारों को पत्र भेजने के पूर्व ही मेसर्स अद्लखा एण्ड एसोसीएट द्वारा जून 2006 में बवाना एक्सटेंशन, नरेला औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एवं भोरगढ़ (बवाना-II) में कार्य पहले ही आरंभ किया जा चुका था। इस तथ्य का पता मेसर्स अदलखा एण्ड एसोसीएट के पत्र दिनांक 9 जून 2006 से चला जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक रेखाचित्र पहले ही तैयार कर लिया गया था तथा बवाना एक्सटेंशन के लिए योजना दिल्ली नगर निगम के योजना विभाग में प्रेषित किया जा चुका था। योजना का प्रारंभिक अनुमान एवं विस्तारित परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दि.रा.औ.अव.वि.नि. को भी प्रेषित की जा चुकी थी।

इसी दौरान, चार वास्तुकारों ने अपनी निविदा (30 अगस्त 2006) प्रस्तुत की। इस प्रकार, जब सूचीबद्ध वास्तुकारों को उनकी निविदा प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था, परामर्श का कार्य पहले ही सौंपा जा चुका था। मार्च 2013 तक, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने ₹ 7.41 करोड़ का शुल्क दिया।

मेसर्स बहल जोशी एवं एसोसिएट को छांटे गये वास्तुकारों में से कन्झावला एवं बवाना की परियोजनाओं के लिए वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, इन परियोजनाओं को न्यायालय से स्टे आर्डर के कारण आरंभ नहीं किया जा सका। 2011-12 के दौरान, दि.रा.औ.अव.वि. नि. ने पुनः निश्चय किया कि कन्झावला में 4000 निवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये और इस बार, बजाय खुली निविदा बुलाने के, एक प्रतिशत के शुल्क पर, पुराने अनुबंध को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मेसर्स बहल जोशी एण्ड एसोसीएट के साथ एक अनुबंध (6 मार्च 2012) किया। लेखापरीक्षा में पाया गया:–

(i) मेसर्स बहल जोशी एण्ड एसोसिएट की नियुक्ति बिना प्रतियोगी निविदा आंमत्रण के किया गया जो अनियमित था। यहाँ तक कि फर्म इस परियोजना की सबसे कम बिक्रीकर्ता थी जो फर्म के साथ रही, फर्म से कोई अनुबंध नही किया गया था इसलिए, इसे पुराने अनुबंध को पुनर्जीवित करने हेतु निर्मित नही किया जा सकता है। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (सितम्बर 2013)

और बताया कि फर्म को केवल आरम्भ करने का पत्र ही जारी किया गया।

(ii) फ्लैटिड निवासी इकाईयों के निर्माण कार्य आवृति प्रकृति के थे जहाँ केवल एक खण्ड के रेखाचित्र को ही प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदित कराया गया था और परियोजना के अन्य खण्डों के निर्माण के लिए समान रेखाचित्र का प्रयोग किया गया। अतः परियोजना के सभी खण्डों के लिए समान परामर्श शुल्क न्यायसंगत नही था।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत घरों के निर्माण की शीघ्रता थी। मैसर्स अदलखा एंड एसोसियेटस जो अपने पेनल में थे और जिन्होनें 3164 औद्योगिक मजदूरों के घरों का कार्य किया था, को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को डी पी आर तैयार करने के लिये प्रस्तुत किया गया। यदि मैसर्स अदलखा निविदा पाने में सफल नही हो पाए तो किए गए कार्य के लिए देय शुल्क का समायोजन सफल परामर्शदाता के शुल्क से किया जाएगा। मैसर्स बहल जोशी एंड एसोसिएटस को कार्य सौंपने के संबंध में दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा कि यह प्रतियोगितात्मक निविदा थी और केवल कार्य को पुनः चालू किया गया था। आगे यह कहा गया कि प्रत्येक परियोजना की अपनी स्वयं की दिशाएँ, भू-स्थलाकृति तथा मिट्टी के प्रकार तथा वहन क्षमता थी। इसलिए प्रत्येक योजना की रुपरेखा प्लाट के आकार, स्थलाकृति इत्यादि के आधार पर तैयार की जानी थी और, इसलिए यह निर्मित नहीं कर सकता है कि कार्य आवृति प्रकृति का था। दि. रा.औ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में कहा कि यह उचित निविदा थी तथा मैसर्स अदलखा, शहर में ई.डब्ल्यू.एस. इकाईयों के निर्माण की एक नेतृत्व फर्म थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मै. अदलखा ने निविदा प्रक्रिया शुरु करने से पहले कार्य को आरंभ कर दिया था। शुल्क तकनीकी निविदाओं को अंतिम रुप देने के पश्चात नियत किया जाना चाहिए। कार्य की आवृति प्रकृति के लिए एकरुप शुल्क का भुगतान सी वी सी दिशा निर्देशों के उल्लंघन में था। यहाँ तक कि यदि दि.रा.औ.अव.वि.नि. के दिशाएं, भू-स्थलाकृति, मिट्टी का प्रकार तथा वहन क्षमता पर

4.1.7.3 एकल–ठेकेदार की तकनीकी क्षमता का गैर–निर्धारण

टीक्री कलां में, 6,740 निवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने परियोजना को दो भागों में बांटा और दो भिन्न निविदाएँ (29 जून 2012) 3360 नि.ई. एवं 3380 नि. इकाईयों के निर्माण हेतु जारी की गई जिसका कारण यह दिया गया कि यह एकल ठेकेदार पर निर्भरता को कम करेगा साथ ही इस शर्त के साथ कि जेएनएनयूआरएम के अंदर, किसी भी ऐजेन्सी को 10000 निवासीय इकाईयों से अधिक का कार्य नही सौंपा जायेगा। हालांकि, यह पाया गया कि मेसर्स पाण्डे इन्फ्राकॉन्स पा.लि., जो दोनों निविदाओं के प्रतिउत्तर में एल-I था, को उनके उदधृत मूल्य ₹ 145.81 करोड़ एवं ₹ 149.73 करोड़ क्रमशः पर कार्य सौंपा गया। यद्यपि, निविदा में एक फर्म की अधिकतम 10000 निवासीय इकाईयों की कसौटी शामिल की गई, यह सुनिश्चित करने हेतु कोई शर्त नहीं शामिल की गई कि दो निविदाओं में एल-I होते हुये भी केवल एक संविदा ही पा सकता है, जोकि परियोजना को दो भाग में बांटने का इरादा था। यह भी पाया गया कि परियोजना के पूरा होने का समय 12 महीने था परन्तु नवम्बर 2013 तक, फर्म केवल 3,360 निवासीय इकाईयों का 6.50 प्रतिशत तथा 3,380 निवासीय इकाईयों का 6.13 प्रतिशत ही पूरा कर सका। जबकि कार्य को दिसम्बर 2012 में आंबटित किया गया था यह दि.रा.औ.अव.वि.नि. के एकल ठेकेदार के दोनो ठेकों के क्रियान्वयन में तकनीकी क्षमता को निर्धारित करने में हुई विफलता को दर्शाता है जिसके कारण परियोजना को पूर्ण होने में देरी हुई।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि यह मात्र अवसर था कि दोनों कार्यों के लिए एक ही एजेंसी एल-1 थी। दोनों पैकेजिस को मिलाने के पश्चात नि.ई. की संख्या 6,740 नि.ई. आती है जो 10,000 नि.ई. की अपेक्षा कम थी। तथापि उनके वित्तीय विवादों के कारण ठेकेदार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रगति को प्राप्त नहीं कर सका और फर्म के प्रति कार्रवाई समझौते की शर्तों के अनुसार की जा रही थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने समापन सम्मेलन में कहा कि समय की बाध्यता के कारण कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक अकेली फर्म में 10,000 नि.ई. को एन.आई.टी. में मिलाया गया परन्तु एकमात्र ठेकेदार पर निर्भरता को कम करने के विचार से कार्य को बांट दिया परन्तु लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका जैसा कि, ठेके में समापन की खराब दर से स्पष्ट होता है।

4.1.8 राजस्व उत्पादन परियोजना

डीएसआईआईडीसी ने तीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास राजस्व उत्पादन परियोजनाओं के रूप में करने का निश्चय किया जो इस प्रकार है: (i) ओखला फेस-I में व्यवसायी परिसर-सह-फलैटेड फैक्टरी-सह-सुविधा केन्द्र (ii) ओखला फेस-II में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चलायमान औद्योगिक सम्पदा (iii) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रशासनिक खण्ड भवन के स्थान पर एक नये कार्यालय का भवन निर्माण।

4.1.8.1 ओखला फेस–I में आरजीपी की अनियमितताएँ

ओखला फेस-I पर आरजीपी के लिए, डीएसआईआईडीसी ने ₹ 89.69 लाख पर रेखाचित्रण एवं आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त (मई 2010) किया। फरवरी 2012 में, पुनर्विकास का कार्य ₹ 37.74 करोड़ में सौंपा। विद्यमान ढाँचे को विखण्डित करने की एक संविदा भी ₹ 35.36 लाख के लिए सौंपी (फरवरी 2012) गई थी। दि.न.नि.न. 12 जुलाई 2012 को प्रस्तावित भवन निर्माण योजना से इन्कार कर दिया।

ठेकेदार को रेखाचित्रों तथा अवरोध मुक्त भूमि के आवश्यक अनुमोदित योजनाओं के अभाव में ठेका पूर्वसमाप्त (दिसम्बर 2012) कर दिया गया था। संरचना के विखण्डन के मामले में, 4,590.46 वर्गमीटर के पूरे क्षेत्र में से ठेकेदार केवल 2,722.64 वर्गमीटर क्षेत्र का विखण्डन कर सका क्योंकि किराएदार के कारण स्थल खाली नहीं था। यह दर्शाता है कि डीएसआईआईडीसी ने परियोजना को आरंभ करने से पूर्व कोई कार्यकारी योजना नहीं बनाई थी परामर्श के रुप में ₹ 13.45 लाख को सम्मिलित करते हुए ₹ 30.29 लाख का व्यय किया जोकि निष्फल साबित हुआ।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि परामर्शदाता की नियुक्ति का किया जाना किसी भी निर्माण परियोजना को आरम्भ किए जाने तथा व्यय को समायोजित करने से पूर्व की आवश्यकता होती है। उन्होने आगे स्पष्ट किया कि प्लाट के आकार तथा प्रवेश किए जाने की समस्या के कारण दि.न.नि. से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अव.वि. नि. के पूर्व अवसंरचना सहित कम्पलीशन प्लान तथा ले-आउट प्लान की गैर उपलब्धता के कारण प्रस्तावित किए गये भवन निर्माण को दि.न.नि. ने अस्वीकार कर दिया। तथा इन सब के अभाव में निर्माण ठेके के कार्य को बन्द कर दिया गया।

4..1.8.2 ओखला फेस–II एवं वजीरपुर पर आर.जी.पी. में देरी

दि.वि.प्र. ने (अप्रैल 1993) डीएसआईआईडीसी को इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के निर्माण हेतु ओखला फेस-II में 2,665.41 वर्गमीटर की भूमि आबंटित की गई और निर्माण हेतु पांच वर्ष दिये गये जिस अवधि को जून 2002 तक बढा दिया गया था। डीएसआईआईडीसी ने (फरवरी 2000) यह निश्चय किया कि इस सम्पदा पर कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का बाजार बनाया जाये तथा ₹ 2.12 लाख भुगतान पर एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि परियोजना पर निर्माण की क्रियाविधि अक्टूबर 2013 तक से आरम्भ नही हो पाई थीः–

- फरवरी 2001 में एन.आई.टी. को आमंत्रित किया गया जिसे नीति निर्धारण में निर्णय की असफलता के कारण रद्द कर दिया गया। इसीलिए, परामर्श के लिए ₹ 2.12 लाख का किया गया भुगतान फलदायी नही था।
- दि.न.नि. द्वारा (अक्टूबर 2013) भवन योजना को अनुमोदन प्राप्त नही हुआ क्योकि डीएसआईआईडीसी द्वारा दि.न.नि. से सम्पति कर के संदर्भ में तथा दि.वि.प्रा. से समय-समय पर वृद्धि के संदर्भ में ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' (अ.प्र.प.) प्रस्तुत नही कर सका। दिसम्बर 2011 तक नौ वर्षों के लिए समय में वृद्धि प्राप्त करने के लिए डीएसआईआईडीसी को (जुलाई 2010) संयोजन शुल्क के रूप में, जिसमें पेनल्टी शामिल है, ₹ 53.17 लाख का भुगतान किया तथा ₹ 1.32 लाख का सम्पति कर, जिसमें ब्याज ₹ 0.31 लाख शामिल है, का भी भुगतान किया। डीएसआईआईडीसी ने जुलाई 2015 तक समय में वृद्धि के लिए दोबारा संयोजन शुल्क ₹ 47.61 लाख भुगतान (सितम्बर 2013) किया।

इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी 13 वर्षो से भी अधिक समय के लिए कार्य आरम्भ करने में विफल रही और परिहार्य संयोजन शुल्क ₹ 1.01 करोड़ का वहन करना पड़ा। यह दर्शाता है ढंग से योजना नही बनाई गई क्योंकि अक्टूबर 2013 तक परामर्श दाता के नियुक्ति के बावजूद दि.न.नि. से आवश्यक अनुमोदन नही प्राप्त किया जा सका।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि संविधिक अनुमोदन में विलम्ब का होना उसके नियन्त्रण से बाहर था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्यकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. सम्पत्ति कर को समय से जमा कराने में असफल रही थी तथा ई.ओ.टी के लिए संयुक्त शुल्क अदा किया गया। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित विभागों से एन.ओ.सी. तथा ई.ओ.टी प्राप्त किये जाने में विलम्ब हुआ जिससे अन्त में दि.न.नि. से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाने में विलम्ब हुआ।

इसी प्रकार, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र पर वर्तमान प्रशासनिक ब्लाक के स्थान पर नई बिल्डिंग निर्माण हेतु, भूतल को अधिकतम 50 प्रतिशत आच्छादित करने सहित मा.प्ला. दि. 2021 के अधीन अनुज्ञेय फुल फ्लोर एरिया अनुपात की सुविधा को प्राप्त करते हुए एक नई बिल्डिंग (1,995 वर्ग मी.) के निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। 18,268.39 वर्ग मी. के इस भूमि के हिस्से पर, 8784.54 वर्ग मी. (48.09 प्रतिशत) के क्षेत्र पर पहले से ही 75 शैड बने हुए थे जिससे नये प्रस्तावित किए गए प्रशासनिक ब्लाक के लिए केवल 348.92 वर्ग.मी. (1.91 प्रतिशत) भूमि रह गई।

सम्बन्धित प्राधिकरणों तथा सांविधिक निकायों से सभी योजनायों को बनाए जाने तथा आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त किये जाने के लिए ₹ 15.76 लाख के शुल्क पर परामर्शदाता की नियुक्ति (अगस्त 2010) की गई लेकिन दि.न.नि. ने भवन निर्माण योजना की मंजूरी नहीं दी क्योंकि दि.रा.औ.अव.वि.नि.

पिछले अनुमोदित ले-आउट अथवा सम्मिलित योजना को देने में असफल रहा। तथापि परामर्शदाता को उसके शुल्क की अदायगी की गई थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने दि.न.नि. से अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना ही निर्माण के लिए एन.आई.टी. को आमंत्रित किया जिसका चौथी बार (सितम्बर 2011) में अन्तिम रुप दिया जा सका था जिसमें से केवल एक ही पार्टी को तकनीकी रुप से योग्य पाया गया तथा ₹ 10.38 करोड़ पर ठेका सौंपा गया था। हांलाकि अनुमोदित ले-आउट प्लान के अभाव में निर्माण शुरु नहीं किया जा सका था, जिसके परिणाम स्वरूप, दि.रा.औ.अव.वि.नि. को दिया गया ठेका (मई 2013) विखंडित हो गया।

लेखापरीक्षा ने यहाँ यह भी देखा कि परामर्शदाता की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी तथा परामर्श पर किया गया व्यय परिहार्य था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि परामर्शदाता की नियुक्ति किसी भी परियोजना को आरंभ किए जाने से पूर्व की आवश्यकता होती है तथा जो मुख्य वास्तुलिपि, न.दि.न.पा. तथा योजना तथा वास्तुलिपि स्कूल के संकाय को सम्मिलित करते हुए ज्यूरी द्वारा अनुमोदित परामर्शदाता की विचारधारा के आधार पर परियोजना को बनाया जाता है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने तथ्यों को जानते हुए भी परामर्शदाता की नियुक्ति की थी कि मा.प्ला.दि. 2021 के अनुसार परियोजना के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं थी तथा ज्यूरी के संबंध में, इनके सदस्यों की नियुक्ति बोलीकर्ताओं की केवल तकनीकी योग्यता का निर्धारण करने हेतु होती है तथा न कि मा.प्ला.दि.-2021 के अनुसार अपेक्षित के भूमि के निर्धारण के लिए।

4.1.9 समुदाय कार्य केन्द्र (सीडब्ल्यूसी)

निदेशक मण्डल ने 29 मार्च 2007 को आयोजित की गई बैठक में 29 सीडब्ल्यूसी में से दो स्थलों के नवीनीकरण के कार्य को अपने स्वयं की निधि से जिसकी भरपाई बाद में इसकी स्वयं की प्राप्तियों से की जाती, अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा मे देखा गया कि:

4.1.9.1 दोषपूर्ण संविदा प्रबन्धन परिहार्य देयता का कारण बना

सीमापुरी पर सी.डब्ल्यू.सी. के आधुनिकीकरण का कार्य ₹ 12.22 करोड़ की निविदा दर पर मैसर्स रामा कन्सट्रक्शन कम्पनी को सौंपा गया था। कार्य को स्वीकार तथा आरम्भ किये जाने के लिए पत्र जारी (जनवरी 2008) कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- यहाँ ब्यौरेवार संरचनात्मक ड्राईंग्स के बनाए जाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने से पूर्व तथा दि.न.नि. से अनुमोदित भवन निर्माण योजनाओं को प्राप्त किये बिना कार्य को सौंपा जाना अभिलेखों में न्यायोचित नहीं थे,

- वैट तथा टी.डी.एस. के कारण कटौती की गई राशि के लिए ठेकेदार को वापिस किए जाने वाले दावे की स्वीकृति नियमानुसार नहीं थी। वैट आयुक्त तथा आयकर नियमों के आदेशानुसार इसे दिए गए अग्रिम से कटौती की जाती है, तथा

- इसके अतिरिक्त ठेकेदार मध्यस्थ के पास चला गया जहाँ उसकी 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.34 करोड़ का दावा दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजना को समय से अनुमोदित किए जाने में विफल होने के कारण स्वीकार कर लिया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2014) कि यदि किसी कारण से परियोजनाएं रद्द हो जाती तो उससे होने वाली अन्ततः हानि को टालने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति कार्य सौंपे जाने के पश्चात की गई थी।

संरचनात्मक ड्राईंग्स बनाने का कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया तथा इसके अनुमोदन की कार्यवाही आई.आई.टी. दिल्ली तथा आई.आई.टी. रुड़की द्वारा की गई थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा कि यह उच्च न्यायालय में मध्यस्थ को कार्य सौंपने को चुनौती दी गई थी, क्योंकि कार्य को रद्द नही किया गया था, बल्कि इसे ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया था।

4.1.10 राष्ट्रीय आभूषण संस्थान

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने एक रत्न तथा आभूषण पार्क बनाए जाने का निर्णय (2002) लिया। राष्ट्रीय आभूषण डिजाईन एवम प्रौद्योगिकी संस्थान का पंजीकरण अक्तूबर 2005 में सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत 'लाभ से निरपेक्ष संगठन' के रुप में किया गया जिसका उद्देश्य उद्योग के लिए अत्यन्त प्रशिक्षित एवम् कुशल मानव संसाधन अविरल गति से उपलब्ध कराना था जोकि आधुनिक आभूषण के उत्पादन में तकनीकी रूप से निपुण हो। यह संस्थान आभूषण डिजाईन तथा रत्न-ज्ञान का पाठयक्रम उपलब्ध कराता है तथा इनकी जांच किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।

लेखापरीक्षा जाँच मे पाया गया कि वर्ष 2005-13 के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की संख्या केवल 13 से 57 के बीच की थी और वर्ष 2011-13 के दौरान प्रयोगशाला में केवल एक सोने के टुकड़े का परीक्षण किया गया था। कुल प्राप्त किया गया अनुदान ₹ 10.84 करोड़ का था जिसके विरूद्ध ₹ 11.65 करोड़ का उपयोग किया गया था (2002-2013 के दौरान प्राप्त किए गए अनुदान पर ब्याज के द्वारा अंशतः पूर्ति)। संस्थान को 2011-12 तक ₹ 3.20 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने लेखापरीक्षा बिन्दुओं को स्वीकार किया (जनवरी 2014)।

4.1.11 दिल्ली एम्पोरियम–'भारती'

दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्टस कारीगरों तथा अन्य छोटे ठेकेदारों के उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए 'भारती' दिल्ली एम्पोरियम खोला।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने दिल्ली एम्पोरियम के नवीकरण का फैसला लिया (अक्तूबर 2011)। लेखापरीक्षा में देखा गया कि नवीनीकरण के लिए कोई अनुमान नहीं बनाए गए थे। 2004-05 में की गई पूर्व नवीकरण कार्य की ₹ 145.37 लाख की लागत से लागत अनुमानों को लिए जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी देखा गया कि नवीकरण की लागत को भविष्य में होने वाली ग्राहकों की बढ़ोतरी तथा आय से वसूल किया जा सकता था।

खुली निविदा प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् दिल्ली भारती एम्पोरियम ने मैसर्स क्रिएटिव आई. एन.सी. को बाहरी तथा आन्तरिक डिजाईन व नवीकरण के लिए ₹ 1.63 करोड़ का ठेका सौंपा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य सौपने के लिए, वित्त मंत्रालय भा.स. के दिशा निर्देशो में (परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए मैनुअल की क्रियाविधि) के अनुसार 70:30 प्रतिशत के मानकों के प्रति तकनीकी तथा वित्तीय पात्रता को 80:20 प्रतिशत महत्व देते हुए निर्धारित किया गया।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने जवाब (जनवरी 2014) दिया कि वेन्डर को योजना टर्नकी आधार पर दी गई थी जो कार्य को डिजाईन तथा कार्यान्वित कर सकता था इसलिए परियोजना के परिकलन तथा कार्यावन्यन बेमेल नहीं थे। तकनीकी बोली में दिए गए स्कोर प्रतिशतात्मक आधार पर नहीं होने चाहिए थे तथा संयोगवश बोलीकर्ताओ की वित्तीय बोली कम थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योकि अनुमानित लागत के ब्यौरो को भी टर्नकी बेसिस पर बनाया जाता है।

4.1.12 पी.पी.पी. परियोजना के लिए वार्षिकी पर अतिरिक्त व्यय

रा.रा.क्षे.दि.स. ने मैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन (आई डी एफ सी) को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने हेतु स्वीकृति पत्र (दिसंबर 2008) के अनुपालन में परामर्शदाता के रुप में नियुक्त किया (जनवरी 2009)।

- विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तृत विश्लेषण तथा अन्तराल विश्लेषण, नरेला, पटपड़गंज, ओखला तथा बवाना औद्यौगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समझना तथा आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करना,
- प्रत्येक चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र के लिए विस्तृत अवसंरचनात्मक ब्लू प्रिंट तैयार करना,
- पी.पी.पी. मॉडल में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु प्रारंभिक औचित्य अध्ययन तैयार करना,
- प्रत्येक सुविधा के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र के पार्टनर के चयन के लिए निविदा तथा संविदा दस्तावेज तैयार करना और
- रा.रा.क्षे.दि.स. को छूटकर्ता तथा वित्तीय समायन के चयन में सहायता करना

उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा संबंधित प्राधिकारियों से संबंधित सूचना प्राप्त करने में परामर्शदाता की सहायता और प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराना, दैनिक अन्योन्यक्रिया तथा गतिविधियों की मॉनीटरिंग की जानी थी। परामर्शदाताओं ने अपग्रेड ऑपरेट मेनटेन ट्रांसफर (यू ओ एम टी) की रुपरेखा के अन्तर्गत औचित्यता अध्ययन तीन परियोजनाओं (i) ओखला, (ii) पटपड़गंज, (iii) बवाना तथा नरेला के लिए स्वतंत्र रुप से किया तथा आठ महीनों की कुल सूचित समय अनुसूची के प्रति वित्तीय मूल्यांकन निर्धारण प्रस्तुत किया (अप्रैल 2011)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परामर्शदाता ने 15 वर्षों से अधिक बवाना तथा नरेला परियोजना लागत को क्रमशः ₹ 90 करोड़ तथा ₹ 130 करोड़ पर प्रक्षेपित किया। अवधि के लिए राजस्व रिक्तिता बवाना के लिए ₹ 10 करोड़ प्रति वर्ष (8:13 प्रतिशत का आई.आर.आर.) तथा नरेला के लिए ₹ 21 करोड़ प्रति वर्ष (9.13 प्रतिशत का आई.आर.आर.) प्रक्षेपित की गई जिसकी दि.रा.औ.अव.वि.नि. द्वारा वार्षिकी तौर पर पूर्ति करनी थी।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने 15 वर्षों की रियायती अवधि के साथ यू.ओ.एम.टी. आधार पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मोड़ पर बवाना तथा नरेला औद्योगिक राज्य के उन्नतिशील तथा पुनर्विकास के लिए 'प्रस्ताव हेतु निवेदन' (आर.एफ.पी.) को आमंत्रित (मार्च 2011) किया। परामर्शदाता द्वारा मसोदे का मूल्यांकन करने के उपरान्त (मई 2011) परियोजना को दो सबसे न्यूनतम फर्म (एल-I) मैसर्स पी.एन. सी.दि.औ. इन्फ्रा प्रा.लि. एवं मेसर्स बवाना अवसंरचना विकास लिमिटेड और दि.रा.औ.अव.वि.नि. के बीच ₹ 21.50 करोड़ की वार्षिकी पर नरेला तथा ₹ 7.48 करोड़ की वार्षिकी पर बवाना के लिए रियायती समझौता (जुलाई 2011) हुआ था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- रा.रा.क्षे.दि.स. ने बवाना एवं नरेला में औद्योगिक सम्पदा के विकास, प्रचालन व राजस्व वसूली के लिए 30 वर्षों की रियायती अवधि हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में दि.रा.औ.अव.वि.नि. के 26 प्रतिशत हिस्सेदारी को अनुमोदित किया (3 मार्च 2010)। हालांकि, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने परियोजना को 15 वर्षों के लिए आबंटित किया तथा बवाना के लिए मेसर्स बवाना इन्फ्रा विकास प्रा.लि. और नरेला के लिए मेसर्स पी एन सी दिल्ली औद्योगिक इन्फ्रा प्रा.लि. के द्वारा 100 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी गई, जिसके लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुमोदन उनके अभिलेखों में नहीं पाया गया था।

- परामर्शदाता ने ₹ 145.39 करोड़ के बजाय ₹ 161.98 करोड़ का कैपेक्स लेना स्वीकार किया, प्रथम वर्ष (2011-12) की रियायती अवधि में 90 प्रतिशत के वास्तविक के प्रति 58.60 प्रतिशत का अधिभोग किया गया था, तीसरे वर्ष में मासिक सांविधिक देयों के संग्रहण दक्षता को 60 प्रतिशत के रुप में लिया गया, जो (वार्षिकी प्रारम्भ तिथि से प्रथम दो वर्षों के लिए सांविधिक देय भुगतान योग्य नहीं थे) कि स्वयं दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की अधिभोग दर के आगे पीछे नहीं था।

- नरेला के लिए, परियोजना आई आर आर ने परामर्शदाता के द्वारा तैयार किए गए 9.13 प्रतिशत के स्थान पर 14.89 प्रतिशत परिकलित किया। बवाना परियोजना के लिए परामर्शदाता के द्वारा वार्षिकी की विस्तृत गणना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

- यद्यपि ठेके के सौंपे जाने के 27 माह बाद (अक्टूबर 2013) भी, दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने रियायती समझौते की धारा 11.7 के अनुसार स्वयं अथवा प्रतिनिधियों के माध्यम से रियायतग्राहियों के बहीखातों का लेखापरीक्षा नहीं संचालित कराया था। इस प्रकार, परियोजना पर रियायत ग्राहियों के द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्माण कार्य को लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, कम्पनी को अंतिम प्रतिवेदन की विचारणीय तिथि के समापन पर परामर्शदाता को ऑकड़े उपलब्ध कराना चाहिए थे, परामर्शदाता को यथार्थवादी पूर्वानुमान तैयार करना चाहिए था एवं 9.13 प्रतिशत की परियोजना आई आर आर को ₹ 21.50 करोड़ प्रतिवर्ष के स्थान पर ₹ 14.90 करोड़ के वार्षिकी भुगतान के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए था। परिणामी अशुद्ध प्रक्षेपकों ने 15 वर्षों से वास्तविक आवश्यकता से अधिक ₹ 91.5 करोड़ भुगतान करने हेतु दि.रा.औ.अव.वि.नि. पर परिहार्य संविदागत दायित्व को आरोपित किया था।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने बताया (जनवरी 2014) कि 58.90 प्रतिशत का अधिभोग दर वर्ष 2009 में परामर्शदाता को उपलब्ध कराए गए ऑकड़ों पर आधारित था। संग्रहण दक्षता स्टेकहोल्डरों की राय एवं पूर्व-बोली सम्मेलन में इच्छुक बोलीकर्ताओं के सरोकार के आधार पर शुरूआती वर्षों में कम रखा गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परामर्शदाता ने अप्रैल 2011 में अपनी रिपोर्ट दि.रा.औ.अव.वि.नि. के द्वारा वर्ष 2009 में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सौंपा था जबकि मई 2011 में वास्तविक अधिभोग स्वयं पहुँचकर 90 प्रतिशत हो गया था।

4.1.13 मानव संसाधन प्रबन्धन

मानव संसाधन संगठन एक निश्चित समय के दौरान गतिविधियों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। 2008-13 के दौरान स्वीकृत पद तथा कार्मिक स्थिति **तालिका 4.2** में दी गई है:

तालिका 4.2
स्वीकृत पद तथा कार्मिक–स्थिति (समस्त)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स्वीकृत पद	1,732	1,593	985	1,493	1,491
कार्मिक स्थिति	1,246	1,206	821	1,042	1,019

(ii) स्वीकृत पद तथा कार्मिक स्थिति (ए तथा बी वर्ग)

	स्वीकृत		कार्मिक स्थिति	
	क	ख	क	ख
2008-09	220	157	168	99
2009-10	156	182	160	103
2010-11	158	217	148	94
2011-12	156	216	151	79
2012-13	156	216	153	75

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की प्रतिशतता बढ़ी हुई प्रवृति को दर्शा रही थी जबकि दि.रा.औ.अव.वि.नि. के अपने ग्रुप ए स्टाफ की संख्या घटकर कुल अफसरों की संख्या का 50 प्रतिशत हो गई थी। प्रतिनियुक्ति पर लाए गए अधिकारी एक लम्बी अवधि की इंजीनियरिंग परियोजना का कार्य कर रहे थे।

दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धकों के पदों को अन्य संस्थानों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्मिकों को बुलाकर भरा जा रहा है जिससे निगम को भारी संख्या में सौंपे गए कार्य कार्यान्वयन हो सके।

4.1.13.1 मानव संसाधन नीति का अभाव

दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने न तो कोई परिभाषित मानव संसाधन नीति को तैयार किया न ही कोई दीर्घावधि तथा मध्यावधि जनशक्ति योजना बनाई थी। दि.औ.रा.अव.वि.नि. दिल्ली औधोगिक राज्य विकास निगम लिमिटेड (स्टाफ सर्विस) नियमावली, 1978 में दिए स्टाफिंग मानकों का अनुसरण कर रही थी। जैसाकि यह नियमावली 35 वर्ष पहले बनाई गई थी, इसके बहुत से नियम परिवर्तित हो रहे व्यवसायिक परिवेश के साथ पुराने हो चुके थे। दि.औ.रा.अव.वि.नि. ने कहा (जनवरी 2014) कि दि.औ. रा.अव.वि.नि. कर्मचारी सेवा नियम, 1978 संगठन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य कर रहे है। जैसे और जब भी प्रबंधन को आवश्यकता महसूस हुई है, तो बदलते व्यावसायिक परिवेश के अनुसार आवश्यक संशोधन किए गये है। फिर भी, दि.ओ.रा.अव.वि.नि. ने आश्वासन दिया कि मानव संसाधन नियमों की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखा जाएगा।

4.1.14 आंतरिक नियन्त्रण

प्रतिवेदन में जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया था दि.रा.औ.अव.वि.नि. में प्रचालनों की प्रभावकारिता के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा लागू किए कानून व अधिनियम कमजोर पाए गए जिनके लिए उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक नियन्त्रण डिजाईन किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कवरेज तथा सीमावधि को निर्धारित नहीं किया था। वह 2008-09 तथा 2011-12 के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए चार्टड एकाउंटेंट की सेवाओं का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

कम्पनी का निष्पादन इसके अध्यादेश के संबंध में इष्टतम नहीं था। दि.रा.औ.अव.वि.नि. निगम के पास अपने ई. पी. एफ. ट्रस्ट में अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बहुत अधिक देयताए थी। दि.रा.औ.अव.वि.नि. ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शदाताओं को लगाया परन्तु तकनीकी रुप से उनकी सिफारिशों की जाँच नहीं की जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य वित्तीय निहितार्थ थे। अनुमोदित ले-आउट योजनाओं तथा संरचनात्मक ड्राईंग्स की उपलब्धता के सम्बन्ध में के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों की गैरअनुपालना के परिणामस्वरुप विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन में संविदाओं का समय से पहले बन्द हो जाना, परियोजनाओं को रोकना तथा उनमें रुकावटें हुई। कम्पनी को अपने ऊपर गलत प्रक्षेपणों के लगाए जाने के कारण परिहार्य संविदात्मक देयताओं को उठाना पड़ा। दि.रा.औ.अव.वि.नि.ने न तो पारिभाषित मा.स. नीति बनाई और न ही दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन जनशक्ति योजनाएँ बनाई जिसके कारण उपलब्ध मानव संसाधनों का गैर-इष्टतमीकरण हुआ। आंतरिक नियन्त्रण प्रक्रियाएं अपने आकार तथा प्रचालनों के परिमाणों के अनुरूप नहीं की गई थी।

सिफारिशें

कम्पनी को चाहिए कि:

- निर्माण कार्यों के निष्पादन में रुकावटों को रोकने के लिए निर्माण के ठेकों के सभी स्तरों पर के.लो.नि.वि. वर्क्स मैनुअल के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करे;
- उचित प्रक्षेपणों को बनाने हेतु सभी परामर्शदाताओं को समय पर तथा उचित आंकडे पहुचाने को सुनिश्चित करे;
- अपने संशोधनों का इष्टतम उपयोग करने हेतु मानवीय संसाधन नीति की समीक्षा की जाए; तथा
- आन्तरिक नियन्त्रणों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करे।

उक्त मुद्दों को प्रबन्धन तथा सरकार को भेजा गया जबकि प्रबन्धन का उत्तर प्राप्त हुआ और उनके विचार रिपोर्ट में सम्मिलित किये गए है, सरकार का उत्तर प्राप्त नही हुआ है (फरवरी 2014)।

लेन–देन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

सरकारी कम्पनियाँ

4.2 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

4.2.1 सम्पत्ति कर की वसूली न होने से घाटा

दिल्ली हाट, पीतमपुरा में संविदाकार से आच्छादित पार्किंग क्षेत्र को सम्पति कर वसूल न किए जाने के कारण ₹ 51.43 लाख की हानि।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने अक्तूबर, 2007 में पीतमपुरा में दिल्ली हाट का निर्माण किया। कम्पनी, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के लिए लाइसेंसधारी होने के कारण तथा भूमि व उस पर निर्मित भवन आदि के लिए नगर निगम को संपत्ति कर अदायगी के लिए उत्तर दायी थी, मार्च 2013 तक ₹ 116.91 लाख की राशि का सम्पत्ति कर अदा किया।

कम्पनी ने पार्किंग सेवाएँ संविदाकारों के माध्यम से अक्टूबर 2008 से अनुज्ञप्त की थीं। समझौतों की शर्तों के अनुसार संविदाकार सम्पति कर/भूमि का किराया/सेवा कर इत्यादि सहित सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सभी ड्यूटी/शुल्क/प्रभार/पार्किंग प्रभार/सांविधिक कर के लिए उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह देखा गया कि कंपनी ने संविदाकारों को किराए पर दिए गए पार्किंग क्षेत्र हेतु अक्टूबर 2008 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान ₹ 51.43 लाख का सम्पति कर अदा किया परन्तु इसे लाइसेंसधारी संविदाकारों से वसूल नहीं किया जबकि समझौतों में यह दिया गया था।

कम्पनी ने कहा (जुलाई 2013) कि दि.न.नि. अधिनियम के अनुसार पट्टादाता पर सम्पति कर लगाया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा कि संपत्ति कर को संवैधानिक कर नहीं मानना चाहिए।

कम्पनी का उतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी तथा संविदाकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार संविदाकार किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए सम्पति कर/भूमि का किराया/सेवा कर इत्यादि सहित सभी ड्यूटी/शुल्क/प्रभार/पार्किंग प्रभार/सांविधिक कर देय होंगे, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। अतः कम्पनी ने अपने समझौतों को प्रवर्तित न करने से संविदाकारों से सम्पत्ति कर की वसूली के मामले पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 51.43 लाख की हानि हुई।

यह मामला सरकार को (जुलाई 2013) में भेजा गया था, उसका उत्तर (फरवरी 2014) तक प्रतीक्षित था।

4.2.2 पर्यटन काम्प्लेक्स के परिचालन न होने के कारण निधियों का अवरोधन तथा राजस्व घाटा

संचालक के चयन हेतु परामर्शदाता के चयन एवं नियुक्ति में देरी के कारण ₹ 5.67 करोड़ की निधियों का अवरोधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने (जुलाई 2005) कम्पनी के माध्यम से कंगनहेरी में एक पर्यटन काम्प्लेक्स/सुविधा का निर्माण करने की सैद्धान्तिक रूप से अनुमति दी। कम्पनी ने पर्यटन काम्पलेक्स को सार्वजनिक निजी सहभागिता (सा.नि.सह.) प्रणाली से चलाने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2005)।

अतः कम्पनी ने मार्च 2006 में कंगनहेरी में पर्यटक सुविधा हेतु सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग (सि.बा.नि.वि.) से 10 वर्षों के लिए पट्टे पर ₹ 11.44 एकड़ भूमि ली। उक्त भूमि के लिए भूमि किराया ₹ 1 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष था, जो 10 वर्षो अर्थात् मार्च 2006 से मार्च 2016 के लिए ₹ 4.63 लाख निकल कर आया ।

कंगनहेरी में पर्यटन काम्प्लेक्स के निर्माण व विकास का कार्य ₹ 5.27 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2010 में पूरा हुआ। तत्पश्चात् कम्पनी ने कंगनहेरी में पर्यटन काम्प्लेक्स के प्रचालन, रखरखाव, प्रबंधन तथा हस्तांतरण हेतु निजी संचालकों के चयन में कम्पनी की सहायता हेतु मेसर्स फीड बैक इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (परामर्शदाता) को नियुक्त (अगस्त 2012) किया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने निजी संचालक के चयन में कंपनी की सहायता हेतु परामर्शदाता को नियुक्त करने में दो वर्ष लगाए जो कि नवम्बर 2013 तक नियुक्त नही किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप न केवल ₹ 5.27 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ, बल्कि पिछले दो वर्षो अर्थात् अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के दौरान कॉम्प्लेक्स के रखरखाव पर ₹ 40.27 लाख का अपव्यय भी किया।

कम्पनी ने बताया (मई 2013) कि सि.बा.नि.वि के साथ कंगनहेरी के लिए समझौता मार्च 2016 तक वैध था और वह इसे कम से कम 20 वर्षों की अवधि हेतु लाइसेंस बढ़वाकर पाने की कोशिश कर रही है ताकि परियोजना हेतु समुचित प्रचालन योजनाएँ तैयार की जा सकें और कम्पनी द्वारा किया गया निवेश वसूला जा सके। कम्पनी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी के पास अपने निवेश की वसूली के लिए मात्र दो ही वर्ष बचे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि कंगनहेरी परियोजना को निकटवर्ती छावला परियोजना से पृथक संस्था के रूप में नही देखा जाना चाहिए। अलग से कंगनहेरी की न तो उत्पत्ति हुई न ही वह वहनीय हुई तथा पट्टा अवधि का विस्तारण प्रक्रियाधीन है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दोनों ही परियोजनाओं की उत्पत्ति एवं क्रियान्वयन एक साथ नहीं किया गया।

4.2.3 दिल्ली विधान सभा में कैंटीन चलाने में ₹ 1.44 करोड़ की हानि

औपचारिक करार तथा किसी भी लागत लाभ के विश्लेषण के अभाव में दिल्ली विधान सभा में कैंटीन के परिचालन तथा प्रबन्धन में ₹ 1.44 करोड़ की हानि हुई।

कम्पनी ने, सचिव दिल्ली विधान सभा (सचिवालय सभा) के निवेदन पर 10 सितम्बर 2007 से बैठकों के दौरान एम.एल.ए, वी.आई.पी. एवं अफसरों को सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए विधान सभा कैंटीन

का परिचालन तथा प्रबन्धन लिया। निवेदन में आगे यह कहा गया था कि कम्पनी दरों को उसी समान रखेगी जैसी दिल्ली सरकार सचिवालय की कैंटीन में प्रभारित की जाती थीं।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कैंटीन सेवाएँ बिना किसी लागत विश्लेषण के एवं विधान सभा सचिवालय के साथ औपचारिक करार अथवा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किए बिना आरंभ कर दी गई। कम्पनी कैंटीन संचालन में केवल कच्चे माल की लागत ही वसूल कर पाने में सक्षम थी एवं अन्य सभी कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक खर्चे संचालन के द्वारा प्रतिपादित नहीं हो पा रहे थे।

कम्पनी ने सितम्बर 2007 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.44 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सतत हानि पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए कम्पनी को (सितम्बर 2011) निर्देश दिए कि कम्पनी द्वारा हुई हानि को वापिस किया जाए तथा विधान सभा सचिवालय से मांग की जाए कि कैंटीन को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (का.प्र.नि.) की मार्गदर्शिका के अनुसार चलाया जाए, जिसमें विफल रहने पर कैंटीन सेवाओं की समाप्ति के लिए 60 दिनों का नोटिस जारी किया जाए। बोर्ड का निर्णय विधान सभा सचिवालय को अक्टूबर 2011 में सूचित कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय प्रत्याशित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहमत (सितम्बर 2013) हुआ। बशर्ते कम्पनी कैंटीन सेवाओं की परिचालन लागत का मूल्यांकन प्रस्तुत करेगी एवं इस के लिए समझौता हस्ताक्षरित करेगी।

इस प्रकार कम्पनी, परिचालन को बन्द करने के सामयिक निर्णय लेने में असफल रही, जबकि कम्पनी कैंटीन चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं थी एवं परिचालन में वहन की गई हानि सरकार द्वारा वापिस नहीं की जाएगी।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) भेजा गया था, उत्तर (फरवरी 2014) प्रतीक्षित था।

4.3 इन्द्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड

4.3.1 डिस्कॉम्स को अनावश्यक वित्तीय लाभ देने के कारण निधियों का अवरोधन तथा उसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

अग्रिम आयकर भुगतान की वसूली में देरी के कारण कम्पनी की निधियों का अवरोधन हुआ तथा कम्पनी को ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज की हानि हुई प्रमुख रुप से डिस्कॉम्स को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।

इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) विद्युत उत्पादन और इसका विक्रय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति धारियों (डिस्कॉम्स) अर्थात् बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) एवं टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को करती है। यह कम्पनी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को भी विद्युत आपूर्ति करती है।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) उत्पादन टैरिफ विनियमों (विनियमों) के खण्ड 6.24 एवं 6.28 यह प्रतिबन्धित करता है कि उत्पादक कम्पनी के उत्पादन व्यवसाय पर आयकर व्यय माना जाएगा और इसके लाभार्थियों, अर्थात्, डिस्कॉम (बीआरपीएल, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी) से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार की

वसूली उत्पादक कम्पनी द्वारा लाभार्थियों से प्रत्यक्षतः वसूल की जाएगी और वह भी डीईआरसी के समक्ष बिना किसी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए। यदि आयकर के कारण दावा की गई धनराशि के संबंध में कोई आपत्ति होती है तो लाभार्थियों को सबसे पहले कम्पनी को भुगतान करना था और उसके बाद इसके निर्णय हेतु आयोग के समक्ष समुचित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना था। विनियमों के खण्ड 6.25 में आगे यह भी उपबंध है कि यदि आय पर कर की कम अथवा आधिक्य की वसूली हुई है तो प्रत्येक वर्ष सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा प्रमाणित आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर निर्धारण के आधार पर समायोजन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि कम्पनी ने सितम्बर 2011, दिसम्बर 2011, मार्च 2012 तथा जुलाई 2012 में अपनी स्वयं की निधियों में से लाभार्थियों की ओर से ₹ 107.10 करोड़ का अग्रिम कर और स्वनिर्धारित कर का भुगतान किया। हालाँकि कम्पनी ने उपर्युक्त कर के भुगतान के बाद लाभार्थियों से वसूली के लिए तत्काल कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया। वर्ष 2011-12 के लेखों को अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात ही कम्पनी (अक्तूबर 2012) ने लाभार्थियों से (बीआरपीएल. ₹ 46.06 करोड़, बीवाईपीएल. ₹ 30.41 करोड़, टीपीडीडीएल. ₹ 30.35 करोड़ तथा एनडीएमसी. ₹ 0.28 करोड़)। वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 107.10 करोड़ के आयकर की मांग की थी। टीपीडीडीएल एवं एनडीएमसी ने दावा किए गए आयकर का भुगतान कर दिया था जबकि बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल ने उसका अभी तक (फरवरी 2014) भुगतान नहीं किया है ।

अतः कम्पनी जो कि अपनी चालू पूँजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उधारी पर निर्भर थी, ने डिस्कॉम्स को आयकर भुगतान (अग्रिम कर एवं स्व-निर्धारण कर) के दावों को देर से प्रस्तुत कर अनुचित लाभ पहुँचाया। इसके परिणामस्वरुप कम्पनी की निधियों में 63 से 383 दिनों की अवधि हेतु 107.10 करोड़ की धनराशि का अवरोधन हुआ, जिसके कारण कम्पनी को ₹ 6.42 करोड[6] के ब्याज की हानि हुई।

कम्पनी ने (नवम्बर 2013) उत्तर दिया कि विनियम बिलिंग के मासिक या वार्षिक समय को निर्धारित नहीं करते एवं विनियम के अन्तर्गत आयकर के दावे सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्रमाणन द्वारा समर्थित किए जाने थे। लेखों और कर लेखा परीक्षा के अन्तिम रुप दिए जाने के पश्चात् उसका प्रमाण-पत्र सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त किया गया और बिलों को डिस्कॉम्स को बिना देरी के अग्रेषित किया गया। उन्होंने आगे यह भी बताया कि डी ई आर सी ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2009) कि कर वार्षिक आधार पर वसूली योग्य थे।

सांविधिक लेखा परीक्षकों से लेखों के प्रमाणन के संबंध में कम्पनी का दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विनियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा प्रत्यक्षतः भुगतान किए गए आयकर की वसूली लाभार्थियों से करनी चाहिए थी और यदि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति थी तो लाभार्थियों को कम्पनी के भुगतान करने के पश्चात् आयोग के समक्ष अपील करनी थी। इस प्रकार वसूली के लिए बिलों को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणन की आवश्यकता नहीं थी पर लाभार्थियों से कर की वसूली सम्पन्न करने के लिए अपेक्षित थी। और आगे कम्पनी के द्वारा उद्धरित डीईआरसी के स्पष्टीकरण में स्पष्टतया यह बताया गया कि जब-जब व्यय किया जाता है तब-तब कर वसूल योग्य होता है। आय पर कर की कोई भी कम.वसूली

[6]डिस्कॉम्स के प्रति बिल वसूल किए जाने की वास्तविक दिनांक को आई.पी.जी.सी.एल. द्वारा आयकर के भुगतान की दिनांक से 10 दिनों की अनुमति द्वारा परिकलित किया गया।

अथवा अधिक वसूली को आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयकर निर्धारण के आधार पर प्रति वर्ष समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, आयकर विभाग को तिमाही भुगतान करने के तुरन्त पश्चात् कम्पनी को डिस्कॉम्स के विरूद्ध बिलों को प्रस्तुत करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) में भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) था।

4.4 दिल्ली अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड

4.4.1 किराये की हानि

समय पर विवेकपूर्ण निर्णय न लेने के कारण तथा कब्जा न किए गए स्थान के फलस्वरूप कंपनी को ₹55.15 लाख के किराया आय की हानि हुई।

दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (कंपनी/डीएससीएफडीसी) को वर्ष 1983 में दिल्ली के रा.रा.क्षे. में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे अ.जा. समुदाय के कल्याण हेतु सम्मलित किया गया। कंपनी का कार्यालय राजपुर रोड पर पुराने सचिवालय के कार्यालय भवन में स्थित था जिसमें मात्र दो कमरे थे तथा वे जर्जर अवस्था में थे।

निगम ने अगस्त 1991 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से रोहिणी, नई दिल्ली में भूमि क्रय की जिसका भुगतान अगस्त 1991 से जनवरी 1997 की अवधि के दौरान किया गया। इस बीच, निदेशक मण्डल ने, दिसम्बर 1996 में उक्त भूमि पर नए कार्यालय और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए भवन समूह के निर्माण का निर्णय किया। लो.नि.वि. द्वारा एक सात मंजिला भवन का निर्माण किया गया तथा कंपनी द्वारा इसका कब्जा जनवरी 2002 में ले लिया गया।

कंपनी ने मई 2004 में स्थल के भू-तल, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तल पर कब्जा किया। अन्य तलों (4 से 7वें) को सरकारी विभागों/कंपनियों व स्वायत्त निकायों को किराये पर दे दिया गया था।

लेखापरीक्षा में 2009 में कंपनी द्वारा अधिक स्थान का उपयोग किया जाना इंगित किया गया। कंपनी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और अपने स्टॉफ के लिए स्थान की आवश्यकता का पुनर्निधार्रण किया तथा निर्णय लिया (सितम्बर 2009) कि तीसरे तल के स्टॉफ को प्रथम और द्वितीय तल पर समायोजित किया जा सकता है और तीसरे तल के पूरे क्षेत्र को जो 8,537 वर्ग फीट है, किराए पर उठाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

तीसरे तल के 8,537 वर्ग फीट के पूरे स्थान को किराये पर उठाने के लिए कंपनी ने सितम्बर 2009 में रा.रा.क्षे.दि.स के सभी विभागों को एक परिपत्र जारी किया। उत्तर में उपआयुक्त (उत्तर/पश्चिम जिला) के कार्यालय ने नवम्बर 2009 में 6000 वर्ग फीट प्राप्त करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया परंतु निगम ने इस प्रस्ताव को इस आधार पर विचार नहीं किया कि बचे हुए स्थान को किराये पर उठाने में दिक्कत हो सकती है तथा यह निर्णय लिया गया (नवम्बर 2009) कि पूरे तल को एक साथ ही किराये पर दिया जाए।

साथ ही साथ, अन.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. सह–अध्यक्ष, डीएसएफडीसी के माननीय मंत्री के फरवरी 2010 में अनुमोदन के पश्चात यह निश्चित किया गया कि कंपनी आधा क्षेत्र दिल्ली को.

ऑपरेटिव ट्रिब्यूनल को स्थापित करने के लिये किराये के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफ को-आपरेटिव सोसाइटी को आबंटित करेगा तथा आधा क्षेत्र कानून, न्याय, विधायी मामलों के विभाग को दिल्ली विवाद निपटान समिति (डीडीआरएस) को स्थापित करने के लिये आंबटित करेगा। निगम ने सिर्फ 1,468.20 वर्ग फीट अक्टूबर 2010 में कानून विभाग को दिल्ली विवाद निपटारा सोसाईटी (दि.वि.नि. सो.) के लिये और 3,809 वर्ग फीट अप्रैल 2012 में राजस्व विभाग को आबंटित कर दिया। फर्श पर 3259.80 वर्ग फीट का बचा हुआ स्थान निगम द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समय पर और विवेक से निर्णय न लेने के कारण कंपनी को मार्च 2010 से मार्च 2012 की अवधि के लिए उपयोग न किए गए स्थान के लिए किराये के कारण ₹ 45.76[7] लाख की किराया आय को गंवाना पड़ा। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक ₹ 9.39[8] लाख के किराया आय की भी हानि उठाई, क्योंकि यह अपनी आवश्यकता से अधिक 3259.80 वर्ग फीट के अतिरिक्त स्थान का उपयोग कर रहा है।

इस प्रकार, समय पर विवेकपूर्ण निर्णय न लेने के कारण कंपनी को ₹ 55.15 लाख (₹45.76 लाख+ ₹ 9.39 लाख) के किराया आय की हानि हुई।

मामला विभाग को (सितंबर 2013) मे प्रेषित किया गया, उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2014) ।

सांविधिक निगम

4.5 दिल्ली परिवहन निगम

4.5.1 अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण परिहार्य हानि

दो स्टाफ कॉलोनियों में स्टाफ क्वार्टर के अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के कारण ₹ 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि।

दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) ने हरी नगर तथा जी.टी. करनाल रोड़ पर कुल 300 क्वार्टरों की दो स्टाफ कॉलोनियों का निर्माण किया। इन क्वार्टरों को कर्मचारियों को उनकी नौकरी के दौरान उनकी पात्रता अधिकारों के अनुसार उनकी रिहायश के लिए आबंटित किया गया।

300 क्वार्टरों में से, 284 क्वार्टर पूर्व कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के परिवारों द्वारा मार्च 2013 तक अप्राधिकृत रुप से कब्जा किए हुए थे जिनको उनकी नौकरी की समाप्ति पर आबंटन को निरस्त करने के बारे में सूचित कर दिया गया था तथा कथित क्वार्टरों को खाली कर उनसे कब्जे को सौंप देने के लिए कहा गया था, जो कि (मार्च 2013) नहीं सौंपे गए। पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्टाफ क्वार्टर पर अप्राधिकृत कब्जे के कारण, निगम को 31 मार्च 2013 तक ₹ 53.59 करोड़ राशि की संचित हानि हुई। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी के कारण मार्च 2013 तक वसूल करने योग्य कुल राशि ₹ 28.55 लाख की थी।

[7] (9½ माह के लिए 8537 व. फीट +15½ माह के लिए 7068.8 व. फीट) x ₹24 प्रति व. फीट की दर से = ₹45.76 लाख

[8] 3259.8 वर्ग फीट X 12 माह X ₹24 प्रति वर्ग फीट की दर से = ₹9.39 लाख

दि.प.नि. के कर्मचारियों ने श्री एम.पी.माथुर तथा अन्य बनाम दि.प.नि. तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जिसने स्वामित्व अधिकार का मामला दि.प.नि. के पक्ष में निर्णय (24 नवम्बर 2006) दिया था। दि.प.नि. ने पूर्व कर्मचारियों को क्वार्टर खाली करने/ नुकसान का भुगतान करने हेतु एस्टेट ऑफिसर के द्वारा नोटिस जारी किया। जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एस्टेट ऑफिसर के आदेशों को चुनौती दी गई, परन्तु उन्हें खारिज कर दिया गया। यद्यपि, यह देखा गया कि फरवरी 2009 में एस्टेट ऑफिसर के आदेश के प्रति पूर्व-कर्मचारियों की अपील के खारिज किए जाने के पश्चात् तथा अप्रैल 2010 में निष्कासन अधिकारी की नियुक्ति के दो वर्षों से भी अधिक समय के बाद भी बेदखली किए जाने तथा क्षति की वसूली किए जाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

परिवहन विभाग ने फिर भी पूर्व-कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी कड़े उपाय न करने की सिफारिश (अप्रैल 2011) की, जब तक कि सरकार बेदखली के लिए कोई अन्तिम उपाय नहीं करती। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद् ने अपने निर्णय सं. 1898 दिनांक 12.06.2012 द्वारा यह निश्चित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर तथा कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की आवास की जरूरतों को देखते हुए दि.प.नि. के सेवानिवृत कर्मचारियों को दो महीनों के अन्दर क्वार्टरों को खाली करने तथा ऐसा न करने पर उन्हें निष्कासित किए जाने के निर्देश दिए। 31 मार्च 2013 तक भी दि.प.नि. अप्राधिकृत रुप से कब्जा किए हुए क्वार्टरों का कब्जा वापिस लेने में सक्षम नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 53.59 करोड़ की परिहार्य हानि हुई, इसके अतिरिक्त, कार्यरत कर्मचारियों को भी स्टाफ क्वार्टरों की सुविधा से वंचित रहना पड़ा।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2013) में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से बेदखल किए जाने के कोई निर्देश नहीं दिए गए थे। क्वाटर्स को खाली कराए जाने तथा देयों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपेक्षित थे जैसे विरोधी वकील का मत प्राप्त करना, स्टेट ऑफिस के न्यायालय में बेदखली के मामलों को दर्ज किया जाना, एस.डी.एम. के न्यायालय में वसूली का मामला दर्ज किया जाना, प्रत्येक फ्लैट की माह-वार वसूली की संगणना करना जोकि बहुत कठिन प्रक्रिया थी। इसके अतिरिक्त, बेदखली प्रक्रिया के दौरान परिवहन विभाग से बेदखल न कराए जाने के निर्देश थे।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद् ने खाली कराए जाने की कार्यवाही का निर्णय पहले ही (जून 2012) ले लिया था।

मामला सरकार को (सितम्बर 2013) भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) था।

4.5.2 संशोधित आयकर रिटर्न में वापसी का दावा न किए जाने के कारण हानि

दि.प.नि. को उसके आयकर विवरणी में टी.डी.एस. रिफन्ड का दावा न किए जाने के कारण ₹ 34.86 लाख की हानि हुई।

आयकर अधिनियम की धारा 197 में आयकर की छूट के लिए अथवा निम्न दर पर स्रोत पर कटौती हेतु प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, यदि निर्धारण अधिकारी को न्यायसंगत लगे कि जारी किये गए प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता की कुल आय को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए है। इसके आगे, आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार, किसी भी त्रुटि को अथवा गलत विवरणी को जो आयकर विभाग की आयकर रिटर्न में फाईल कर दी गई हो, को निर्धारण वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर अथवा आय निर्धारण पूर्ण होने से पूर्व, जो भी पहले हो, संशोधित रिटर्न के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) हानि में चल रहा है, इसलिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लेखा परीक्षा में देखा गया (जून 2013) कि दि.प.नि. मैसर्स ग्रीन दिल्ली प्रा. लि. (कम्पनी) से दि.प.नि. के बस क्यू शैल्टरों (ब.क्यू.शै.) पर विज्ञापनों को लगाए जाने के आधिकारों के लिए कम्पनी को जुलाई 2007 में दिए गए ठेके पर सुविधा शुल्क[9] प्राप्त कर रही थी। यद्यपि कम्पनी ने आयकर अधिनियम के अपेक्षित प्रावधानों के तहत दि.प.नि. को किए गए भुगतानों से पूर्व उन पर टी.डी.एस. की कटौती कर दी थी, दि.प.नि. आयकर अधिनियम की धारा 197 के तहत, आयकर विभाग द्वारा मैसर्स ग्रीन दिल्ली प्रा.लि. को जारी किया गया प्रमाणपत्र जिसमें, दि.प.नि. को अदा की जाने वाली राशि से आयकर की कटौती अनुज्ञेय नहीं है के लिए छूट का प्रमाण पत्र केवल 8 मई 2008 को प्राप्त कर सकी। जबकि, तब तक 25 मार्च 2008 से 16 अप्रैल 2008 तक की अवधि के दौरान कम्पनी ने टी.डी.एस. (8 मई 2008 तक) के रूप में ₹ 35.23 लाख की कटौती पहले ही कर दी थी।

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा में अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि दि.प.नि. ने निर्धारण वर्षों 2008-09 तथा 2009-10 के लिए फाईल किए गए अपने आयकर रिटर्न (कम्पनी द्वारा पहले से की गई कटौती) में टी.डी.एस. की राशि का दावा नहीं किया। यहाँ तक कि दि.प.नि. ने ₹ 34.86 लाख[10] के दावे की राशि, जिसकी अन्तिम तिथि क्रमशः 31 मार्च 2010 तथा 31 मार्च 2011 थी, के लिए उनके निर्धारण वर्ष में संशोधित रिटर्न को फाईल नहीं किया।

यद्यपि दि.प.नि. ने ₹ 34.86 लाख की वापसी के लिए आयकर विभाग से पत्राचार किया, परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि उसने संशोधित रिर्टनों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर फाईल नहीं किया था।

[9] ब.क्यू.शै. पर विज्ञापनों के लिए निजी फर्मों को दिए गए अधिकारों के बदले में दि.प.नि. द्वारा प्रभारित किया गया शुल्क।

[10] ₹35.23 लाख में से, 13 अप्रैल 2011 तक ₹36,600 का रिफन्ड प्राप्त किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (फरवरी 2014) कि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे आयकर अधिनियम की धारा 119 (2) (बी) के अन्तर्गत यह मामला उठाएंगे एवं रिफन्ड का दावा करेंगे और इस प्रकार दि.प.नि. अपने आप में ₹ 34.86 लाख की कोई हानि नहीं उठाएगा। उत्तर यूक्तियुक्त नहीं है क्योंकि दि.प.नि. ने दो वर्षों से काटे गए टीडीएस की वसूली के लिए इस मामले को नहीं उठाया तथा केवल अपील दर्ज किया जाना वसूली की गारन्टी नहीं होगा। यद्यपि, इस मामले में, दि.प.नि. द्वारा दर्ज की गई अपील स्वीकार भी कर ली जाती फिर भी आई.टी. विभाग में राशि अवरूद्ध रहने से उसको फरवरी 2014 तक ब्याज के रूप में ₹ 14.74 लाख[11] की राशि की हानि हो चुकी है।

मामला सरकार को (अक्टूबर 2013) भेजा गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2014)।

डौली चक्रवर्ती

नई दिल्ली **(डौली चक्रबर्ती)**

दिनांकः 30 जून 2014 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांकः 1 जुलाई 2014 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

[11] 7.25 प्रतिशत वर्ष के ब्याज की दर पर ₹34.86 लाख पर मई 2008 से फरवरी 2014 तक की संगणना

अनुलग्नक

अनुलग्नक 3.1

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2013 तक प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों और मानव शक्ति के अद्यतन ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

(पैरा 3.3 में देखें)

(कालम सं. 5(क) से 6(घ) में दिए गए आँकड़े ₹ करोड़ में है।)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूँजी[1]				2012–13 के अंत में बकाया ऋण[2]				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
अ.	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ												
वित्त													
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व अल्पसंख्यक, विक्लांग वित्तीय एवं विकास निगम	कल्याण	जनवरी 1983	33.33	11.88	-	45.21	52.49	-	-	52.49	1.16:1 (0.06:1)	168
क्षेत्रवार कुल				**33.33**	**11.88**	**-**	**45.21**	**52.49**	**-**	**-**	**52.49**	**1.16:1 (0.06:1)**	**168**
अवसंरचना													
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 1971	21.00	-	-	21.00	0.00	-	-	0.00	- (0.32:1)	1723
3	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शहरी विकास	मई 2008	0.00	-	-	0.00[3]	-	-	-	-	-	19
क्षेत्रवार कुल				**21.00**	**-**	**-**	**21.00**	**0.00**	**-**	**-**	**0.00**	**- (0.32:1)**	**1742**
विद्युत													
4	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	745.05	-	-	745.05	1629.71	-	1013.51	2643.22	3.55:1 (5.96:1)	18
5	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	3691.00	-	260.00	3951.00	511.75	-	1130.00	1641.75	0.42:1 (0.49:1)	1586
6	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	596.54	-	140.00	736.54	88.61	-	35.00	123.61	0.17:1 (0.23:1)	1032

[1] प्रदत्त पूँजी में सम्मिलित शेयर आवेदन धन।

[2] वर्ष 2012–2013 के अंत तक बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण हैं।

[3] एसआरसी की प्रदत्त पूँजी केवल ₹ 700 है।

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2012–13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
7	प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड	विद्युत	जनवरी 2001	2074.19	-	-	2074.19	360.00	-	1778.86	2138.86	1.03:1 (1.18:1)	282
8	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
क्षेत्रवार कुल				**7106.78**	**-**	**400.01**	**7506.79**	**2590.07**	**-**	**3957.37**	**6547.44**	**5.16:1 (1.04:1)**	**2918**
सेवाएँ													
9	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड	लोक वितरण	नवम्बर 1980	7.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	714
10	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसम्बर 1975	6.28	-	-	6.28	-	-	-	-	-	882
11	दिल्ली जियोस्पेशियल लिमिटेड	सू. प्रौ.	मई 2008	10.76	-	-	10.76	-	-	-	-	-	69
12	दि.रा.औ.अ.वि.नि. रख-रखाव सेवा लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
13	दि.रा.औ.अ.वि.नि. एक्जिम लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03		0
14	दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिकर लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0
क्षेत्रवार कुल				**24.04**	**-**	**0.03**	**24.07**	**-**	**-**	**0.03**	**0.03**		**1665**
परिवहन													
15	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त 2010	10.65	-	-	10.65	60.00	-	-	60.00	5.63:1 (0.23:1)	121
क्षेत्रवार कुल				**10.65**	**-**	**-**	**10.65**	**60.00**	**-**	**-**	**60.00**	**5.63:1 (0.23:1)**	**121**
कुल अ (सभी क्षेत्रवार कार्यशील कम्पनियाँ)				**7195.80**	**11.88**	**400.04**	**7607.72**	**2702.56**	**-**	**3957.40**	**6659.96**	**0.88:1 (1.01:1)**	**6614**
ब. (कार्यशील सांविधिक निगम)													
वित्त													
16	दिल्ली वित्त निगम	वित्त	अप्रैल 1967	18.05	-	8.19	26.24	40	-	50.08	90.08	3.43:1 (4.56:1)	115
क्षेत्रवार कुल				**18.05**	**-**	**8.19**	**26.24**	**40**	**-**	**50.08**	**90.08**	**3.43:1 (4.56:1)**	**115**

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2012–13 के अंत में बकाया ऋण				2012-13 के लिए ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
परिवहन													
17	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर 1971	1983.85	-	-	1983.85	11676.14	-	-	11676.14	5.89:1 (6.54:1)	38162
क्षेत्रवार कुल				**1983.85**	-	-	**1983.85**	**11676.14**	-	-	**11676.14**	**5.89:1 (6.54:1)**	**38162**
कुल ख (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगम)				**2001.90**	-	**8.19**	**2010.09**	**11716.14**	-	**50.08**	**11766.22**	**5.85:1 (6.52:1)**	**38277**
कुल जोड़ (अ+ब)				**9197.70**	**11.88**	**408.23**	**9617.81**	**14418.70**	-	**4007.48**	**18426.18**	**1.92:1 (2.12:1)**	**44891**

अनुलग्नक 3.2

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्तियोग्य अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारन्टियाँ, देयों का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं अंशदान में परिवर्तित ऋण और मार्च 2013 के अंत में गारन्टी प्रतिबद्धता

(पैरा 3.4 में देखें)

(कालम 3(क) से 6(घ) में आंकड़े ₹करोड़ में है)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशदान/ऋण[4]		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टियाँ तथा वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता[5]		वर्ष के दौरान देयताओं में छूट			
		अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	बट्टे खाते में डाले गए ऋण	अंशदान में परिवर्तित ऋण	दण्डात्मक ब्याज/ अधित्याग ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
	अ. कार्यशील सरकारी कम्पनीयाँ												
वित्त													
1	दिल्ली अजा/ अजजा/अपि व अल्पसंख्यक विक्लांग वितीय एवं विकास	-	50.00	-	0.53	-	**0.53**	-	-	-	-	-	-
	निगम लिमिटेड	**-**	**50.00**	**-**	**0.53**	**-**	**0.53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विद्युत													
2	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	245.00	-	-	459.65	-	**459.65**	-	-	-	-	-	-
3	प्रगति पावर कारपोरेशन लिमिटेड	250.00	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
4	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	49.00	300.00	-	4.00	-	**4.00**	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		**544.00**	**700.00**	**-**	**463.65**	**-**	**463.65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
सेवाएँ													
5	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड	-	-	-	-	14.43	**14.43**	-	-	-	-	-	-
6	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	-	-	10.79	21.14	-	**31.93**	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		**-**	**-**	**10.79**	**21.14**	**14.43**	**46.36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

[4]वर्ष के दौरान केवल रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से प्राप्त अंशदान/ऋणों को दर्शाया गया है।

[5]वर्ष के अंत में कुल बकाया गारन्टियों को दर्शाते आंकड़े

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशदान/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टियाँ तथा वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता		वर्ष के दौरान देयताओं में छूट			
		अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	बट्टे खाते में डाले गए ऋण	अंशदान में परिवर्तित ऋण	दण्डात्मक ब्याज/ अधित्याग ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
परिवहन													
7	दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (अनन्तिम)	-	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		-	**20.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल अ (क्षेत्रवार सभी कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ)		**544.00**	**770.00**	**10.79**	**485.32**	**14.43**	**510.54**	-	-	-	-	-	-
ब. कार्यशील सांविधिक निगम													
परिवहन													
8	दिल्ली परिवहन निगम	199.55	-	-	786.08	-	**786.08**	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार कुल		**199.55**	-	-	**786.08**	-	**786.08**	-	-	-	-	-	-
कुल ब (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगम)		**199.55**	-	-	**786.08**	-	**786.08**	-	-	-	-	-	-
कुल जोड़ (अ+ब)		**743.55**	**770.00**	**10.79**	**1271.40**	**14.43**	**1296.62**	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक 3.3

नवीनतम वर्ष के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था

(पैरा 3.6 में देखें)

(कॉलम 5(क) से (10) में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में है)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्न ओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव[6]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी[7]	नियोजित पूँजी पर रिटर्न[8]	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत रिटर्न
				ब्याज व मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि (कर से पूर्व)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अ.	**कार्यशील सरकारी कंपनियां**													
वित्त														
1	दिल्ली अजा/अजजा/अ.पि.व. व अल्पसंख्यक विक्लांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2013-14	6.23	0.40	0.25	5.58	11.09	(-) 0.33	25.92	26.99	81.94	5.98	7.30
क्षेत्रवार कुल				**6.23**	**0.40**	**0.25**	**5.58**	**11.09**	**-0.33**	**25.92**	**26.99**	**81.94**	**5.98**	**7.30**
अवसंरचना														
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	199.02	0.00	3.60	195.42	1522.49	47.53	21.00	219.90	1750.20	195.42	11.17
3	शाहजहनाबाद पुनर्विकास निगम[9]	2012-13	2013-14	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
क्षेत्रवार कुल				**199.04**	**0.00**	**3.62**	**195.42**	**1522.49**	**47.53**	**21.00**	**219.90**	**1750.38**	**195.42**	**11.16**
विद्युत														
4	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	9.61	122.05	0.04	(-) 112.48	0.00	850.59	745.05	(-) 1618.66	1125.36	9.57	0.85
5	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2012-13	2013-14	505.30	69.73	108.38	327.19	631.71	0.00	3951.00	(-) 2393.26	3637.29	396.92	10.91
6	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2012-13	2013-14	249.21	73.92	35.85	139.44	1091.06	0.00	736.54	317.41	606.85	213.36	35.16
7	प्रगति पावर कारपोरेशन निगम	2012-13	2013-14	768.10	282.84	163.35	321.91	1875.17	0.00	2074.19	809.75	5706.36	604.75	10.60

[6]लेखा अभ्युक्तियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और इसे (+) लाभ में वृद्धि/हानि में कमी तथा (–) लाभ में कमी/हानि में वृद्धि से दर्शाया गया है।

[7]वित्त कम्पनियों/निगमों जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, फ्री रिजर्व, बॉन्ड, जमा तथा उधारी (पुनः वित्त सहित) के प्रारंभिक तथा अंतिम शेषों के कुल के माध्यम के रूप में की जाती है, को छोड़कर नियोजित पूँजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति पर सहित) तथा कार्यशील पूँजी का निरूपण करती है।

[8]नियोजित पूँजी पर रिटर्न को लाभ व हानि खाते में लाभ व हानि खाते एवं प्रभारित ब्याज जोड़कर निकाला गया है।

[9]एसआरसी में केवल ₹ 700 की प्रदत्त पूंजी, ब्याज ₹ 899 तथा केवल ₹ 65438 की संचयी हानि है।

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्न ओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव[6]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी[7]	नियोजित पूँजी पर रिटर्न[8]	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत रिटर्न
				ब्याज व मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि (कर से पूर्व)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8	दि.रा.औ.अव.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.03	0.00	0.00	(-) 0.03	0.03	0.00	0.01	(-) 0.04	(-) 0.03	(-) 0.03	0.00
क्षेत्रवार कुल				**1532.19**	**548.54**	**307.62**	**676.03**	**3597.97**	**850.59**	**7506.79**	**(-) 2884.80**	**11075.83**	**1224.57**	11.06
सेवाएँ														
9	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	2.96	0.00	0.55	2.41	1074.01	0.00	7.00	12.15	28.31	2.41	8.51
10	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2013-14	35.33	0.00	1.64	33.69	1040.32	(-) 1.76	6.28	17.75	261.47	33.69	12.88
11	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2012-13	2013-14	2.20	0.00	0.22	1.98	3.78	0.00	10.76	1.28	22.39	1.98	8.84
12	दि.रा.औ.अव.वि.नि. एक्जिम लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.01	0.00	0.00	(-) 0.01	0.00	0.00	0.01	(-) 0.03	0.00	(-) 0.01	0.00
13	दि.रा.औ.अव.वि.नि. लिकर लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.01	0.00	0.00	(-) 0.01	0.00	0.00	0.01	(-) 0.01	0.00	(-) 0.01	0.00
14	दि.रा.औ.अव.वि.नि. रखरखाव सेवा लिमिटेड	2012-13	2013-14	(-) 0.04	0.00	0.00	(-) 0.04	0.00	18.34	0.01	(-) 0.05	(-) 0.04	(-) 0.04	0.00
क्षेत्रवार कुल				**40.43**	**0.00**	**2.41**	**38.02**	**2118.11**	**16.58**	**24.07**	**31.09**	**312.13**	**38.02**	**12.18**
परिवहन														
15	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 0.03	0.00	0.00	(-) 0.03	0.00	0.00	0.05	(-) 0.03	(-) 0.04	(-) 0.03	0.00
क्षेत्रवार कुल				**(-) 0.03**	**0.00**	**0.00**	**(-) 0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**(-) 0.03**	**(-) 0.04**	**(-) 0.03**	**0.00**
कुल (अ) (सभी क्षेत्रवार सरकारी कम्पनियां)				**1777.86**	**548.94**	**313.90**	**915.02**	**7249.66**	**865.41**	**7577.83**	**-2606.85**	**13220.24**	**1463.96**	**11.07**
ब. कार्यशील सांविधिक निगम														
वित्त														
16	दिल्ली वित्तीय निगम	2012-13	2013-14	11.58	9.70	0.33	1.55	19.86	0.01	26.24	0.00	177.56	11.25	6.34
क्षेत्रवार कुल				**11.58**	**9.70**	**0.33**	**1.55**	**19.86**	**0.01**	**26.24**	**0.00**	**177.56**	**11.25**	**6.34**

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				टर्न ओवर	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव[6]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी[7]	नियोजित पूँजी पर रिटर्न[8]	नियोजित पूँजी पर प्रतिशत रिटर्न
				ब्याज व मूल्यह्रास से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज	मूल्यह्रास	निवल लाभ/हानि (कर से पूर्व)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
परिवहन														
17	दिल्ली परिवहन निगम	2011-12	2012-13	(-) 463.54	1783.22	184.31	(-) 2431.07	1196.05	549.70	1784.30	(-) 14692.88	1595.74	(-) 647.85	0.00
क्षेत्रवार कुल				**(-) 463.54**	**1783.22**	**184.31**	**(-) 2431.07**	**1196.05**	**549.70**	**1784.30**	**(-) 14692.88**	**1595.74**	**(-) 647.85**	**0.00**
कुल ब (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सांविधिक निगम)				**(-) 451.96**	**1792.92**	**184.64**	**(-) 2429.52**	**1215.91**	**549.71**	**1810.54**	**(-) 14692.88**	**1773.30**	**(-) 636.6**	**6.34**
कुल जोड़ (अ+ब)				**1325.90**	**2341.86**	**498.54**	**(-) 1514.50**	**8465.57**	**1464.08**	**9388.37**	**(-) 17299.73**	**14993.54**	**827.36**	**17.41**

अनुलग्नक 3.4

पीएसयू में जिनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश दर्शाती विवरणी

(पैरा 3.7 में देखें)

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	उन वर्षों के लिए जिनके लिए लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
			वर्ष	अंशदान	ऋण	अनुदान/आर्थिक सहायता
कार्यशील कम्पनियाँ/निगम						
दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विक्लांग एवं विकास निगम	2003-04	25.92	2004-05	-	-	2.04
			2005-06	1.81	-	0.66
			2006-07	-	0.34	-
			2007-08	7.00	2.15	-
			2008-09	0.64	-	0.36
			2009-10	6.00	-	0.64
			2010-11	3.83	-	0.51
			2011-12	-	-	0.50
			2012-13	0.00	50.00	0.53
दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम[10]	2010-11	0.05	2011-12	10.60	40.00	0.00
			2012-13	0.00	20.00	0.00
दिल्ली परिवहन निगम[11]	2011-12	1784.30	2012-13	199.55	-	786.08
कुल	**-**	**1810.27**	**-**	**229.43**	**112.49**	**791.32**

[10] यद्यपि वर्ष 2011–12 के लि. डीटीआईडीसी के लेखे सितम्बर 2013 में प्राप्त किए गए थे तथपि उन्हें 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था।
[11] यद्यपि वर्ष 2012–13 के लिए डीटीसी के लेखे सितम्बर 2013 में प्राप्त किए गए थे तथापि उन्हें 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिया जाना था।

अनुलग्नक 4.1
तुलनपत्र के अनुसार वित्तीय परिणाम
(पैरा 4.1.2 में देखें)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
देयताएँ					
पूँजीगत शेयर	22.15	22.15	22.15	22.15	21.00
आरक्षित एवं आधिक्य	47.65	78.54	1375.41	1286.31	1497.88
सहायता अनुदान	4.47	4.47	4.18	4.10	3.83
असुरक्षित ऋण	7.05	7.05	7.05	7.05	6.56
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	1093.42	1361.32	1626.97	1870.42	1908.03
गैर–चालू देयताएँ	0.00	0.00	19.85	14.03	15.63
नरेला भूमि आवर्ती निधि	96.49	144.06	0.00	0.00	0.00
औद्योगिक स्कीमों का पुनर्निर्धाण (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निम्न लागत आवासीय स्कीम	78.27	7.49	0.00	408.39	181.06
सीईटीपी स्कीम (निवल)	40.43	47.33	45.12	41.73	38.76
कुल	**1389.93**	**1672.40**	**3100.73**	**3654.19**	**3672.75**
परिसम्पत्तियाँ					
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	46.91	45.23	50.39	50.23	49.53
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	0.66	0.80	0.80	0.44	0.17
निवेश	0.00	0.00	0.02	0.06	0.31
विलम्बित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)	8.29	6.82	8.25	9.11	14.21
बैंकों में सावधि जमा	226.76	368.99	618.71	1221.88	949.24
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1095.81	1225.05	2410.48	2372.47	2659.28
औद्योगिक स्कीमों का पुनर्निर्धारण (निवल)	11.49	25.50	0.00	0.00	0.00
निम्न लागत आवासीय स्कीम	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00
सीईटीपी स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1389.93**	**1672.40**	**3100.73**	**3654.19**	**3672.75**

अनुलग्नक 4.2

31 मार्च 2013 को समाप्त पाँच वर्षों के लिए दि.रा. औ.अ.वि.नि. के कार्यशील परिणाम

(पैरा 4.1.2 में देखें)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्री	409.62	586.78	619.36	947.90	862.78
जमा कार्य एवं पूर्ण किए गए परियोजना कार्य (डब्ल्यूआईपी में परिवर्तन सहित)	1019.06	525.80	287.14	375.27	589.64
टर्नओवर	**1428.68**	**1112.58**	**906.50**	**1323.17**	**1452.42**
अन्य आय	33.64	46.53	175.32	246.43	204.37
कुल आय	**1462.32**	**1159.12**	**1081.81**	**1569.60**	**1656.79**
बिक्री की लागत	391.69	579.81	624.88	701.72	774.66
जमा कार्य एवं परियोजना कार्य की लागत	930.20	495.92	272.69	360.67	562.15
सीईटीपी के लिए कार्य संविदा हानि	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रत्यक्ष व्यय	**1369.44**	**1075.73**	**897.57**	**1062.40**	**1336.81**
प्रशासनिक, विक्रय एवं अन्य व्यय	69.98	74.70	91.97	126.88	109.92
मूल्यह्रास	1.39	1.86	1.16	4.11	3.60
शेयरों में निवेश के लिए प्रावधान/(वापस किया हुआ) संदिग्ध ऋण/अग्रिम	5.03	0.00	4.12	0.00	-3.51
अप्रत्यक्ष व्यय	**76.40**	**76.56**	**97.25**	**131.00**	**110.01**
कुल व्यय	**1445.83**	**1152.29**	**994.82**	**1193.39**	**1446.83**
स्टॉक में परिवर्तनः वृद्धि/(कमी)	**0.00**	**33.78**	**32.14**	**-168.57**	**-26.07**
वर्ष के लिए लाभ	**16.49**	**40.61**	**119.13**	**207.64**	**183.89**
पूर्व अवधि आय/(व्यय) का निवल	-2.00	3.77	4.39	-0.79	11.53
कर से पूर्व लाभ (क.पू.ला.)	**14.49**	**44.39**	**123.52**	**206.85**	**195.43**
कर के लिए प्रावधान	6.56	13.31	6.09	22.22	37.65
कर पश्चात लाभ (क.प.ला.)	**7.93**	**31.08**	**117.43**	**184.63**	**157.78**